हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 अगस्त, 2009

खण्ड– 2 अंक – 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 3 अगस्त, 2009

पृष्ठ सख्यां

शोक प्रस्ताव	(2)1
तारांकित प्रश्न एव उत्तर	(2)2
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(2)57
तारांकित प्रश्नो के लिखित उत्तर	
अताराकिंत प्रश्न एवं उत्तर	(2)63
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सुचना	(2)64
विभिन्न मामले उठाना	(2)65
अनुपस्थिति के सम्बन्ध मे सूचना	(2)67
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(2)67
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(2)67
सदन की मेज पर रखे गरा कागज–पत्र	(2)68
यमुना समझौतों पर हरियाणा विधान सभा की समिति का दूसरा अंतरिम / प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा	(2)68

अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	
विधान कार्य	(2)69
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 3), बिल, 2009	(2)69
दि हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)71
दि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (ऐडीशनल फंक्शन्ज) अमैंडमैंट बिल, 2009	(2)72
दि प्रि–कन्सैप्शन एण्ड प्रि–नेटरल डायग्नोस्टिक टैस्नीक्स (प्रोहीबिशन ऑफ सैक्स सिलेक्शन) हरियाणा, वैलिडेशन बिल 2009	(2)74
दि हारियाणा फिस्कल रिस्पोन्सिबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमैंट (अमैडमैंट) बिल, 2009	(2)75
दि हरियाणा म्यूनिस्निल (अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)77
दि हरियाणा म्यूनिसिपल कोरपोरेशन (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)78
दीन बन्धु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलाजी मुरथल (अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)83
दि हरियाणा को–ओपरेटिव सोसायटीज (अमैंडमैंट) बिल 2009	(2)85

दि हरियाणा अयन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)95
दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)97
दि कोर्ट फीस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2009	(2)98
दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज (थर्ड अमैडमेंट) बिल, 2009	(2)99
वाई.एम.सी.ए. यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी फरीदाबाद बिल, 2009	(2)101
राज्य सभा के नव निर्वाचित सदस्यो को बधाई	(2)106
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं–सदस्यों द्वारा धन्यवाद	(2)108
विशेषाधिकार समिति के विशेष प्रतिवेदन पर चर्चा का पुनरारम्भण	(2)113
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव	(2) 114
राज्य के कुछ क्षेत्रों में सूखा स्थिति	(2)114
अध्यक्ष महोदय/मुख्यमंत्री द्वारा धन्यवाद	(2)124

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 3 अगस्त, 2009

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में अपराहन 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Chief Minister will make the obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, सदन की पिछली बैठक और आज की बैठक के बीच में हमारी कुछ महान् विभूतियां हमें छोडकर चली गई है। मैं उनका शोक प्रस्ताव सदन मे रखता हूं

श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी, भूतपूर्व संसद सदस्य

यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी, के 1 अगस्त, 2009 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

उनका जन्म 1 जुलाई, 1936 को हुआ। वह 1974 में राज्य सभा के लिए चुने गए। उन्हें हाल ही में गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया था, परन्तु पद ग्रहण करने से पहले ही वे हमे छोड़ कर चले गए।

वे अपनी विद्वता और भारतीय राज शासन की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। वह सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता के साथ–साथ कुछ समय के लिये भारत के अतिरिक्त सालीसिटर जनरल भी रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य सांसद की सेवाओ से वंचित हो गया है।' यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना प्रकट करता 'हे।

श्री रोहताश राम, स्वतंत्रता सेनानी

यह सदन जिला भिवानी के गांव चिड़िया के स्वतंत्रता सेनानी श्री रोहताश राम, कै 31 जुलाई, 2009 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट, करता है।

उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओ से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सेनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन कहता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता एवं अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देत्ते हुए अपने. जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैः

हवलदार राजेश, गांव लाठ, जिला सोनीपत।

सिपाही मंजीत, गाव बाघपुर, जिला झज्जर।

यह सदन इन महान वीरो की शहादत पर उन्हे शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक– संतप्त परिवारो के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुख्यमंत्री महोदय ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है और दिवंगत आत्मा के प्रति जो विचार प्रकट किये हैं, मैं भी अपने आप कौ उनको भावनाओ के साथ जोड़ता हूं। श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी काग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता थे। वह सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील थे और कुछ समय तक उन्होंने Additional Solicitor General of India के रूप मे देश की सेवा की। वह 1974 से 1980 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। कुछ ही दिन पहले उनकी नियुक्ति गुजरात के राज्यपाल के उच्च पद पर हुई थी और उन्होने अभी शपथ ग्रहण करनी थी। लेकिन इससे पहले वे स्वर्ग सिधार गये।

मैं रोहताश राम स्वतंत्रता सेनानी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ जिनका नाम मुख्यमंत्री महोदय ने अपने शोक प्रस्ताव मे लिया है। मैं उन सभी शहीदों को शत्–शत् प्रणाम करता हूं जिन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए अपनी जान गवां दी। हरियाणा के इन वीर सैनिकों के दुःखद निधन पर मुझे गहरा शोक है।

मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ और उनके शोक सतप्त परिवार को इरा सदन की संवेदना पहुंचा दीं जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओ के

सम्मान मे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यो को खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हू।

(इस समय सदन मे उपस्थित सभी माननीय सदस्यो ने दिवगत आत्माओ के सम्मान मे खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Question hour, please.

(इस समय माननीय सदस्य डा० शिव शंकर भारद्वाज सदन मे उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Construction of Separate Water Ponds

*** 1275. Smt. Geeta Bhukal :** Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct separate ponds for clean and dirty water; and

(b) If so, the districtwise details of villages where such ponds will be constructed ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes. Sir.

(b) A Statement is laid on Table of the House.

STATEMENT

Sr. No.	Name of District	Total Ponds
1	2	3
1.	Ambala	50
2.	Panchkula	37
3.	Yamuna Nagar	62
4.	Sonepat	66
5.	Faridabad	9
6.	Gurgaon	30
7.	Mewat	1.9
8.	Palwal	26
	Total	299
1.	Hisar	44
2.	Fatehabad	44
3.	Sirsa	21
4.	Bhiwani	69
5.	Kaithal	130

6.	Kurukshetra	49
7.	Karnal	108
8.	Panipat	40
9.	Rewari	86
10.	Rohtak	37
11.	Jhajjar	32
12.	Jind	48
13.	Mohindergarh	62
	Total	770

The district wise lists of villages are attached.

SYL water services circle, Ambala

Sr. No.	Name of village Ponds	Name of Block
1	2	3
1	Dudanpur	Ambala
2	Panjola	Ambala
3	Khurchanpur	Ambala
4	Nadiyali	Ambala
5	Himayunpur	Ambala

6	Segta	Ambala
7	Dhurali	Ambala
8	Ballana	Ambala
9	Ladana	Ambala
10	Teja	Ambala
11	Gobindgarh	Ambala
12	Anandpur Jal bera	Ambala
13	Bara	Ambala
14	Ugara	Ambala
15	Megamajra	Ambala
16	Behbalpur	Ambala
17	Lakhnaur Sahib	Ambala
18	Baknour	Ambala
19	Mehmadpur	Ambala
20	Naggal	Ambala
21	Bishangarh	Ambala
22	Nakatpur	Ambala
23	Naneola	Ambala
24	Batrohan	Ambala

25	Khaira	Ambala
26	Matehri Shekhon	Ambala
27	Mohra	Ambala
28	Mehln	Ambala
29	Bhuni	Ambala
30	Malour	Ambala
31	Bharangpur	Ambala
32	Daudpur	Ambala.
33	Lotan	Ambala
34	Sakraon	Ambala
35	Kanwala	Ambala
36	Begomajra	Ambala
37	Mujaifra	Ambala
38	Tharwa	Ambala
39	Tharwa Babaheri	Ambala
40	Sul lar	Ambala
41	Ahma	Ambala
42	Quarbanpur	Ambala
43	Bahnpur	Ambala

44	Mirjapur	Ambala
45	Ismailpur	Ambala
46	Bahapur	Ambala
47	Niharsi	Ambala
48	Jansua	Ambala
49	Sounta	Ambala
50	Sounti	Ambala
	List of Ponds of Distt. Panchkula.	
1	Barsola	Pinjore
2	Chandimandir	Pinjore
3	Kandiyala	Pinjore
4	Baksiswala	Pinjore
5	Bavana	Pinjore
6	Dhamala	Pinjore
7	Garida Jattan	Pinjore
8	Madwala	Pinjore
9	Majra Mehtab	Pinjore
10	Vasudevpura	Pinjore

11	Barwala	Barwala
12	Batoda	Barwala
13	Khatoli	Barwala
14	Manak Tabra	Barwala
15	Ramgarh	Barwala
16	Hangola	Raipur Rani
17	Haryoli	Raipur Rani
18	Natwal	Raipur Rani
19	Nayagaon	Raipur Rani
20	Raipur Rani	Raipur Rani
21	Bag wala	Raipur Rani
22	Garhi Kotahan	Raipur Rani
23	Khadi	Raipur Rani
24	Moli	Raipur Rani
25	Bereli	Barwala
26	Rattewali	Barwala
27	Kalka	Pinjore
28	Bitna	Pinjore

29	Dhra Kroni	Pinjore
30	B.S.W. Surajpur	Pinjore
31	Jabrot	Pinjore
32	Rampur Jangi	Pinjore
33	Saketri	Pinjore
34	Surajpur	Pinjore
35	Tigra Hansua.	Pinjore
36	Mandawala	Pinjore
37	Tipra	Pinjore
	List of Ponds of District Yamuna	Nagar
1.	Harewa	Chhachhrauli
2.	Khadri Ram	Chhachhrauli
3.	Mansurpur	Radaur
4.	Tehi	Bilaspur
5.	Deodhar	Chhachhrauli
6.	Aluwala	Jagadhri
7.	Khanpur	Chhachhrauli
8.	Shadipur	Yamuna Nagar
9.	Sandhala	Radaur

10.	Mandi	Jagadhri
11.	Mandebari	Jagadhri
12.	Topra Kurd	Bilaspur
13.	Khurdhan	Radaur
14.	Jaipur	Jagadhri
15.	Nathanpur	Chhachhrauli
16.	Hiassanpur	Chhachhrauli
17.	Sasoli	Jagadhri
18.	Rulakheri	Jagadhri
19.	Ratoli	Jagadhri
20.	Kail	Jagadhri
21.	Haripur Jattan	Bilaspur
22.	Guglon	Mustafabad
23.	Faridpur	Mustafabad
24.	Mundhar	Radaur
25.	Jihiverheri	Radaur
26.	Kishanpura	Chhachhrauli
27	Khizrabad	Chhachhrauli
28.	Tugalpur	Chhachhrauli

29.	Jaidhar	Chhachhrauli
30.	Basantpur	Radaur
31.	Masana Rangra	Radaur
32.	Bhilipura	Chhachhrauli
33.	Kotra	Bilaspur
34.	Sandhey	Bilaspur
35.	Mujafat	Bilaspur
36.	Milakpur Banger	Chhachhrauli
37.	Milk	Bilaspur
38.	Darpur	Chhachhrauli
39.	Harnaul	Jagadhri
40.	Nandgarh	Chhachhrauli
41.	Haidcr Pur	Chhachhrauli
42.	Jathlana	Radaur
43.	Sandhala	Radaur
44.	Damla	Jagadhri
45.	Dofera	Radaur
46.	Bapali	Radaur
47.	Bakhana	Radaur

48.	Radauri	Radaur
49.	Hafji	Chhachhrauli
50.	Chhachhrauli	Chhachhrauli
51.	Damoli	Chhachhrauli
52.	Kheri	Jagadhri
53.	Khanpur	Mustafabad
54.	Janjhera	Mustafabad
55.	Darajpur	Mustafabad
56.	Kajibans	Mustafabad
57.	Gandapra	Mustafabad
58.	Daulatpur	Mustafabad
59.	Kanri Kalan	Mustafabad
60.	Siyalwa	Mustafabad
61.	Badanpuri	Mustafabad
62.	Chhori Majra	Radaur
	District Sonepat	
1.	Farmana	Kharkhoda
2.	Dodwa	Gohana
3	Tihar Malik	Gohana

4.	Bhainswal Mithan	Gohana
5.	Bhainswal Bawla	Gohana
6.	Katwal	Gohana
7.	Bidhal	Gohana
8.	Teori	Ganaur
9.	Butana	Mudlana
10.	Ishapur Khri	Mundlana
11.	Busana	Mundlana
12.	Baroda	Mundlana
13.	Rindhana	Kathura
14.	Kathura	Kathura
15.	Chhichrana	Kathura
16.	Chhapra	Kathura
17.	Bhainswan	Gohana
18.	Bajana Khurd	Ganaur
19.	Bajana Kalan	Ganaur
20.	Lath	Gohana
21.	Jauli	Gohana
22.	Moi Hooda	Gohana

23.	Rewara	Gohana
24.	Bali	Gohana
25.	Khandari	Mundlana
26.	Bichpari	Mundlana
27.	Sargthal	Gohana
28.	Mahra	Gohana
29.	Rukhi	Gohana
30.	Rabhra	Gohana
31.	Kheri Damk an	Gohana
32.	Niyat	Gohana
33.	Kakana	Gohana
	District Sonepat	
1.	Ahulana	Ganaur
2.	Khari Gujar	Ganaur
3.	Atail	Ganaur
4.	Pipli Khera	Ganaur
5. 6.	Lalheri Hasanpur	Ganaur Ganaur Ganaur
7.	Bhagan	Ganaur

8.	Pipli	Kharkhoda
9.	Jatola	Kharkhoda
10.	Kundal	Kharkhoda
11.	Thana Khurd	Kharkhoda
12.	Sehoti	Kharkhoda
13.	Purkhas	Ganaur
14.	Agwanpur	Ganaur
15.	Khubru	Ganaur
16.	Panchi Jattan	Ganaur
17.	Ganaur	Ganaur
18.	Ahirpur Majra	Ganaur
19.	Shekhpura	Ganaur
20.	Rohat	Kharkhoda
21.	Thana Kalan	Kharkhoda
22.	Jharot	Kharkhoda
23.	Khanda	Kharkhoda
24.	Shalimar Majra	Sonepat
25.	Sitawali	Sonept
26.	Bhatgam	Sonepat

27.	Silana	Sonpat
28.	Kheri Dahiya	Sonepat
29.	Nakloi	Sonepat
30.	Farmana	Sonept
31.	Kakroi	Soneapt
32	Bidhlan	Sonepct
33.	Mahlana	Sonepat
	District Faridabad	
1.	Fatehpur Tag ga	Ballabgarh
2.	Shahpur Khurd	Ballabgarh
3.	Monola	Ballabgarh
4.	Nangla Jogian	Ballabgarh
5.	Ataii	Ballabgarh
6.	Heerapur	Ballabgarh
7.	Nariala	Ballabgarh
8.	Dhainkola	Ballabgarh
9.	Sadpura	Ballabgarh
	District Gurgaon	
1	Khalipur	Pataudi

2	lnchhapuri	Pataudi
3	Pahari	Pataudi
4	Rahnawa	Pataudi
5	Khod	Pataudi
6	Nanu	Pataudi
7	Basspadamka	Pataudi
8	Dadawas	Pataudi
9	Lokara	Pataudi
10	Jasat	Pataudi
11	Narehda	Pataudi
12	Jataula	Pataudi
13	Patli	Pataudi
14	Sanpka	Pataudi
15	Kuni	Pataudi
16	Chhawan	Pataudi
	District Gurgaon	
1	Loh Singhani	Gurgaon
2	Sancholi	Gurgaon
3	Harchandpur	Gurgaon

4	Daula	Gurgaon
5	Baluda	Gurgaon
6	Nimodh	Gurgaon
7	Sarmaphala	Gurgaon
8	Lalakheri	Gurgaon
9	Bai Khera	Gurgaon
10	Gagola	Gurgaon
11	Hazipur	Gurgaon
12	Silani	Gurgaon
13	Golka	Gurgaon
14	Mandaur	Gurgaon
	District Mewat	
1	Akera	Nuh
2	Chhachhera	Nuh
3	Meenali	Nuh
4	Dhiana	Nuh
5	Firozpur Nanak	Nuh
6	Nalod	Nuh

7	Salada	Nuh
8	Salaheri	Nuh
9	Muithan	Nigana
10	Kahan Mohhammiadpur	Nigana
11	Uleta	Nigana
12	Kalteri	Nigana
13	Ganduri	Nigana
14	Gurbri	Punhana
15	Lalpuri	Punhana
16	Hinganpur	Punhana
17	Raipur	Punhana
18	Gulata.	Punhana
19	Ter	Punhana
	District Palwal	
1	Bhiduki	Hasanpur
2	Bammi Khera	Palwal
3	Dhatir	Palwal
4	Janouli	Palwal
5	Mahdkola	Hathin

6	Maheshpur	Palwal
7	Nankai Jat	Hathin
8	Prithla	Palwal
9	Reebar	Hathin
10	Yadupur	Palwal
11	Alawalpur	Palwal
12	Ferozpur	Palwal
13	Kheria	Palwal
14	Kushak	Hasanpur
15	Lohina	Hodel
16	Bahin	Palwal
17	Sondh	Hathin
18	Manpur	Hodel
19	Aurrangabad	Hathin
20	Darana	Hasanpur
21	Bamchari	Hodel
22	Badha	Palwal
23	Dhamka	Palwal
24	Momolka	Hathin

25	Rehrana	Palwal
26	Bichore	Punhana
	Hisar District	
1.	Bhagana	Hisar-I
2.	Bhagana	Hisar-I
3.	Harita	Hisar
4.	Kanoh	Agroha
5.	Siwani Bolan	Agroha
6	Jakhod	Hisar
7	Muklan	Hisar-II
8	Bado Patti	Ghiral
9	Barwala	Barwala
10	Datta	Barwala
11	Datta Dairy Gaushala	Hansi
12	Depal	Hansi
13	Dhani Garan	Barwala
14	Dhani Mirdad	Barwala
15	Faridpur	Uklana
16	Hajampur	Bawani Khera

17	Harita	Hisar-I
18	Kaimire	Hisar-I
19	Khedar	Barwala
20	Kirodi	Barwala
21	Kundanpura	Uklana
22	Ladwa	Hansi
23	Litani	Barwala
24	Madanpura	Uklana
25	Masudpur	Hansi-I
26	Mingni Khera	Hisar
27	Neoli Khurd	Hisar-II
28	Pabra	Uklana
29	Panihari	Barwala
30	Parbhuwala	Uklana
31	Ramayan	Hansi
32	Ramayan	Hansi
33	Saharwa	Bawani Khera
34	Sandlana	Barwala
35	Sarsod	Barwala

36	Siwani Bolan	Agroha
37	Thurana	Hansi
38	Bhagana	Hisar-I
39	Bhagana	Hisar-I
40	Bobuwa	Barwala
41	Datta	Hansi-I
42	Umra	Hansi
43	Shahpur	Hisar
44	Salemgarh	Hisar
	Fatehabad District	
1	Akanwali	Tohana
2	Baijalpur	Bhuna
3	Bhirrana	Fatehabad
4	Bhuna	Bhuna
5	Bhuthan Kalan	Fatehabad
6	Chinder	Fatehabad
7	Dayyer	Bhattu
8	Dhand	Bhattu Kalan
9	Dhani Sanchla	Bhuna

10	Dhinsara	Bhattu
11	Dulat	Bhuna
12	Gorakhpur	Bhuna
13	Hizrawan Kalan	Fatehabad
14	Jamalpur Shekhon	Tohana
15	Jandli Kalan	Bhuna
16	Kanheri	Tohana
17	Khabra Kalan	Bhattu Kalan
18	Kukranwali	Bhattu Kalan
19	Mehuwala	Bhattu Kalan
20	Mussa Ahli	Fatehabad
21	Nakta	Ratia
22	Nangli	Tohana
23	Phullan	Ratia
24	Pilchan	Ratia
25	Pirthla	Tohana
26	Rehankheri	Bhuna
27	Thuian	Bhattu
28	Lehrian	Bhuna

29	Karnoli	Fatehabad
30	Ratta Khera	Ratia
31	Madh	Ratia
32	Alika	Ratia
33	Tharwa	Tohana
34	Khundan	Ratia
35	Salam Khera	Fatehabad
36	Jandwala Sottar	Fatehabad
37	Dadupur	Ratia
38	Hukmanwali	Ratia
39	Jallopur	Ratia
40	Nagpur	Ratia
41	Dhollu	Bhuna
42	Ganda	Ratia
43	Buwan	Ratia
44	Dharnia	Fatehabad
	Sirsa District	
1	Assa Khera	Dabwali
2	Bhamboor	Sirsa

3	Chalkka	Rania
4	Charnel	Sirsa
5	Gidder Khera	Dabwali
6	Jottanwali	Dabwali
7	Lohgarh	Dabwali
8	Modi	Dabwali
9	Narel Khera	Sirsa
10	Rangri Khera	Sirsa
11	Resulpur Their	Sirsa
12	Sadewala	Rania
13	Sukhera Khera	Dabwali
14	Bharu Khera	Dabwali
15	Shahpur Begu	Sirsa
16	Vaidwala.	Sirsa
17	Mushibwala	Sirsa
18	Baruwali - 2 No	Sirsa
19	Ghoranwali.	Rania
20	Balasar	Rania
21	Alimohamed 2 No	N. Chopta

	Bhiwani District	
1	Badalu	Bhiwani
2	Banga	Bhiwani
3	Devsar	Bhiwani
4	Dhanana III	Bhiwani
5	Dhani Mahu	Tosham
6	Dharara	Bhiwani
7	Hindol	Dadri
8	Jatal	Bhiwani
9	Jhanwari	Tosham
10	Jui	B. Khera
11	Lal Rewari	Bhiwani
12	Madhmoorvi	Dadri
13	Misri	Dadri
14	Paintawas Khurd	Dadri
15	Pur	B. Khera
16	Ranila	Dadri
17	Sankroad	Bhiwani
18	Sui	B. Khcra

19	Talu	Bhiwani
20	Sanjawas	Dadri I
21	Sanwar	Ch. Dadri
22	Sordha Kadirn	Behal
23	Tigrana	Bhiwani
24	Alampur	Tosham
25	Baliyali	Khera
26	Balkara	Dadari II
27	Bamla	Bhiwani
28	Bapora	Bhiwani
29	Baral	Khera
30	Bhurtana	Bawani Khera
31	Biran	Tosham
32	Birhi Kalan	Dardi II
33	Chang	Bhiwani
34	Chhappar	Dardi II
35	Devrala	Kairu
36	Dhadhi Chhillar	Dadari II
37	Dhanana	Bhiwani

38	Dhanana I	Bhiwani
39	Dhani Hunat	Siwani
40	Garwa	Siwani
41	Gokalpura	Behal
42	Gurera	Siwani
43	Jamalpur	Bawani Khera
44	Jatu Luhari	B. Khera
45	Jui Katan	Kairu
46	Jui Khurd	Kairu
47	Kairu	Kairu
48	Kaluwas	Bhiwani
49	Kariu II	Kairu
50	Katwar	Tosham
51	Kayla	Ch. Dadri
52	Khark Kalan	Bhiwani
53	Kungar	Bawani Khera
54	Lamba	Dadri I
55	Lohani	Kairu
56	Mahrana	Dadri I

57	Mandholi Khurd	Siwani
58	Mithathal	Bawani Khera
59	Naloi	Siwani
60	Noonsar	Behal
61	Obera	Behal
62	Paintawas Kalan	Ch. Dadri
63	Palri	Dadri II
64	Paluwas	Bhiwani
65	Phogat	Dadri I
66	Ratera	Siwani
67	Sippar	Bawani Khera
68	Siwana	Bawani Khera
69	Surpura Kalan	Behal
	Kaithal District	
1	Balbhera	Ghula
2	Balu	Kalayat
3	Bata	Kalayat
4	Budha Khera	Kaithal
5	Chuhar Majra	Pundri

6	Dhundheri	Kaithal
7	Fetehpur	Pundri
8	Geong	Kaithal
9	Ghuna	Kaithal
10	Guliana	Rajound
11	Harsol a	Kaithal
12	Jakhouli	Rajound
13	Kasan	Rajound
14	Kithana	Rajound
15	Kultaran	Kaithal
16	Malikpur Samana	Guhla
17	Manas	Kaithal
18	Mandi Kalan	Kalayat
19	Naina	Kaithal
20	Ramgarh	Kalayat
21	Rohera	Rajound
22	Sismor	Kaithal
23	Ahun	Pundri

24	Balbehra	Guhla
25	Balu Rapria	Kalayat
26	Baupur	Guhla
27	Baupur	Guhla
28	Bhagal	Guhla
29	Bhatian	Guhla
30	Bhuna	Guhla
31	Bhunsla	Guhla
32	Sir Bangra	Rajound
33	Birthe Bahari	Rajound
34	Bucchi	Pundri
35	Chaba	Guhla
36	Chausala	Kalayat
37	Chur Majra	Pundri
38	Danoota	Guhla
39	Dhundwa	Kalayat
40	Dohar	Siwan
41	Dubbal	Kalayat
42	Dumara	Kalayat

43	Duserpur	Guhla
44	Fatehpur	Pundri
45	Gaggarpur	Guhla
46	Gaggarpur	Guhla
47	Garhi	Kaithal
48	Guhna	Kaithal
49	Hamumajra	Guhla
50	Haripura	Kalayat
51	Harnola	Siwan
52	Janedpur	Siwan
53	Kailram	Kalayat
54	Kailram	Kalayat
55	Kakeor Majra	Siwan
56	Kekeor Majra	Siwan
57	Kakheri	Siwan
58	Kalasar	Ka]ayat
59	Kangthali	Siwan
60	Kasouli	Guhla
61	Kasouli	Guhla

62	Kasour	Siwari
63	Kathwar	Kaithal
64	Kaul	Pundri
65	Kaul	Pundri
66	Kemheri	Guhla
67	Kemheri	Guhla
68	Khambera	Guhla
69	Kharkan	Siwan
70	Kharkara	Guhla
71	Kharkara	Guhla
72	Kheri Daban	Guhla
73	Kheri Rai Wali	Kaithal
74	Kheri Sher khan	Kalayat
75	Kheri Shcru	Kaithal
76	Khushal Majra	Guhla
77	Khushal Majra	Guhla
78	Kithana	Rajound
79	Kotra	Rajound
80	Kotra	Rajound

81	Kurar	Kalayat
82	Kutabpur	Kaithal
83	Ladana Chakku	Siwan
84	Lalpur	Guhla
85	Lander Pirjada	Siwan
86	Majri	Guhla
87	Malikpur	Siwan
88	Malikpur Samana	Guhla
89	Mandi Sadra	Siwan
90	Mandi Sadra	Siwan
91	Mundwal,,.	Rajound
92	Nanakpur	Guhla
93	Nand Singh Wala	Kaithal
94	Nandgarh	Guhla
95	Neemwala	Rajound
96	Pabnawa	Pundri
97	Paharpur	Siwan
98	Paharpur	Siwan
99	Pai	Pundri

100	Paprala	Guhla
101	Pharal	Pundri
102	Pinjupura	Kalayat
103	Polar	Siwan
104	Polar	Siwan
105	Rajound	Rajound
106	Ramda pur	Siwan
107	Ramgarh Pa nd wa	Kalayat
108	Ramthalli	Siwan
109	Rasina	Pundri
110	Rawanhera	Pundri
111	Sair	Siwan
112	Sajuma	Kaithal
113	Sakra	Pundri
114	Salimpur Mehmood	Pundri
115	Salimpur Mehmood	Pundri
116	Sanghan	Kaithal
117	Santokh Majra	Rajound
118	Seon Majra	Guhla

119	Seon Majra	Guhla
120	Simla	Kalayat
121	Sinh	Guhla
122	Sisla	Kaithal
123	Sotha	Siwan
124	Sultania	Guhla
125	Taranwali	Siwan
126	Tatiana	Guhla
127	Tatiana	Guhla
128	Teek	Kaithal
129	Then Mukerian	Guhla
130	Wazir Nagar	Kalayat
	Kurukshetra District	
1	Bakhali	Pehowa
2	Mandi	Pehowa
3	Sandholi	Pehowa
4	Batehri	Pehowa
5	Harigarh Borakh	Pehowa
6	Bodha	Pehowa

7	Malikpura	Pehowa
8	Galedwa	Pehowa
9	Bachki	Pehowa
10	Jalbehra	Pehowa
11	Naisi	Pehowa
12	Jakhwala	Pehowa
13	Lotani	Pehowa
14	Shahapura	Pchowa
15	Mohanpura	Pehowa
16	Morthali	Pehowa
17	Kainthala	Pehowa
18	Chhailon	Pehowa
19	Rohu	Shahabad'
20	Ajrawar	Shahabad
21	Hassanpura	Thanesar
22	Indbari	Thanesar
23	Khidarpura	Thanesar
24	Jhinjarpur	Thanesar
25	Bachki	Thanesar

26	Balahi	Pehowa
27	Barna-II	Thanesar
28	Bhansi Majra	Thanesar
29	Bhusthala	Pehowa
30	Bibipur-lI	Pehowa
31	B i loch pura	Pehowa
32	Bodhani	Pehowa
33	Chanalheri	Pehowa
34	Chhajupur	Pehowa
35	Jorasi Kalan	Pehowa
36	Kaithala Khurd	Thanesar
37	Kalsa	Pehowa
38	Kamoda	Pehowa
39	Lohar Majra	Pehowa
40	Lukhi	Thanesar
41	Malikpur	Pehowa
42	Morthala	Thanesar
43	Murtzapur	Pehowa
44	Saina Saidan	Pehowa

45	Samsipur	Pehowa
46	Sandhola	Pehowa
47	Sarsa	Pehowa
48	Surmi	Pehowa
49	Telheri	Pehowa
	Karnal District	
1	Amupur	Nissing
2	Baldi	Karnal
3	Bal lah	Assandh
4	Barsat	Gharaunda
5	Basthali	Nissing
6	Sirchpur	Nissing
7	Brass	Nissing
8	Dadupur	Nissing
9	Dupedi	Assandh
10	Furlak	Gharaunda
11	Garhi Birbal	Indri
12	Gogripur	Nissing
13	Guma to	Indri

14	Kabulpur Khera	Assandh
15	Kalsora	Indri
16	Kheri Man Singh	Indri
17	Majra Roran	Nilokheri
18	Rahara	Assandh
19	Raipur Roran	Nilokheri
20	Ramana Ramani	Nilokheri
21	Ramba	Karnal
22	Rishalwa	Assandh
23	Satroo	Karnal
24	Sheikhpur Khadar	Indri
25	Sheikhpura	Gharaunda
26	Shergarh Rathodi	Indri
27	Sultanpur	Nilokheri
28	Thari	Assandh
29	Uchana	Karnal
30	AlawIa	Assandh
31	Bambheri	Assandh
32	Chorkarsa	Assandh

33	Dupedi	Assand h
34	Jabala	Assandh
35	Kolkhera	Assandh
36	Manchuri	Assandh
37	Manchuri	Assandh
38	Padha	Assandh
39	Thari	Assandh
40	Chorkarsa	Assandh
41	Jabala	Assandh
42	AIwala	Assandh
43	Manchuri	Assandh
44	Jainpur Sadhan	Indri
45	Bibipur Jattan	Indri
46	Khera	Indri
47	Mank Majra	Indri
48	Badson	Indri
49	Buttan Kheri	Indri
50	Kaki Jagir	Indri
51	Chhaper Mustka	Indri

52	Bir-Badson	Indri
53	Nagla Roran	Indri
54	Bhoji Khalsa	Indri
55	Dhanokheri	Indri
56	Sayed Chhapra	Indri
57	Hansu Majra	Indri
58	Sarwan Majara	Indri
59	Manhorpur	Indri
60	Chandsmad	Indri
61	Garh Gujran	Indri
62	Kadrabad	Indri
63	Ilinori	Indri
64	Randoli	Indri
65	Bibipur Jattan	Indri
66	Kalri Jagir	Indri
67	Sayed Chhapra	Indri
68	Bhusali	Karnal
69	Chhapra Jagir	Karnal
70	Dabarki	Karnal

71	Daha Jagir	Karnal
72	Daniyalpur	Karnal
73	Doui garh	Karnal
74	Mainmati	Karnal
75	Mangal pi	Karnal
76	Manglora	Karnal
77	Mirgnain	Karnal
78	Nal vi Par	Karnal
79	Nasirpur	Karnal
80	Phusgarh	Karnal
81	Subhri	Karnal
82	Uchana	Karnal
83	Barani	Nilokheri
84	Barthal	Nilokheri
85	Bursham	Nilokheri
86	Haibatpur	Nilokheri
87	Jambha	Nilokheri
88	Kalsi	Nilokheri
89	Kamalpur	Nilokheri

90	Keor	Nilokheri
91	Lathron	Nilokheri
92	Majra Rodan	Nilokheri
93	Pujam	Nilokheri
94	Sambhi	Nilokheri
95	Sitamai	Nilokheri
96	Augondh	Nissing
97	Brass	Nissing
98	Brass	Nissing
99	Dacher	Nissing
100	Gobindgarh	Nissing
101	Gullarpur	Nissing
102	Jani	Nissing
103	Peon	Nissing
104	Picholia	Nissing
105	Zarifabad	Nissing
106	Ghari Khajoor	Gharaunda
107	Panauri	Gharaunda
108	Shiekpura	Gharaunda

	Panipat District	
1	Adyana	Madlauda
2	Ahar	Israna
3	Alupur	Madlauda
4	Atawla	Madlauda
5	Babail	Bapoli
6	Balana	Israna
7	Barahman Majra	Israna
8	Biholi	Samalkha
9	Buana Lakhu	Israna
I 0	Bursham	Israna
11	Chamrara	Israna
12	Chan doli	Panipat
13	Didwari	Israna
14	Didwari	Israna
15	Dumiana	Madlauda
16	Gawalra	Samalkha
17	Goela Kalan	Bapoli
18	Jondhan Khurd	Israna

19	Kaith	Israna
20	Kakoda	Israna
21	Kurar	Bapoli
22	Lohari	Madlauda
23	Nain	Israna
24	Naraina	Samalkha
25	Palri	Israna
26	Urlana Khurd	Israna
27	Vaiser	Madlauda
28	Buwana Lakhu	Israna
29	Dariyapur	Madlauda
30	Hartari	Israna
31	Kaith	Israna
32	Lohari	Madlauda
33	Manana	Samalkha
34	Naraina	Samalkha
35	Pardhana	Israna
36	Pathri	Israna
37	Rairkalan	Madlauda

38	Seenkh	Israna
39	Simla Molana	Panipat
40	Urlana Khurd	Madlauda
	Rewari District	
1	Berlikalan	Jatusana
2	Buroli	Khol
3	Gokalgarh	Rewari
4	Jat Sayarwas	Rewari
5	Jatusana	Jatusana
6	Katopuri	Jatusana
7	Kishan Garh Balawas	Rewari
8	Modinpur	Jatusana
9	Saharanwas	Rewari
10	Tatarpur	Rewari
11	Bhagwanpur	Rewari
12	Bhudla	Rewari
13	Bolni	Bawal
14	Budani	Rewari
15	Dawana	Rewari

16	Fideri	Rewari
17	Ghasera	Rewari
18	Jailpur Sekhpur	Rewari
19	Kumbhawas	Rewari
20	Ladhuwas Gujar	Rewari
21	Lala	Jatusana
22	Lisana	Rewari
23	Majra Swaraj	Rewari
24	Mamadia Asampur	Khol
25	Mundi	Khol
26	Panchor	Bawal
27	Parla	Khol
28	Pathanwas	Bawal
29	Ramgarh	Rewari
30	Sampli	Bawal
31	Surriakhera	Jatusana
32	Ahmedpur	Nahar
33	Ahrod	Khol
34	Balwari	Khol

35	Bawan a Gujjar	Khol
36	Berli Khurd	Jatusana
37	Bhalkhi	Khol
38	Bhurthal	Rewari
39	Bikaner	Rewari
40	Bithwana	Bawal
41	Bitori	Jatusana
42	Boria Kamal Pur	Rewari
43	Budana	Rewari
44	Budhpur	Rewari
45	Chitadungra	Khol
46	Dadani	Rcwari
47	Dohki	Rewari
48	Dungarwas	Rewari
49	Gagi Gopal pur	Jatusana
50	Gangayacha Ahir	Rewari
51	Gobindpuri	Khol
52	Gothra Tappa Khori	Khol
53	Gumina	Khol

54	Hansawas	Jatusana
55	Hanska	Rewari
56	Jadra	Rewari
57	Jarthal	Bawal
58	Jonawas	Rewari
59	Kadub	Khol
60	Kalpur	Bawal
61	Kaluwas	Rewari
62	Khera Alampur	Jatusana
63	Khol	Khol
64	Khori	Khol
65	Kundal	Khol
66	Majra	Khol
67	Majra	Khol
68	Majra Gurdash	Rewari
69	Mamdia Ahir	Khol
70	Mamdia Thaher	Khol
71	Mandola	Jatusana
72	Masani	Rewari

73	Mayan	Khol
74	Meerpur	Rewari
75	Nangal	Jatusana
76	Nangal Sahbajpur	Bawal
77	Nangal Teju	Bawal
78	Nangla	Khol
79	Nikhri	Rewari
80	Pali	Khol
81	Pehrajwas	Jatusana
82	Rajgarh	Bawal
83	Rajiyaka	Khol
84	Roliwas	Khol
85	Sundroj	Khol
86	Tankri	Bawal
	District Rohtak	
1	Aasan	Rohtak
2	Ajayab	Meham
3	Ajayab	Meham
4	Ajayab	Meham

5	Rahu Akbarpur	Rohtak
6	Bakheta	Rohtak
7	Balland	Rohtak
8	Behlba	Meham
9	Dataur	Rohtak
10	Charnariya	Rohtak
11	Chullana	Rohtak
12	Dhamer	Rohtak
13	Dhoo	Rohtak
14	Farmana Khas	Meham
15	Gharonthi	L/Majra
16	Gharornihi	L/Majra
17	Girawar	Meham
18	Ismaila	Sampla
19	Kakrana	Kalanaur
20	Kanehli	Rohtak
21	Kansala	Rohtak
22	Karontha	Rohtak
23	Kasranti	Rohtak

24	Kheri Sad	Rohtak
25	Kiloi	Rohtak
26	Madina	Rohak
27	Masudpur	Kalanaur
28	Makhroli	Rohak
29	Mungan	Rohtak
30	Rithal	Rchtak
31	Ritoli	Rohtak
32	Rita	Rohtak
33	Shimli	Rohtak
34	Singh Pura Kalan	Rohtak
35	Sudana	Kalanaur
36	Sunaria Khurd	Rohtak
37	Samchana	Rohtak
	Jhajjar District	
1	Bahu	Matanhail
2	Bhurawas	Salhawas
3	Chhapaar	Salhawas
4	Chhara	Bahadurgarh

5	Dawla	Jhajjar
6	Dubaldhan	Beri
7	Girawar	Jhajjar
8	Hamanyunpur	Matanhail
9	Jamalpur	Matanhail
10	Ihanswa	Matanhail
11	Ncola	Salhawas
12	Nilaheri	Salhawas
13	Bakra	Beni
14	Chhabili	Jhajjar
15	Gudha	Jhajjar
16	Gwalishan	Matanhail
17	Jhakhoda	Bahadurgarh
18	Matanhail	Matanhail
19	Mubarakpur	Salhawas
20	Nilothi	Bahadurgarh
21	Seria	Ben
22	Tumabaheri	Salhawas
23	Badsa	Bahadurgarh

24	Chamanpura	Beni
25	Chandhwana	Matanhail
26	Dhania	Saihawas
27	Dhanirwas	Salhawas
28	Lakria	Beri
29	Majri	Bahadurgarh
30	Maliawas	Matanhail
31	Nimana	Jhajjar
32	Rampura	Jhajjar
	Jind District	
1	Bhambewa	Pilukhera
2	Bhuran	Pilukhcra
3	Dariyawala	Jind
4	Dharauli	Pilukhera
5	Hatt	Safidon
6	Kalawali	Pilukhcra
7	Kalwa	Pilukhera
8	Karsindo	Uchana
9	Karsola	Julana

10	Kilazafar Garb	Julana
11	Malshree Khera	Pilukhera
12	Morkhi	Pilukhcra
13	Padana	Julana
14	Raichandwala	Alewa
15	Ramrai	Jind
16	Ritoli	Pilukhera
17	Shamdo	Alewa
18	Siwaha	Pilukhera
19	Siwanmal	Pilukhera
20	Dohana Khera	Narwana
21	Kheri Masan ian	Narwana
22	Pegha	Rajaund
23	Sirsakheri	Julana
24	Alewa	Alewa
25	Badhana	Alewa
26	Belerkha	Narwana
27	Bhikhewala	Narwana
28	Bohatwala	Jind

29	Brar Khera	Jind
30	Fatehgarh	Julana
31	Frain Kalan	Narwana
32	Frain Khurd	Narwana
33	Ghaso Kalan	Uchana
34	Gulkani	Jind
35	Hadwa	Safidon
36	Igrah	Jind
37	Ishmailpur	Narwana
38	Jhamola	Julana
39	Kandela	Jind
40	Kheri Safa	Uchana
41	Ludana	Pilukhera
42	Mandi Kalan	Uehana
43	Mehrara	Julana
44	Pokri Kheri	Jind
45	Rajpura	Jind
46	Shahpur	Jind
47	Surja Khera	Narwana

48	Uchana Kalan	Uchana
	Mohindergarh District	
1	Kanwi	Nagalchaudheri
2	Neerpur	Ateli
3	Naheri	Narnaul
4	Jatwas	Mohindergarh
5	Jasawas	Mohindergarh
6	Nangal Soda	N/CH.
7	Bagdana	Mohindergarh
8	Azamnagar	Narnaul
9	Palh	Mohindergarh
10	Nagawas	Mohindergarh
11	Karol i	Narnaul
12	Tobra	Ateli
I3	Bhankhre	Narnaul
14	Kurthal Kalan	Mohindergarh
15	Mohamadpur	NNL
16	Nimhahera	Mohindergarh
17	Piaga	Mohindergarh

18	Gadaniya	Mohindergarh
19	Dochana	Narnaul
20	Guwani	Ateli
21	Hudeena	NNL
22	Hazipur	Narnaul
23	Budecn	Mohindergarh
24	Kunjpura	Ateli
25	Bochcriya	Ateli
26	Bhahgot	Kunina
27	Kamaniya	N/CH.
28	Lehrodh a	Narnaul
29	Bhungarka	N/CH.
30	Balha Khurd	Narnaul
31	Sirohi Bahli	N/CH.
32	Akbarpur Ramu	Ateli
33	Boehcriya	Kanina
34	Bcghpur	Ateli
35	Bhojawas	Kanina
36	Chandpura	Ateli

37	Cheal was	Kanina
38	Dhanunda	Kanina
39	Dholera	N/CH
40	Dulana	Mohindergarh
41	Ghara	Kanina
42	Goad	Narnaul
43	Jatguwana	Ateli
44	Jorashi	Narnaul
45	Kanti	Ateli
46	Khariya	Mohindergarh
47	Kharkhara Bas	Kanina
48	Khaspur	Narnaul
49	Khatodra	Mohindergarh
50	Khatoli Kaian	Narnaul
51	Khodma	Narnaul
52	Khorki	Mohindergarh
53	Lawan	Mohindergarh
54	Mulodhi	N/CH.
55	Pathera	Kanina

56	Pota	Kanina
57	Salimpur	Ateli
58	Sayana	Kanina
59	Sheoramnath a pura	N/CH.
60	Sujapur	Ateli
61	Talwana	Kanina
62	Unhani	Kanina

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूगी कि जैसा कि सभी जानते हैं कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और हरियाणा की इकोनामी मे पशुधन का भी अहम रोल है। मंत्री जी ने जो नये तालाबो की बात कही है क्या मत्री जी पुराने तालाबों का साईज बढ़ायेंगे और जो नये तालाब बनाये जायेगे क्या उनको भी बड़ा बनाया जायेगा क्योकि पहले गाव छोटे थे लेकिन अब आबादी बढ़ने से गांवों का आकार भी बडा हो चुका हे। इसके अलावा क्या माननीय मंत्री जी गांवों मे साफ पानी और गंदे पानी के लिए अलग– अलग तालाब बनाये जाने का कोई प्रावधान है ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में लगभग सभी गांवो में यह पोजीशन थी कि जितने भी गांवो मे तालाब

थे एक तो उन सभी में बड़ी भारी मात्रा मे सिल्ट हो गई थी दूसरा गावों की जो नालियां थी वे लगभग सभी तालाबो से जोड़ दी गई थी जिससे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनमे पॉल्यूशन का लैवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तालाबों मे पशुओ द्वारा पानी पिया जाना तो दूर वहां से निकलना भी मुश्किल हो गया था। इन सब बातो को ध्यान मे रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इकोनॉमिक्स स्टैमुल्स नाम से एक पैकज अनाऊस किया जिसके तहत सर्वप्रथम हरियाणा के तकरीबन 100 पुराने तालाबो को लिया गया है। इनमे हम बेसीकली बीच मे पार्टीशन वील बनायेगे। पार्टीशन वील बनाने के बाद जो लोअर पोर्शन होगा उसमे हम गांव का गंदा पानी रखेगे और जो थोड़ा हायर पोर्शन होगा उसमे हम बिलकुल साफ पानी रखेगे जिसे पशु पी सका। ऐसा करने से पशुओ को पीने के पानी की होने वाली दिक्कत से निजात मिलेगी। यह स्कीम हमन नरंगा के तहत लांच की है। इसमे 732 तालाबों का निर्माण नरेगा डोर काडा मिलकर करेगे और 268 तालाबो का निर्माण नरेगा और इरीगेशन डिपार्टमैंट मिलकर करेंगे। अब तक हमने तकरीबन 59 तालाबो पर काम शुरू कर दिया है। इस समय कैथल जिले मे चार तालाबो पर काम शुरू कर दिया है, टेण्डर हो चुके हैं। इससे ग्राऊण्ड वाटर टैल की रिचार्जिंग भी होगी और यह सेनीटेशन को भी इम्प्रूव करेगा। इसके अतिरिक्त विलेज ड्रेनेज का जो गंदा पानी होगा वह भी गंदे तालाब मे गिर सकेगा और उस गंदे पानी को अगर गांव का कोई किसान चाहेगा तो पम्प करके इरीगेशन परपज के लिए भी इस्तेमाल कर सकेगा। जहां तक नये तालाबो के निर्माण का सम्बन्ध है इस बारे में मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा अभी हम नये तालाब

नहीं बना रहे हैं अभी तो जो गांवो मे पुराने तालाब थे और जिनका पानी सड़ने से गांवो मे दिक्कत आ रही थी हमने सबसे पहले उनको ही इस स्कीम के तहत लिया है ताकि अच्छे तरीके से हमारे गांवो के पशुधन को पीने का पानी उपलव्य हो सके। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने यह कार्य किया है। इसके अलावा भी अगर कोई और माननीय सदस्या चाहे वह हमें सम्बंधित स्थान के बारे में लिखित मे सूचित करे तो मै यह आश्वासन देता हूं कि हम वहां की सिएचुएशन इम्प्रूव करने के लिए भी उचित कार्यवाही करेगे। अब तक हमने पूरे हरियाणा प्रदेश मे 1059 तालाब आईडैटीफाई किए हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने हर गांव में पर्याप्त वाटर सप्लाई देने का प्रयास किया है जिससे लगभग प्रदेश के सभी गावो मे पानी की उपलब्धता काफी बढ़ गई है इससे जो पानी के तालाब हैं वे बहुत जल्दी ओवर फ्लो हो जाते हैं, इसलिए जो तालाबों का स्वरूप बदला जा रहा है क्या उनमें साफ पानी भरने के लिए भी सरकार द्वारा नये खाले बनाने जैसी कोई अलग से व्यवस्था की जा रही है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को राह बताना चाहूंगा कि नये तालाब ए०डी०सी० द्वारा डी०आर०डी०ए० में जो वैरियस स्कीम्ज हैं उनके तहत खुदवाया जाता है। ए०डी०सी० को हमारे द्वारा ये निर्देश दिये जाते हें कि वे ज्यादातर तालाब जहां पर नहरो की उपलब्धता है, वहां नहरों के

नजदीक खोदें ताकि वहां से उनमे पानी डाला जा सके। जो वाटर चौनल होते हैं वे भी डी०आर०डी०ए० के तहत बनते हैं इसलिए जहां–जहा चौनल तालाबों मे पानी देगे उनको हम अपने इरीगेशन डिपार्टमैंट से भरवा देगे।

श्री राधे श्याम शर्मा: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जहा पर नहले का प्राविजन नहीं है वह्वां पर जो तालाब खोदे गये हैं उनको पानी से कैसे भरा जायेगा? जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में नांगल सोडा, कारोली और दौता इन 3 जगहों पर तालाब खोद गये हैं यहा पर नहर –का प्रोविजन नहीं है इनमे पानी कैसे पहुंचाया जायेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर नहर से पानी पहुंचने का प्रावधान नहीं है, वहाँ पर तो केवल बरसात के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। बेसिकली हम जो पार्टीशन –कर रहे है उसका मकसद यही है कि आधे हिस्से मे साफ पानी रहे और दूसरे आधे हिस्से मे गंदा पानी रहे। दूसरी बात यह है कि हम तालाबों के पार्टीशन का काम नरेगा स्कीम के तहत न करवा कर मशीनों से करवायेगे क्योकि आपको पता है कि कई जगह मजदूर नहीं मिलते।

श्री अमीर चन्द मक्कड: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मै आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा है कि घरों के क्नैक्शन के पाईप टूट जाने और उसमें

खराब पानी मिलने से नलो मे दूषित पानी आता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हांसी मैं मालिया मंडी एक व हुत बड़ा मौहल्ला है उसमें सप्लाई का पानी जो आता है वह दूषित आता टैं। . इस बारे मे कई बार महकमे को कहा भी गया है कि जो सरकारी वाटर टैंक लगे हैं उनमे दूषित पानी आता है। अध्यक्ष महोदय, उसका कारण है हांसी के टैंको की सफाई नहीं हो रही है। हांसी मे टैंको मे रेत भरी हुई है ओर उसमे पानी बहुत कम मात्रा में है। क्या मंत्री जी दूषित पानी की समस्या का कोई निदान करेगे और उसकी सफाई का कोई प्रावधान शीघ्र करवायेगे ताकि जनता को स्वच्छ जल मिल सके ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं उसका तारांकित प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये टाऊन्स की बात कर रहे हैं। टाऊन्स में वाटर सप्लाई का काम पब्लिक हेल्थ विभाग का है।

श्री अध्यक्ष वैसे तो यह काम क्लैक्टिव है, लेकिन आप इस बारे मे सैप्रेट क्वैश्चन पूछे। कैप्टन अजय सिंह यादव अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इसके लिए अलग से लिखकर प्रश्न पूछें।

श्री सुखबीर सिंह फरमाणाः अध्यक्ष महोदय में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि गाँवो मे जो तालाब खोदे जाते हैं उनमें नहाने के लिए छोटे बच्चे चले जाते हैं और इस प्रकार के कई हादसे हुए हैं जहाँ छोटे बच्चे तालाबों में डूबे हैं। क्या मंत्री जी इसके लिए भी

कोई प्रावधान करेगे ताकि बच्चे वही पर ठीक ढंग से नहा सके और इस प्रकार के हादसे न हों। कई गाँवो में छोटे बच्चे डूबे हैं इसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाये ताकि बच्चे डूबने से बच सके।

कैप्टन अजय सिंह यादव अध्यक्ष महोदय, इसेके लिए हम तालाबों में घाट बनवायेगे ताकि छोटे बच्चे वही पर नहा सके ओर डूबने से बच सकें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के नोटिस मे भी लाना चाहूँगा और उनसे यह पूछना चाहूँगा कि उनके विभागों में काडा और नरेगा के बीच क्या आपस में स्कीम के बारे मे तालमेल ठीक है? मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में आपस मे कोई तालमेल है। इन्होंने इस सीजन के शुरू में काडा के माध्यम से कोम शुरू किया है लेकिन जिस गति से काम चलना चाहिए था उस गति से काम नहीं चल पा रहा है। यह तो इस बार इत्तफाक से बारिश देर से आई है अगर समय पर बारिश आ जाती तो यह काम बिलकुल ही नहीं हो पाता और हम उसका काई फायदा नहीं उठा पाते। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि एक स्कीम के तहत हर गाँवों के जोहडो की खुदाई की जानी चाहिए। मेरा तो आपसे अनुरोध है खास तोर से हमारे इलाके मे, आपके इलाके मे जहाँ पर नीचे एरिड वाटर है वही पर जोहड़ो की ठीक ढंग से खुदाई करवा कर, उनकी रिटेनिंग बाल बनवाकर और जानवरो के पीने के पानी के लिए घाट भी बनवाये जाये। यह ठीक है कि इन्होंने कैथल मे 130 तालाबो को चुना हे लेकिन किसी पर भी अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है इसीलिए

हमारा यह सीजन वेस्ट हो गया। यह सिर्फ इसलिए हुआ कि इनका काडा और नरेगा के बीच तालमेल नहीं है। ये नरेगा के तहत यह काम कभी नहीं करवा पायेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। हमने उपायुक्त के साथ बैठकर जिन तालाबों को आइडैटीफाई किया है उनकी खुदाई नरेगा के तहत करवा ने का फैसला लिया है। लेकिन नरेगा स्कीम के तहत जो लेबर काम पर लगाई जाती है वह उसी गाँव की होनी चाहिए जिस गाँव का काम होता हो। लेकिन विभाग को इस काम मे दिक्कत आ रही है कि उन गाँवो से लेबर नहीं मिल रही है जिसकी वजह से यह समस्या आइ है। स्पीकर सर, जहाँ–जहाँ इस प्रकार की समस्या आयेगी वही पर काडा और सिंचाई विभाग मिलकर अपने लेवल पर विचार करेगा।

श्री रामफल चिडानाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा इन्होने कहा हे कि जहाँ पर नहर का पानी नहीं पहुंच पायेगा वहाँ पर तालाबो को बारिश के पानी से भरा जायेगा। लेकिन जिस प्रकार से इस साल बारिश नहीं हुई है अगर इसी प्रकार से किसी साल बारिश न हुई तो इस प्रकार के जोहड़ों को खोदने का कोई फायदा नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के जोहड़ वही पर खोदने चाहिएं जहाँ पर इन जोहडो को नहर के साथ जोड़ा जा सके तभी इनका फायदा उठाया जा सकता है तथा पशुओ को पानी मिल सकता है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर इन जोहड़ों की क्नैक्टिविटी नहरो के साथ है वहीं पर तो इनको नहले से भरा जा सकता है और जहाँ पर नहरो से मरना सम्भव नहीं है वहाँ तो बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। बारिश का पानी इकट्ठा हो कर तालाब भर जाते हैं। श्रीमती शकुन्तला भगवाडियाः अध्यक्ष महोदय, भाण्डौर गांव को मन्त्री जी बहुत अच्छी तरह से जानते है हरजीपुर नदी उसके नजदीक पड़ती है। गांव के सभी लोगो ने मिल कर वहा पर एक बहुत बड़ा तालाब खोदा है। इसके अलावा एक तालाब लोगों ने मनीठी गांव मे भी खोदा है। महलावास गांव का पानी भी बहुत गन्दा है। हमारे प्रयास से पब्लिक हैल्थ ने एक बार वहा से सारा गन्दा पानी निकलवा दिया था। इस गांव का सारा गन्दा पानी इस तालाब मे जाता है। जिसकी वजह से वहां की हालत बहुत खराब है। इसके कारण ही वहां पर हरिजनों के धर उिरने को हें। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन तीनो गांवों के लिए क्या मन्त्री जी ऐसा कोई प्रावधान करेगे जिससे दो गांवो मे पानी आ जाए और एक गांव में गन्दा पानी ठीक ढग से निकल जाए क्या वे इस तरह की कार्यवाही करवाने की कृपा करेगे?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर महलावास गांव के बारे में जो इन्होंने कहा है उसको हम पानी साफ करने वाली स्कीम में ले लेगे और उसमे बाकायदा पार्टिशिन करवा देगे ताकि हाफ हिस्से मे साफ पानी आ जाए। (विघ्न) यह छोटा हो या बड़ा इसमे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह गांव नहर के नजदीक है तो हम इस पौण्ड में एक

बड़ी दीवार की कस्ट्रक्शन करवा देगे जिससे आधे हिस्से में साफ पानी और आधे हिस्से में गन्दा पानी रहेगा। भाण्डौर गांव की जो नहर है वह अभी अण्डर कंस्ट्रक्शन है इसलिए अभी उसमे पानी नहीं आया है। जिस वक्त उसमें पानी आएगा उस वक्त हम इसका काम भी करवाएंगे।

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): स्पीकर सर, मन्त्री जी ने यह जो परियोजना की चर्चा की है यह बहुत ही लाभदायक होगी। इस परियोजना के तहत एक हजार गांव लिये गये हैं। तालाबो में जो गन्दा पानी है वह सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गांव के घरों का जो गन्दा पानी जौहड़ो में जाता है वह हम सिंचाई के लिए और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते है और पशुओ के लिए साफ पानी का इस्तेमाल हो सके, इसका मकसद यही है।

Release of sufficient quantity of water

***1269. Shri Naresh Sharma :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to release the sufficient quantity of water in Drain No. 8 from Bhakra Head in Beri Constituency ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : No, Sir.

श्री नरेश शर्मा: सर, भाखडा हैड से ड्रेन नं० 6 मे पानी छोड़ने से झज्जर और बादली विधान सभा क्षेत्र के करीब 50 गांवों को लाभ होगा। वहां पर बारिश नहीं होती है और पिछले 30 साल से वहां पर कभी पानी नहीं आया। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी और आपसे रिक्वैस्ट करके कुछ पानी छुडवा लिया जिससे फसले सूखने से बच

गई। अगर इसमे थोडा–बहुत ध्यान रख लिया जाए तो 50–60 गांवो का काम चल सकता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव स्पीकर सर जो जे०एल०एन० फीडर कैपेसिटी 3541 क्यूसिक है। हमारी सरकार आने से पहले जो सरकार थी उसके समय मे 1500 क्यूसिक पानी उसके अन्दर चलता था जब कि हमारी सरकार आने के बाद हमने उसमे 2500 क्यूसिक पानी चलाया है इसमे भिवानी, नारनौल रिवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव के इलाको की इरिगेशन की जाती है। बेसिकली जवाहर लाल नेहरू की ड्राइंग कैपेसिटी 927 क्यूसिक है और इसमें 600 क्यूसिक पानी हम देते है। लोहारू कैनाल की ड्राइग कैपेसिटी 1379 क्यूसिक है इसमें 650 क्यूसिक पानी हम देते हैं क्योकि अवेलैब्लिटी आफ वाटर हमारे पास इतनी ही है। एस०वाई०एल० कैनाल अभी तक बन नहीं पाई है। जो ड्रेन न० 8 है यहा पर हमने दो ऐस्केप बना रखे हैं एक 83000 आर०डी० पर और दूसरी ऐस्केप अनर०डी० 31000 जे०एल०एन० पर बना रखे हैं जहां पर एक डाईनर्शन ड्रेन नं० 8 है और जब ब्रेक डाउन होता है तो पानी उसमे चला जाता है। स्पीकर सर, क्योंकि बरसात नहीं हुई है और पानी की बडी भारी मात्रा मे कमी है इसलिए अब हम कहे कि ड्रेन नं० 9 मे हम पानी छोड दें वह पॉसिबल नहीं है। वहां पर एक ऐस्केप है आर०डी० 31000, पर भिण्डावास मे भी कई दफा पानी चला जाता है। आज पानी की किल्लत है इसलिए यह मुनासिब नहीं होगा कि हम उसमे पानी डाल सकें।

Widening and Repair of Roads

***1246 Sh. Naresh Yadav :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state :-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to widen and repair the road from Ateli to Kanina; and

(b) if so, the time by whieh the work of the above-said road will bc eompleted ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Widening of this road is not required at present. There is, howevcr, proposal to repair the road.

(b) the work of repair is likely to be completed within 6 months.

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो अटेली कनीना रोड है यह बहरोड तक जाती है। यहां पर जितनी भी पंजाब से गाड़ियां आती हैं उनमे से कुछ तो नारनौल से होकर जयपुर जा रही हैं और बहुत सी गाडियां अटेली कनीना से होकर जयपुर जाती हैं। स्पीकर सर, काटी रवेडी का रोड रवराब था, उसकी वाईडनिग कर दी गई है उसी तरह से यह जो अटेली कनीना रोड बहरोड तक जाती है. उस पर भी बहुत ट्रफिक बढ़ गया है तो क्या उसकी भी वाईडनिग की जाएगी?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, यह जो अटेली से कनीना रोड है यह 3.66 मीटर थी और हमने इसको बढ़ाकर के 5. 501 मीटर चौड़ी कर दिया है तथा इस पर 3 करोड रूपए लगे हैं। स्पीकर सर, इसकी वाईडानेग और स्ट्रैंग्थनिंग 2004 –06 कै दौरान हुई थी।

जहां तक इनका सवाल इस सड़क की वाईडनिग करने का है कि इसको सात मीटर तक चौड़ा कर दे। स्पीकर सर, यह सड़क 5. 50 मटिर चोडी हे। यहा पर पर–डे पैसेजर का यूनिट 6000 पी०यू०सी है। स्पीकर सर. एक ट्रक मे 3 यूनिट होते हैं और अब तक इस रोड पर कुल 5600 पी०यू०सी० है इसलिए यह वायबल नहीं है कि हम इसको? मीटर तक चौडा करें। जहां तक इसकी रिपेयर करने का सवाल है, हमने वर्क प्रोग्राम 2009 – 10 में इसका टी०एफ०सी० स्कीम में ले लिया है। इसमे 80 लाख रूपए खर्च होंगे। आज 3. 3. 2009 को इसके टैण्डर खुल जाएंगे। हम इस काम को अलीट भी कर देगे और इनकी सड़क रिपेयर भी हो जाएगी।

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, I want to bring to your kind notice कि नरेश जी हमेशा कैप्टन साहब से प्रश्न पूछते हैं और वे इनकी मांग स्वीकार कर लेते हैं। मंत्री जी, अब सदन मे यह कहकर कि वहां पर पैसेजर्ज का यूनिट सफिसैट नहीं है इसलिए वाईडनिंग नहीं कर सकते हैं। पहले भी 'न ' कह कर इन्होने उन सड्कों का काम कर दिया और आगे वाली भी एक्सपैंड कर दी। It is a new southern Haryana nexus that is emerging.

श्री नरेश यादवः स्पीकर सर, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरा एक और सुझाव है कि जितनी भी हमारी मेन सड़कें गावो को जोड़ने वाली हैं उनमें कुछ पी०डब्ल्यू०डी० की, कुछ मार्किटिंग बोर्ड की और कुछ पंचायतो की

बनाई हुई सड़कें हैं। उन सडको पर पिछले कुछ सालो से कार्य नहीं हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि क्या उन सड़को पर भी कार्य करने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, मार्किटिंग बोर्ड की और पंचायतों की सड़के मार्किटिंग बोर्ड और पंचायते ही रिपेयर करवाएगी और जो हमारे पास सड़के हैं वे हम ही रिपेयर करवाएंगे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि हमने 2009 – 10 में सबको पर 242.68 करोड़ रूपए खर्च किए हैं। हमने सड़के वेरियस हैडज में रिपेयर की हैं। सर, 2008–09 में और 2009– 10 मे 259 किलोमीटर सड़कों की वाईडनिग और 324 किलोमीटर सड़कों की स्ट्रैंग्थनिंग की हैं और हमने टोटल 1067 किलोमीटर सड़को की वाईडनिंग और स्ट्रेंग्थनिंग करने का प्रोग्राम बनाया था। जहां–जहां तक जो सड़कें टूटी हुइ हैं वहां वहां हम पैचिंग करवाएंगे। लेकिन .सबसे बड़ी समस्या इनके इलाके में जो आ रही है वह क्वैरिज की है। वहां पर ट्रक 80–60 टन माल भरकर आते हैं जिसके कारण हमारी सडके खराब और टूट जाती हैं। कई जगह तो ट्रक वाले जैक लगा देते हैं जिस से सड़कों पर खड्डे हो जाते हैं। इसके बारे में सरकार विचार कर रही है कि जो ओवर लोडिंग है उसके०पर अंकुश लगाया जाए। स्पीकर सर, जब तक ओवर लोडिंग का मामला खत्म नहीं होगा तब तक हमारी सड़के सुराक्षित नही रह सकती हैं। यह जो यमुनानगर, करनाल और नारनौल का एरिया है वहां पर बहुत क्वैरिज चलती हैं और वहीं पर यह समस्या आ रही है।

श्रीमती सुमिता सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हू कि जब शहरों मे मेन बाजार के अंदर इनका डिपार्टमैंट सडके बनाता है तो क्या ऐसी हिदायतें दी जाती हैं कि जो शॉप्स कीपर्स द्वारा इन्क्रोचमैंट की हुई हैं उन इन्क्रोचमैंट को हटाकर सड़के बनायी जाएं? अगर इस तरह की हिदायतें दी हुई हैं तो क्या उसको कोई चौक भी करता है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, जो हमारे विभाग के लोग हें नार्मली तो वह ऐसे मामलो में पूरी निगाह रखते हैं लेकिन फिर भी यदि इनके नोटिस मे कहीं पर इनके एरिया में इस प्रकार की इन्क्रोचमैंट है तो यह बता दें, हम उसको हटवा देगे। स्पीकर साहब, हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की इन्क्रोचमैट न हो।

श्री साहिदा खानः स्पीकर साहब, तावडू से एक सड़क वाया मोहम्मदपुर–नारगपुर– नर्सिंगपुर तक जाती है। यह सड़क पहले प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना मे चौडा करने और बनाने के लिए सैंक्शन हो गयी थी लेकिन किसी वजह से या सरकार की मंशा ठीक न होने के कारण उस सडक का नाम काट दिया गया। स्पीकर साहब, यह सड़क राजीव चौक गुड़गांव से सीधी 30 किलोमीटर तक जाती है। वहा पर कंट्री क्लब भी है और क्लासिक गोल्फ क्लब भी है। इस तरह से वह सडक एक अहम सड़क है इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस सड़क को चौड़ा भी किया जाए और इसको बनवाया भी जाए। स्पीकर साहब, कई सड़के और भी हमारे एरियाज मे खस्ता हालत में हैं।

श्री अध्यक्षः साहिदा खान जी, आपका स्पैसिफिक सवाल क्या है?

श्री साहिदा खानः स्पीकर साहब, सड़कों को बनाने के बारे मे बात हो रही हैं इसलिए मै भी इसी बारे में पूछ रहा हूं क्योंकि मेरा सवाल लगा नहीं था। मैं पिछले चार–सादे चार साल से अपने सवाल लगाते लगाते थक गया हूं लेकिन मेरा सवाल नहीं लगा है।

श्री अध्यक्षः साहिदा खान जी, आपको सप्लीमैंट्री पूछने के लिए एलाऊ किया गया है, मत्री जी से आपकी स्पैसिफिक सप्लीमैंट्री क्या है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इनके नोटिस में जाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं दिया हे। इनफैक्ट अगर आप विधान सधा सैक्रेटेरिएट से चौक करें तो आपको पता चलेगा कि आज जो भी सवाल लगे हैं उनके अलावा हमारे पास कोई भी सवाल विपक्ष के द्वारा नहीं दिये गये हे। दो दिन के अंदर हमने .मुश्किल से ये सवाल लगाए हैं। विपक्ष ने कोई भी प्रश्न नहीं दिखा है। (शोर एवं व्यवधान) आज के बाद अगर विधान सभा का सैशन चलाना पड़ा तो हमारे पास कोई मी सवाल लगाने के लिए नहीं हैं। इस तरह से यह इनकी हालत है।

डॉ० सीता रामः स्पीकर साहब, हमने अपने सवाल दिए हुए है मेरे पास इस बारे में लिखा हुआ है। क्या यह झूठ है? हमारे सवाल लगाए ही नहीं गए हैं।

श्री अध्यक्षः डा० साहब, हर मैम्बर के दो सवाल ही लग सकते हैं।. आपके दो सवाल पहले थे ओर दो सवाल आज हैं इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते।

डॉ० सीता रामः स्पीकर साहब, ये गुमराह नहीं कर सकते कि हमने सवाल नहीं दिए हैं। में ने मुख्यमंत्री जी का भी बयान पढ़ा था कि हमने कोई काल अंटेशन मोशन नहीं दिया, कोई क्वैश्चन नहीं दिया। हमने सैशन से पहले अपने क्वैश्चन भी दिए थे और काल अंटेशन मोशन भी दिया था।

श्री अध्यक्षः डा०साहब, आप अपने सवालों पर इनका नाम लिख देते तो इनके नाम से वह सवाल लग जाता।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, में आपकी अनुमति से यह बात भी स्वका की जानकारी में लाना चाहता हूं कि यह पहला मौका है जब सदन शुरू होने तक विपक्ष की तरफ न तो कोई ऐडजर्नमैट मोशन आया है, न कोई काल अंटेशन मोशन आया है और न ही कोई और प्रस्ताव आया है।

डॉ० सीता रामः स्पीकर साहब, मैं खुद सैशन शुरू होने से पहले अपने क्यैश्चंज और काल अंटेशन मोशन देकर आया हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, जब सत्र चालू हो गया और जब इनके नेता आये थे तो ये उस वक्त हाथ से कागज पर चार लाईन लिखकर देकर आए थे। इस तरह से यह इनकी हालत है।

डॉ० सीता राम: स्पीकर साहब, अगर ये हेराफेरी करके हमारे क्वैश्चन न लगाएं तो मैं क्या कर सकता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डॉक्टर साहब, आपने कौन सी तारीख को अपने क्वैश्चन दिए हैं ?

डॉ० सीता राम: स्पीकर साहब, मैंने अपने क्वैश्चन टाईम पीरियड के अंदर दिए है। मैंने 31 तारीख को ये दिए थे।

श्री अध्यक्ष: 31 तारीख को तो सेशन था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला. स्पीकर सर, जब 31 तारीख को सैशन था तो ये सदन शुरू होने के बाद अपना काल अंटेशन मोशन देकर आए हैं।

डॉ० सीता राम: स्पीकर साहब, सैशन शुरू होने से पहले मैंने यह काल अंटेशन मोशन दिया था।

Shri Randeep Singh Surjewala : Dr. Sahib, is that the way ? You should have to come in advance if you want to give your motion. Give us some time to prepare the reply. You are not serious at all.

डॉ० सीता राम: स्पीकर साहब, जो क्वैश्चन दिए हैं उनको लगाया नहीं गया है।

Mr. Speaker: Dr. Sahib, please sit down. Hon'ble Member from the opposition bencbes asking the. question. आप उनको क्यैश्चन पूछने दें।

डॉ०सीता राम: स्पीकर साहब, अगर ये गलत बात कहेंगे तो मैं उसका खण्डन तो करूंगा ही। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष अब इनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाए।

डॉ०सीता राम: स्पीकर साहब, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री साहिदा खान: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस रोड को चौड़ा करने या ठीक करने का प्रावधान नहीं है?

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, जिस सड़क का इन्होने जिक्र किया है उसके बारे मे ये मुझे लिखित में दे दे। हम उस सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत लेकर आगे भेजेगे। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हू कि मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर स्पेशल पैकेज 600 करोड रूपये का इनकी दो मेन रोडज के लिए दिया है। इनकी एक सड़क गुडगांव से राजस्थान बॉर्डर तक ली है और दूसरी सड़क नूह से लेकर आगे तक ली हैं। इनके हल्के की दो सड़के 600 करोड रुपये के बजट मे से नेशनल हाइवे और एन०सी०आर० के तहत लीहें और जो सड़के हमने प्रधानमत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ली हैं उनमे 932 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इनके समय में इस मद मे मात्र 129 करोड़ रुपये की राशि पांच साल की अवधि मे खर्च की गई थी। पिछले दिन भी अध्यक्ष महोदय साहिदा खान जी ने रैस्ट हाउस का मसला उठाया था और कहा था कि तावडू मे इरीगेशन का जो कैनाल रैस्ट हाउस है वहां बिजली का कनेक्शन

तक नहीं है। जबकि अध्यक्ष महोदय, वहां पर 70 लाख रुपये की लागत से रिपेयर वर्क चल रहा है। यह ठीक है कि वह रेस्ट हाउस बुरी हालत मे था। रिपेयर चल रही है बिजली का कनैक्शन वहां बाकायदा इस्टाल्ड है। कहा दूसरा रैस्ट हाउस है उसमे भी 60 लाख रुपये की लागत से रिपेयर का काम चल रहा है। डी०पी०सी० तक काम कर दिया है। मुख्यमत्री जी ने छ मे सर्किट हाउस भी सैंक्शन किया है। अध्यक्ष महोदय, साहिदा खान जी के क्षेत्र मे काम तो बहुत हो रहे हैं लेकिन ये अपने एरिया में जाकर, फील्ड मे जाकर काम देखते ही नहीं है इनके पास इन कामो को देखने का समय ही नही है। नूह के रैस्ट हाउस मे अभी भी काम चल रहा है और डी०पी०सी० तक काम हो गया है।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी वहां गए थे 4 लेन का रोड वहा बनना था लेकिन अब वह 2 लेन का बन रहा है। आप हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप लिखकर भिजवा दे तो अब जो सड़के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ली जाएंगी, उनमे उनके नाम भिजवा देगे।

श्री बलवन्त सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के सढौरा मे सोम नदी है क्या उस पर पुल बनाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

श्री अध्यक्षः यह सवाल सडकों के बारे है न कि पुलों के बारे में है।

श्री बलवन्त सिंहः अध्यक्ष महोदय, पुल भी उसी मे आ जाते हैं।

श्री अरजन सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि वैसे तो मेरा सवाल ओवरलोड से संबंधित ही है और मंत्री जी ने ओवरलोड के बारे मे जवाब दे दिया है। स्पीकर सर, मेरे हल्के मे जो सड़के बनी हैं उनका बनाने में तो बहुत समय लग जाता है लेकिन तोड़ने मे दो घंटे का समय भी नहीं लगता है। इतना ज्यादा वहा ओवरलोड है। ओवरलोड की वजह से ही समस्या हैं।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी ने ओवरलोडिंग के बारे में अपने जवाब मे बता दिया है। यह क्यैशचन ऑवर है, बीच मे मरमरिग न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रमेश गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट मे थानेसर ओर लाडवा हल्के की सड़को की पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा मरम्मत होनी बाकी है। ये सड़के काफी खस्ता हालत मे हैं स्पैशली लाडवा से मुस्तफाबाद रोड पर तो चलना भी मुश्किल है और कुरुक्षेत्र से डांड रोड बहुत ही बुरी हालत मे है। इन सड़को की रिपेयर कराने का क्या कोई प्रावधान है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र से डांड रोड को तो हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना और नाबार्ड मे ले लिया है। बाकी की जो सडकें बताई हैं उनके बारे मे माननीय सदस्य सेपरेट नोटिस दे दे तो ऐग्जामिन करके जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, गुप्ता जी का सड़कों की रिपेयर के बारे मे जनरल क्वैशचन है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, इस साल 2009–10 मे सबकों की जनरल रिपेयर के लिए हमने बजट मे बाकायदा 1540 करोड़ रुपये का बजट ऐलोकेशन रखा है और इस राशि से सडको की रिपेयर का काम कर रहे हैं और जहां–जहां सड़कें खराब हैं वहां रिपेयर करवा देंगे।

श्री अध्यक्षः मत्री जी, गुप्ता जी के हल्के की सड़को की हालत वाकई काफी खस्ता है इसलिए इनको प्रायोरिटी पर रिपेयर करवा दें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः ठीक है स्पीकर सर।

श्री सोमवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जान ना चाहता हूं कि लोहारू के अंदर पंचायत डिपार्टमैंट के द्वारा दस साल पहले लोहारू से ढाणी अकबरपुर तक रोड बनाई गई थी उसकी हालत खराब है क्या इनकी पी०डब्ल्यू० डी० द्वारा दोबारा से रिपेयर का गंत्री जी आश्वासन देंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी सड़के पंचायत डिपार्टमेट ने बनवाई थी उसमें से ज्यादातर सड़के अब हमने ले ली हैं कुछ हमने रिपेयर कर दी है और कुछ के ऐस्टीमेट्स बनवा रहे हैं। एकदम से सारा काम इकट्ठा नहीं हो सकता। इनके एरिया में इस प्रकार की सड़कें ले लेगे। ये हमें लिखकर दे दें तो हम रिपेयर करवा देंगे। लाडवा के बारे में जो रमेश गुप्ता जी नें कहा था उसके लिए 100 करोड़ रुपये ऐलोकेट कर चुके हैं और उन सड़कों की रिपेयर भी करवा देगे।

श्री हरि राम बाल्मीकिः अध्यक्ष महोदय, जिन सड़कों की रिपेयर करवाई गई है मंत्री जी ने उनकी लिस्ट बताई है। हमारी कैमलगढ वाया भदाणी एक सड़क है जो काफी टूटी पडी है। कैमलगढ़ झज्जर से 7 किलोमीटर पड़ता है और वाया रासलवाला से 10 किलोमीटर पड़ता है। 14 गांवों का खेड़ी आसरा में काज था, कल जब मैं वहां गया था तो मैंने उस सड़क की हालत देखी थी। उस सड़क की हालत बहुत खराब थी। जब झज्जर से भदाणी जाते हैं तो 3 किलोमीटर कम का सफर पड़ता है ओर वाया रासलवाला वाले रास्ते से जाते हैं तो 10 किलोमीटर पड़ता हे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां की इस सड़क को कब तक रिपेयर करवा देगें?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क का इन्होने जिक्र किया है इस सड़क की हम रिपेयर करवा देंगें। मैं यह तो नहीं कहता कि सारी सड़को की रिपेयर हो गई है। कुछ सड़को की

रिपेयर हो गई है और कुछ सड़को की रिपेयर का काम प्रोसैस में है। सडके समय– समय पर टूटती रहती हें लकिन हमने प्रदेश में ज्यादातर सड़को की रिपेयर करवा दी है। (विध्न)

सुखबीर सिंह जौनपुरियाः अध्यक्ष महोदय. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सोहना घाटी है और उस घाटी मे सड़क की वाइडनिग न होने के कारण वहां जाम लगा रहता है। उस सड़क को चौड़ा करने की प्रपोजल हमने यहां कई बार रखी है लेकिन उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। अभी यहां तावड़ू के रैस्ट हाउस मे बिजली का कनेक्शन न होने का जि क्र आ रहा था तो उस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तावड़ू के रैस्ट हाउस में बिजली का कनेक्शन भी है और वहां एक टयूबवैल के लिए बोरिंग भी हो गई है। तावड़ू मे अभी 3 दिन पहले मार्किटिंग बोर्ड के एक रैस्ट हाउस का भी शिलान्यास कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक रोडस की बात है तो तावड़ू में पिछले 6 महीनों से 238 करोड़ रूपये की लागत से तावडू से नूंह–पटौदा–पटौदी तक सड़क बन रही है। 90 करोड़ रूपये की लागत से 71 बी० सड़क बन रही है जो सोहना तावड़ू और भिवाडी जाती है। अध्यक्ष महोदय, कोटा सिराय रोड की यहा बात आई। मंत्री जी शायद देख नहीं पाए इसलिए इस बारे मे मैं बताना चाहूंगा कि इसकी 20 किलोमीटर रोड पहले सैंक्शन कर दी गई थी और उसके लिए 19 करोड़ 8० लाख रूपये सैंक्शन हो गए हैं। कोटा सिराय से तावड़ू तक की एक और सड़क के लिए 20 करोड़ रूपये सैक्शन हो गए हैं। इस प्रकार टोटल 40 करोड़ रूपये सैंक्शन हो गया।

मंत्री जी शायद देखेगे तो इस बारे में बता देंगें कि ये रोडस भी बहुत जल्दी बनने जा रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे साहिदा साहब फील्ड मे नहीं रहते इसलिए इनको नहीं पता कि तावडू में कितने काम हो रहे हैं जैसा कि जौनपुरिया जी ने जिक्र किया। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please maintain the silenee क्योकि इम्पोटैंट क्वैश्चन आवर चल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष जी, जौनपुरिया जी ने सोहना घाटी की बात की है कि वहां काफी कजेशन होता है। यह सड़क नैशनल हाइवे के अंदर आती है। इस सड़क को चोड़ा करने के लिए हमने केस नैशनल हाइवे अथोरिटी को भेज रखा है। इस सड़क को चौड़ा करने के लिए पहाड़ को काटना पडेगा। सैंटर में इस सड़क को चौड़ा करने का प्रपोजल भेज रखा है। जैसे ही हमे वहा से सैंक्शन मिल जाएगी हम यह काम शुरू कर देंगें। अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि घाटी की वजह रो इस सड़क की वाइडनिग नहीं हो पाई और दिक्कत रहती है। बाकी सड़क की वाइडनिंग का काम हो गया है और जो थोड़ा सा पोर्शन रहता है उसके लिए केस भेज दिया है। हमें जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी, यह काम शुरू करवा देंगे।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमारे मुस्तफाबाद से लाडवा को

एक? सड़क जाती है उसको चौडा करने का क्या कोई प्रस्ताव सरकार के पास है और इस सड़क को कब तक रिपेयर करवा देगे? (विध्न)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जिस सड़क का जिक्र किया है उस सड़क को किसी योजना के तहत लिया गया है या नहीं इसके आकड़े मेरे पास इस समय एवेलेबल नहीं हैं क्योकि यहां जितनी सड़को के बारे मे पूछा जा रहा है ये सारे इस सवाल से रिलेटिड नहीं है। इस सड़क को अगर किसी योजना के तहत नहीं लिया गया है तो अगली बार जब हम प्रपोजल भेजेगें तो हम किसी न किसी स्कीम के अदर चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या फिर किसी और योजना के तहत ले लेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, बहुत से प्रश्न मुखतलिफ सड़को के बारे मे, माननीय सदस्य यहां लेकर आए हें। वाजिब है कि मंत्री जी सारी इन्फर्मेशन एक दिन मे लेकर नहीं आ सकते। कई सौ गुना बजट माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सडको के लिए बढ़ाए हैं। फिर भी किसी की कोइ जिज्ञासा है या कोई प्रश्न हैं तो बेहतर रहेगा कि माननीय सदस्य लिखकर मंत्री जी को भिजवा दे और मंत्री जी समय सीमा के अंदर लिखकर सूचित कर देंगे कि हम कब तक सड़को की रिपेयर कर पाएंगे।

Deaths due to Accidents

***1252 Dr. Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state the Districtwise. monthwise details of deaths oeeurred due to road aecidents in the State since April, 2007 till date ?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : A statement showing the districtwise/monthwise details of deaths occurred due to road accidents in the State from April, 2007 till date is laid on the Table of the House.

Statement

Sr. No.	Distt.	Year	Jan.	Feb.	March	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ambala	2007	-		-	19	23	24	31	26	22	29	16	18	208
		2008	24	15	16	26	9	19	13	18	30	25	18	26	239
		2009	15	12	17	20	18	24	13	-	-	-	-	-	119
2	Panchkula	2007	-	-	-	9	5	9	11	9	5	11	11	13	83
		2008	18	13	17	17	12	3	12	7	10	16	14	14	153
		2009	8	17	5	15	5	6	-	-	-	-	-		56
3	Kurukshetra	2007	-	-	-	21	19	7	13	13	14	28	26	19	160
		2008	19	23	25	13	17	17	26	12	27	14	14	22	229
		2009	22	21	11	25	19	15	11	-	-	-			124

4	Kaithal	2007	-	-	-	10	6	6	6	10	11	13	8	15	85
		2008	11	7	8	9	9	12	10	5	11	14	13	11	120
		2009	7	10	8	11	12	16	6	-	-	-	-	-	70
	Yamunan agar2007			-	-	19	12	12	9	15	17	12	20	23	139
		2008	24	11	12	10	20	10	8	8	16	17	17	11	164
		2009	20	16	17	20	10	16	2		-	-	-	-	101
6	Rohtak	2007	-	-	-	23	20	21	13	19	14	16	24	31	181
		2008	14	15	28	17	18	16	21	20	15	20	13	19	216
		2009	13	20	27	12	26	10	-	-	-	-	-	-	108
7.	Panipat	2007	-	-	-	15	22	15	24	11	34	20	20	26	187
		2008	25	20	10	20	24	11	28	14	20	19	20	16	227
		2009	16	17	24	23	24	28	12			-	-	-	144
8	S one pat	2007	-	-	-	12	25	24	31	33	26	25	37	16	229

		2008	17	31	31	31	34	24	33	26	23	36	36	28	350
		2009	25	25	21	24	29	13	18	-	-	-	-	-	155
9.	Jhajjar	2007		-	-	16	14	13	11	15	15	10	12	21	127
		2008	14	6	16	14	20	18	7	18	15	15	15	23	181
		2009	15	13	14	15	15	14	9	-	-	-	-	-	95
10.	Karnal	2007		-	-	29	24	26	22	22	26	35	24	19	227
		2008	23	15	19	29	24	20	26	20	23	32	30	31	292
		2009	15	18	18	18	16	23	16	-	-	-	-	-	124
11.	Hisar	2007		-	-	16	13	11	24	19	15	23	16	19	156
		2008	9	11	22	16	14	1 7	6	22	10	41	17	15	200
		2009	18	19	22	12	21	19	9	-	-		-	-	120
12.	Sirsa	2007			-	9	12	8	3	6	13	6	11	12	80
		2008	7	17	12	22	12	11	18	7	12	10	25	12	165

		2009	2	9	15	21	10	7	7	-	-		-	-	71
13.	Jind	2007		-	-	10	11	14	21	II	17	16	20	15	135
		2008	20	22	15	:18	16	4	11	12	11	23	10	11	173
		2009	12	5	18	18	17	26	11	-	-	-	-	-	107
14.	Bhiwani	2007	-	-	-	18	25	21	13	19	18	23	18	21	176
		2008	20	19	18	15	17	8	14	17	22	27	14	19	210
		2009	17	13	16	17	11	25	12	-	-	-	-	-	111
15.	Fatehabad	2007	-	-	-	8	7	10	9	12	11	14	8	13	92
		2008	9	7	9	7	8	7	8	8	12	8	8	11	102
		2009	7	15	6	10	13	13	-	-	-	-	-	-	64
16.	Faridabad	2007	-	-	-	20	18	23	30	30	26	21	25	26	219
		2008	24	21	22	29	34	32	17	14	26	22	25	21	287
		2009	19	19	23	30	30	27	18	-	-		-	-	166

17.	Narnaul	2007	-	-	-	5	22	18	6	10	11	13	12	15	112
		2008	11	10	22	18	15	6	9	8	11	20	13	13	156
		2009	8	8	19	8	12	26	12	-	-		-	-	93
18.	Rewari	2007	-	-	-	19	17	19	29	18	15	16	16	29	178
		2008	13	19	21	18	27	13	20	27	8	21	20	27	234
		2009	24	20	18	13	25	19	13	-	-		-	-	132
19.	.Mewat	2007	-		-	16	8	18	12	8	16	10	8	7	103
		2008	5	10	12	9	3	11	3	7	5	12	7	7	91
		2009	4	9	7	10	14	8	10	-	-			-	62
20.	Palwal	2007	-		-	23	13	14	24	17	12	17	18	20	158
		2008	13	25	17	21	18	14	21	14	14	25	14	19	215
		2009	12	13	15	16	33	22	10	-	-			-	121
21.	East GGN	2007	-		-	7	11	17	16	10	12	9	19	12	113

		2008	11	10	13	19	9	14	10	10	10	10	7	11	134
		2009	13	6	8	10	2	14	9	-	-			-	62
22.	West GGN	2007	-		-	18	14	8	7	18	11	13	8	8	105
		2008	12	10	16	14	10	12	16	10	7	13	7	5	132
		2009	7	12	9	9	7	5	5	-	-			-	54
23.	South GGN	2007	-		-	7	10	14	18	17	13	11	20	17	127
		2008	12	14	17	13	27	13	15	17	14	20	18	14	194
		2009	9	9	7	13	20	23	7	-	-			-	88
	Total		663	677	743	1124	1134	1066	945	689	726	851	772	801	10191

डॉ० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के जवाब मे मंत्री जी ने जो डाटा दिया है उसके मुताबिक पिछले तीन साल मे 10, 191 लोगो की डेथ रोड एक्सीडैंट्स में हुई है। (विध्न) अध्यक्ष महोदय. इस तरह से आज के दिन सबसे ज्यादा डैथ्स रोड एक्सीडैंट्स के कारण हो रही हैं जो कि हमारे लिए चिंतनीय बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हू कि रोड एक्सीडैट्स को कम करने के लिए सरकार ने कौन–कौन से इफैक्टिव मैयर्ज उठाये हैं ताकि रोड एक्सीडैंट्स को कम किया जा सके।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आपको माननीय सदस्य की चिंता से जोड़ता हूं। यह बात वाजिब है कि फेटल और नॉन फेटल, रोड एक्सीडैंट्स मे पिछले कई सालो से बढ़ौतरी हो रही हे। मेरे पास 2001 से लेकर आज तक के सभी आकड़े उपलब्ध हैं इनमे हर वर्ष वृद्धि हो रही है। यह पूरे सदन के लिए एक चिंतनीय विषय है। रोड एक्सीडैंट्स को कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई पोलिसी डिसीजन लिये हैं और कुछ दूरगामी निर्णय भी लिये है। अध्यक्ष महोदय, 22 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन नैशनल हाईवेज पर स्थापित किए हैं ताकि ट्रैफिक को रैगूलेट किया जा सके। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक हाईवेज, हैडक्वार्टर करनाल मे बनाया गया है जहां पर एस०पी० लैवल के अधिकारी को ए०आई०जी० ट्रैफिक लगाया गया है। इसके अतिरिक्त इन्टीग्रेटिड स्टेट लैवल ट्रैफिक प्लान फाईनलाईज्ड

किया गया है। जिसको हर जिले में लाग किया जायेगा। इस प्लान के कुछ फीचर्ज हैं जिनके बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि–

(i) With the help of infusion of technology implementation of traffic rules on national and State highways, an effort is bcing made to regulatc and also as to prevent accidents;

(ii) To identify aeeidents-pronc areas and eonsequent remedial measurcs;

(iii) To regulate traffic, maintenance/ road widening work is in progress;

(iv) To remove road engineering defects;

(v) To curb menace of overloading of commercial and passengers vehicles;

(vi) To ensure quick response of concerned medical aid units;

(vii) To ensure quick spot-visits by the staff of the concerned police stations alongwith crane and ambulance and remove obstruction for smooth regulation;

(viii) To divert traffic through alternative routes when requires;

(ix) To make proper lightening arrangements in for and darkness situations;

(x) To initiate stimulus action;

(xi) To eateh offcnders of road accidents; and

(xii) To educate people regarding traffic rules.

और अध्यक्ष महोदय, 22 ट्रैफिक पुलिस स्टेशज हैं, ट्रैफिक पुलिस पोस्ट्स हैं जिनके बारे मे गैंगे चर्चा की हे उनमे ये सुविधाएं दी गई हैं –one ambulance with para-medical staff, cranes, gypsies, motor-cycles, alcohol-censors, speed radars, camcras. और कई बार एक्सीडैंट्स मे गाड़ी को काटकर विक्टीम्ज को निकालना पड़ता है उसके लिए भी saw मशीने दी गई हैं। इसके अतिरिक्त हाई–स्पीड इंटरसैप्टर हमने भारत सरकार से भी लिये हैं और स्वयं भी प्रोवाईड किए हैं। इससे पहले दो हाई–स्पीड इंटरसैप्टर Ministry of Shipping and Road Transport, Government of India से 2006 मे मुख्यमंत्री जी की इंटरवैंशन से परचेज किये थे। इसके बाद हरियाणा सरकार ने 14 हाई स्पीड इंटरसैप्टरज लगाये है ताकि ओवर स्पीडिंग व्हीकल्ज को रोका जा सके। इसके अलावा 27 एम्बुलैंस भी प्रोवाईड की गई। ये भी हमने मिनिस्ट्री ऑफ शीपिंग एंड रोड ट्रांसपोर्ट की मदद से ली हैं। इनमे से सात एम्बुलैंस हमारे पास आ भी गई हैं जो इस समय चालू हैं और पैरा–मैडीक्स स्टाफ की सुविधा भी उसके अन्दर मोजूद है। एक स्टेट ट्रैफिक कट्रोल रूम की भी हमने करनाल मे स्थापना की है। जिसके फिक्स नम्बर्ज हैं। जैसे पहले मैंने आपको हेल्थ डिपार्टमैंट की रैफरल ट्रांसपोर्ट सर्विसिज के बारे मे बताया था, यह भी उसी प्रकार की फेसीलिटी है। स्टेट ट्रेफिक कंट्रोल रूम के जो मोबाईल नम्बर्ज हैं वे हैं 9991066666, 1033, 1073. इसके अलावा लैंड लाईन नम्बर अलग से हें। हम इन्हे पब्लिसाईज

करते हैं कि कभी भी कोई एक्सीडेंट हो तो उस स्थिति में जिस सुविधा की एमरजैंसी मे जरूरत होती है वह हम समय पर दे पाये। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ स्कूलो से ही हमें रोड सैंस ओर ट्रैफिक सैंस और सिविक सोसायटी के नागरिको के अन्दर इनकलकेट करने की आवश्यकता है क्योकि आखिर मे रोड पर चलने की जो सुव्यवस्था है वह सड़क पर चलने वाले यात्री और वाहन चलाने वाले व्यक्ति ही कर पायेगे। सरकार सिस्टम्स बता सकती है। जहां तक सिविक सोसायटी में रोड और ट्रैफिक सेंस पैदा करने की जरूरत की बात है उसमें समाज के जिम्मेदार लोगो के साथ–साथ चुने हुए जा प्रतिनिधियों का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसमे विपक्ष मे बैठे मेरे काबिल दोस्त और उनके दल का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।

डॉ० सीता रामः स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह बहुत ही अच्छा है कि किस तरीके से उन्होंने प्रदेश मे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए स्टैप्स उठाये हैं। स्पीकर रार, मेरा प्वायंट यह है कि सबसे पहला स्टैप यह है जो कि बेहद जरूरी है कि जहां से हैवी व्हीकल और लाईट व्हीकल के ड्राईविंग लाईसैंस बनते हैं वहां पर बड़ी भारी गड़बड़ी है, वहां पर बिना किसी प्रॉपर वेरीफिकेशन के, बिना किसी की ड्राईविंग को प्रॉपरली देखे और ट्रैफिक रूल्ज की जानकारी न रखने वाले लोगो के भी ड्राईविंग लाईसैंस बना दिये जाते हें। ऐसे लोग जब रोड्ज पर आते हैं तो वे ज्यादा एक्सीडेंट्स के कारण बन जाते हैं। इस सारे

सिस्टम को अफैक्टिव बनाने के लिए माननीय मंत्री महोदय क्या स्टेप्स उठाने जा रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात पूरी तरह से वाजिब है कि हमे इस ओर और ज्यादा सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। लरनर्ज और दूसरे ड्राईविंग लाईसैंस इश्यू करते समय, खास तौर से जो कमर्शियल और दूसरे बड़े व्हीकल्स हैं उनके ड्राईविंग लाईसैंस बनाते समय हमे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी क्योकि हमारे यहा सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स एच०टी०वी० के कारण ही होते हैं इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने हमें आज से तकरीबन तीन वर्ष पहले निर्देश दिये थे कि इस हेतु स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाने के लिए हम अपने यहां विशेष ड्राईविंग ट्रेनिंग इंस्टीच्युट्स की स्थापना करें। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमने मारूति उद्योग लिमिटेड और अशोक लीलैंड नामक दो बड़ी कम्पनियों को इस प्रोसैस में इनवॉल्व किया। हम हरियाणा में बहादुरगढ़, रोहतक और गढ़ी पाडला (कैथल) में तकरीबन 12 – 12 और 15– 15 करोड़ रूपये की लागत से ड्राईवर्ज ट्रेनिंग स्कूल सेट–अप कर रहे हैं। मारूति उद्योग लिमिटेड ने अपने बहादुरगढ़ और रोहतक के ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट्स मे काफी कंस्ट्रक्शन कर ली है और अशोक लीलैंड ने भी गढ़ी पाडला (कैथल) में काम शुरू कर दिया है। हमारा अनुमान है कि इन ड्राईविंग ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट्स में जो हम शॉर्ट टर्म और लीग टर्म ड्राईविंग ट्रेनिंग कोर्सिज करवायेंगे उनकी

ट्रेनिंग लेकर प्रति वर्ष 7 से 10 हजार प्रत्येक इंस्टीच्यूट के हिसाब से ट्रेंड ड्राईवर्ज निकल पायेंगे। जैसे ही ये तीनों ड्राईविंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट्स, जिन्हें हम पब्लिक–प्राईवेट पार्टनरशिप मे इनीशिएटिव ज्वायट सोसायटी बनाकर चालु करने जा रहे हैं, शुरू हो जायेंगे तो उनसे लगभग 3० हजार लोग ड्राईविंग से सम्बंधित शॉर्ट टर्म और लीग टर्म डयूरेशन कोर्सिज कर सकेगे। इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर और सभी डिप्टी कमिश्नर्ज इस मामले मे पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि सभी प्रकार के लाईसैंस निर्धारित नियमो और हिदायतों के अनुरूप ही दिये जाये। हमारी यह भरपूर कोशिश रहती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ड्राईविंग लाईसैंस न मिले जिसको गाड़ी चलानी न आती हो। इसके बावजूद भी अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो हम आवश्यक कार्यवाही करते है। शिक्षा मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): स्पीकर रनर, जहां तक रोड एक्सीडैट्स का सम्बन्ध है प्रतिदिन सैंकड़ों की संख्या मे हरियाणा रोडवेज की बसें भी सड़को पर चलती हैं। कभी टेक्नीकल फॉल्ट की वजह से, कभी दूसरों की गलती से और कभी अन्य अनेक कारणो से हमारे ड्राईवर्ज द्वारा पूरी सावधानी बरतने के बावजूद भी एक्सीडैंट्स हो जाते हैं लेकिन माननीय सदस्यो और पूरे सदन को यह जानकर खुशी होगी कि एक्सीडैंट्स के बारे मे सैंट्रल गवर्नमैंट की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक गत वर्ष पूरे देश में हरियाणा रोडवेज की बसो से सबसे कम एक्सीडैंट्स हुए हैं। श्री एस०एस०सुरजेवाला: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के

ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये जो एक्सीडैंट्स होते हैं वैसे तो इनके बहुत से ज्ञात और अज्ञात कारण मौजूद हैं लेकिन मेरे विचार से एक्सीडैंट्स का एक मेन कारण यह भी है कि चाहे किसी प्राईवेट स्कूल की बिल्डिंग है, चाहे किसी गैर सरकारी संस्था की बिल्डिंग हो, यहां तक चाहे कहीं पर शराब का ठेका हो इन सभी ने अपने स्तर पर लिंक रोड्ज के साथ–साथ प्रदेश की मुख्य सड़कों पर भी स्पीड ब्रेकर बनाये हुए हैं। ओर वे इतने खराब हैं, इतने खतरनाक हैं कि अगर कोई मोटरसाईकल सवार वहाँ से गुजरता है तो वह गिर पड़ता है क्योकि उस पर कोई निशान नहीं लगाया हुआ है और उसकी मौत हो जाती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन स्पीड ब्रेकर्स को रैगूलेट करेगी ? अध्यक्ष महोदय, स्पीड ब्रेकर दो प्रकार के होते हैं एक तो बिजली का टूटा हुआ खम्बा नीचे दबा देते हैं और उसके०पर थोड़ी सी सिमेंट लगा देते हें। यह बहुत ही खतरनाक है। इस प्रकार के ब्रेकर लोग अपने–आप बना लेते हैं उनको पी०डब्ल्यू०डी० ने नहीं बनाया। लेकिन पी०डब्ल्यू०डी० वाले उन ब्रेकरों को तोड़ते भी नहीं है। दूसरे आजकल रम्बल बनाने लग रहे हैं शायद आपको भी पता होगा। ये भी बहुत खतरनाक होते हैं। वे बहुत नजदीक–नजदीक बनाये गये हैं। ये गाड़ियाँ तोड़ने के लिए ही बनाये गये हैं। जब गाड़ी इनके०पर से उतरती है तो पूरी गाड़ी हिल जाती है और उसका टूटने का खतरा बना रहता है। फ्रैंडली तो वह अच्छी बात हो सकती है। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इस सारी बात को देखेगी, इसको संयोजित करेगी, इसको रैगूलेट करेगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस समस्या को लेकर सरकार सजग है और इस बारे में उच्चतम न्यायालय का आदेश भी आया है। इस सम्बन्ध में सही जानकारी तो पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर ही दे पायेगे लेकिन मुझे जानकारी है कि पूरे प्रान्त मे जहाँ इस प्रकार के स्पीड ब्रेकर है जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको हटाया भी है। यहाँ तक कि बी०एण्ड आर० विभाग द्वारा बनाये गये स्पीड ब्रेकर जिनकी आवश्यकता नहीं थी को भी हटाया गया है। रम्बल स्ट्रीप्स की कई जगह आवश्यकता है लेकिन हम यह सुनिश्चित करेगे कि वह मापदड के अनुसार हों और उससे एक्सीडैंटस का खतरा न हो। इसके अलावा मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूँगा कि विशेष कोशिश करके जो कंजस्टिड एरियाज थे –दौरने पानीपत, अम्बाला सिटी और अम्बाला कैन्ट एरिया था जहाँ पर पहली बार हमने वर्टिकल सड़के बनाई हैं। उनके०पर बहुत खर्चा आया है। अकेले पानीपत पर ही तकरीबन 300 करोड़ रूपये का खर्च आया है। इसी प्रकार से अम्बाला सिटी, अम्बाला कैन्ट दोनों में वर्टिकल सड़के चालू कर दी गयी हैं। समालखा मे भी हम बना रहे हैं। हमारी कोशिश यह है कि जहाँ ह्यूमन प्रॉब्लम है वहीं पर हम भारत सरकार की मदद से सड़क को वर्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे है और जहाँ तक मुझे मालूम है लगभग एक हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा के तो हम पलाई ओवर बना चुके हैं और सिटीज के अन्दर भी जहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम है हम फ्लाई ओवर बना रहे हैं। इस प्रदेश के अन्दर जहाँ पिछले उठ

सालो मे 25–26 पलाई ओवर बने हैं वहीं पिछले साढ़े चार साल मे 68 पलाई ओवर बन चुके है या उनके०पर काम चालू है। तो हम इस बात को लेकर बहुत सजग हैं। श्री कर्ण सिंह दलाल अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होने एक्सीडैंटस की संख्या बताई है कि कितनी मौते एक्सीडैंट्स के माध्यम से होती हैं। जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते है उनकी जमानत न हो क्या इस बारे मे भी सरकार इस प्रदेश मे कोई नया कानून लाग करेगी? दूसरे मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूँगा कि जब एक्सीडैंटस मे किसी की मौत हो जाती है और उसके परिजनों को कोई शिकायत नहीं होती और वे चाहते हैं कि उसकी डैड बॉडी का पोस्टमार्टम न हो तो क्या मंत्री जी इस प्रकार का कोई प्रावधान करेंगे कि बिना पोस्टमार्टम किये ही पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया जाये?

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, इस बारे में तो सैन्ट्रल एक्ट है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, कई स्टेट्स में इस प्रकार का प्रावधान है कि एक्सीडैंटस के बाद अगर परिजन सहमत हों तो उनको कम्पनसेशन मिलता हे और, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो पृथक प्रश्न पूछे हैं। पहला ड्रंकन ड्राइविंग का है, यह वाकई एक विशेष समस्या है। खास तौर से पलवल से दिल्ली के बीच में यह विशेष समस्या है। चूंकि यह हाईवे है इस वजह से हाईवे पर यह समस्या और ज्यादा हो जाती है। इस बारे मे मुझे नहीं लगता कि इरा सदन में कोई दोराय होगी और हम इस पर जरूर विचार करेंगे। जहाँ तक उनके दूसरे प्रश्न का संबंध है कि पोस्टमार्टम न करवाने का तो इस बारे में कई प्रकार की कानूनी कम्पलीकेशन्स हैं। जब किसी की डैथ हो जाती है तो परिवार चाहता है कि अगर पार्थिव शरीर जल्दी मिल जाये तो हम जल्दी से जल्दी अंतिम सरकार कर पाये। लेकिन बाद मे उसकी मल्टीपल रैमिफिकेशन्स हैं इसमें इकोनॉमिक भी और लीगल भी दोनो तरह की रैमिफिकेशन्स हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं होगा।

श्रीमती सुमिता सिंह अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि यहा भी जो उन्होने डयू टू एक्सीडैंटस डैथस की डिस्ट्रिक्ट वाईज डिटेल दी है पिछले साल उसमे सब ज्यादा ऐक्सीडैट्स सोनीपत जिले में हुए हैं जो करीब 350 हैं। मैं उसका कारण यह मानती हूं कि पिछले 2–3 साल से जो फ्लाई ओवर बन रहे हैं और रोडज की वाईडनिंग हो रही हैं इनमे काण्ट्रैक्टर की तरफ से कोई टायवर्शन मार्कर नहीं लगाए गए हैं और रों–मैटीरियल सड़कों पर पड़ा है। इस कारण

जो एक्सीडैंट्स होते हैं क्या उनके लिए काण्ट्रैक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही करते है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, माननीय सदस्या का सवाल वाजिब है। इसके बारे में हमने कदम उठाए हैं। माननीय सदस्या अभी चौक करेंगे तो पाएंगे कि जहां पर ओवर ब्रिजिज बन रहे हैं साईड रोडज से ट्रैफिक गुजर रहा है सरकार के द्वारा विशेष ऐफर्टस करके वे रोडज क्लीयर करवाई गई हैं। हालांकि यह नैशनल अथोरिटी के नीचे आता है ओर उसमे हमारी सीधी दखल अन्दाजी नहीं है परन्तु हमने नैशनल हाईवे अथोरिटी से कोआर्डिनेट करके यह सुनिश्चित किया है कि ट्रैफिक के लिए साईड रोडज क्लीयर होनी चाहिएं। अगर किसी विशेष काम करने वाली सड़क पर किसी की लापरवाही से एक्सीडैंट होता है तो सिविल और क्रिमनल दोनों उसकी लॉयब्लिटीज हैं और अगर ऐसी कोई कम्पलेट होगी तो हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लाईफ इन डेंजर का मुकद्दमा दर्ज करने के लिए तेयार हैं। जब भी कोई ऐसा केस कोई व्यक्ति या परिवार या ऐनलाईटन सिटीजन –ले कर आएगा तो कॉण्ट्रेक्टर के खिलाफ हम केस दर्ज करेंगे। जहां तक सिविल लायब्लिटीज का प्रश्न है, उनकी मर्जी है वे कोर्ट में जा कर पैसा ले सकते हैं।

Construction of Bus-Stand

***1259. Shri Ishwar Singh :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal

under consideration of the Government to construct a New Bus Stand at Radour; if so, the time by which the samc will be constructed ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): नहीं, श्रीमान जी, रादौर में नया बस–स्टैंड बनाने की अभी कोई प्रपोजल नहीं है।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे क्या कारण हैं कि रादौर में नया बस–स्टैंड नहीं बनाया जा सकता ?

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, नया बस–स्टैंड बनाने के लिए कुछ नार्म्स हैं जहां कुछ बसों के नाईट हॉल्डस हो और दूसरे नार्म्स पूरे होते हैं उस अवस्था को समझते हुए बस–स्टैंड बनाए जाते है।

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, बस–स्टैंड का कोई छोटा–बड़ा साईज भी होता होगा। अगर सम्भव हो तो वहा पर छोटा बस–स्टैंड ही बनवा दें।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, रादौर में दोनों साईडजु पर बस–क्यू शैल्टर्ज बने हुए हैं और वहां पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। बसें वहां पर क्रॉस करती हैं और लोगों की सुविधा के लिए और आराम करने के लिए वहां पर बहुत बड़े क्यू–शैल्टर बने हुए हैं। (विघन)

श्री ईश्वर सिंह पलाका: स्पीकर सर, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि वहां पर बस–स्टैड की जरूरत नहीं है। स्पीकर सर, सभी जगह बस स्टैंड बने हुए हैं। जो क्यू–शैल्टर्ज बने हुए हैं वे बहुत पुराने हो गए हैं और उनकी हालत बहुत ही खराब है। वहां पर बस–स्टैंड के लिए जमीन भी उपलब्ध है जो कि अढ़ाई एकड़ है। वहां पर इन्जीनियरिंग कॉलेज है और उसके बच्चे वहां पर धूप में खड़े रहते हैं क्योकि वहा पर जो शैड है वह छोटा है। वहां पॉलिटैक्निक कॉलेज भी हैं लेकिन वहां पर न कोई टॉयलैट है, न बाथरूम है और न पीने के पानी की व्यवस्था है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: पलाका साहब, आपका सवाल आ गया है इसलिए अब आप बैठें।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जैसे कलायत में एक छोटा बस–अडा बना रहे हैं और उसका काम चालू है। माननीय मन्त्री जी रादौर मे भी एक छोटा बस–अड्डा बनाने के लिए एग्जामिन करवा ले कि क्या वहां पर भी बस–अड्डा बनाया जा सकता है।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने आज बताया कि बस–स्टैंड के लिए अढ़ाई एकड़ जमीन इन्होंने दे रखी है लेकिन मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं है कि इन्होने

अढ़ाई एकड़ जमीन दे रखी है। अगर ये जमीन दिलवा देंगे तो इसको हम एग्जामिन करेंगे।

श्री अध्यक्ष. मंत्री जी, ऑन दि फलोर ऑफ दि हाउस हाउस मैम्बर कह रहे हैं वहां पर कोई छोटा–मोटा बसस्टैंड बनवाने के लिए एग्जामिन करवा लें।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर सर, यह मांग तो मैं पहले भी कई बार उठा चुका हूं और मंत्री जी ने कहा था कि लिख कर दे दो।

श्री अध्यक्षः ठीक है, पलाका साहब, आप बैठें।

श्री बलवन्त सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बिलासपुर मे कोई भी बस–स्टैंड नहीं है। क्या बिलासपुर में बस–स्टैंड बनाने को मामला विचाराधीन है?

5.00 बजे

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, वैसे तो हरियाणा में 90 विधान सभा क्षेत्र हैं और हमने 92 बस–स्टैंड ऑलरैडी बना रखे हैं। कोई ऐसी कांस्टीच्यूएंसी नहीं है जिसमें हमने बस–स्टैंड न बना रखे हों। जो अच्छे टाउन हैं जहां बस–स्टैंड नहीं हैं वहां पर हमने हर जगह क्यू–शैल्टर्ज बना रखे है। स्पीकर सर, बस–स्टैंड वहां पर बनाए जाते हैं जहां उनकी जरूरत है। जहां से

नए रूटस निकलते हों, नई बसिज खड़ी होती हों और बसिज चलती हों। वहीं पर बस स्टैंड जरूरत के मुताबिक ही बनाए जाते हैं, इस बारे में इनकी प्रपोजल आई हुई है हम उसको एग्जामिन करवा रहे हैं और हम इस बारे में जरूर सोचेंगे।

श्री नरेश मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैंने पुराने हसनगढ़ में सांपला मे बरन–स्टैंड बनाने के लिए प्रश्न किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में घोषणा भी की थी कि वहां पर बस स्टैंड बनवाएंगे लेकिन आजतक वहां पर कोई भी बस–स्टैंड नहीं है जिसकी वजह से वहां पर लोगो को बहुत भारी दिक्कत आ रही हे।

श्री अध्यक्षः मांगे राम जी, इनकी इस समस्या का समाधान करे।

श्री मांगे राम गुप्ताः सर, हम सांपला में बस–स्टैंड बनवाएंगे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह. अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद सैक्टर 12 की क्रोसिंग पर कोर्ट है, सरकारी आफिसिज हैं, वहां पर बस स्टैंड बनवाना प्रस्तावित था और शायद आज भी है। हमारे युवा मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हुए वहां पर गए थे और वहां पर लोगो की आवश्यकता को देखते हुए इन्होने यह माना था और वायदा किया था कि वे उस बारे मे जल्द ही कुछ न कुछ जरूर करेगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं

कि क्या आज भी वहां पर बस स्टैंड बनाना प्रस्तावित है अगर है तो कब तक उसको बनवाकर चालू करवाएंगे ?

Mr. Speaker: You ask separate question. It is not possible to give reply at this stage.

श्री बलवन्त सिंहः स्पीकर साहब, बिलासपुर में एक इन्दर स्टेट बस स्टैंड है, वहां से हिमाचल और यू०पी० के लिए बसे जाती है। अब मंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया कि वहां पर कोई रूट नहीं बनता है। स्पीकर सर, वहां से फूलचन्द मुलाना जी सदस्य हैं, ये प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और इनका गृह क्षेत्र भी है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वहां पर बहुत रश रहता है, वहां पर 15–20 कॉलेज हैं इसलिए वहां पर कोई न कोई क्यू–शैल्टर या बस स्टैंड होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः बलवन्त सिंह जी, आप इस बारे में लिखकर भिजवा दे।

श्री बलवन्त सिंहः सर, हमने इस बारे में लिखकर भेजा हुआ है।

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आप इस बारे में कुछ करवाएं।

श्री मांगे राम गुप्ताः ठीक है सर। बलवन्त सिंह जी आप इस बारे मे मुझे लिखवाकर भिजवा देना।

Rate of Stamp Duty

***1260 Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Minister of Statc for Revenue and Disaster Management bc pleased to state :--

(a) the rate of Stamp Duty charged on the registration of Mortgage Deeds for obtaining loans for Agricultural purposcs from Commercial and Cooperative Banks; and

(b) the rauonale of difference in exemption from Stamp Duty on Mortgage Deeds for various purposes of Agricultural loans from Commercial Banks and Cooperative Banks ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल):

(क) वाणिज्यिक व सहकारी बैंकों से कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए रहननामों के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क की दर 15% है।

(ख) छूट मे अन्तर ग्रामीण क्षेत्रो में कर्जों से सम्बन्धित समस्या को हल करने और सहकारिता आन्दोलन को गति देने के लिए दिया गया है जो भारत मे आर्थिक रूप से कमजोर लोगो विशेषकर कृषक समुदाय की आर्थिक दशा सुधारने के लिए शुरु किया गया था।

श्री कर्ण सिंह दलाल. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या ये इस

सुझाव पर विचार करेगे कि जिस तरीके से पंजाब मे और दूसरी स्टेटस मे किसान कामर्शियल बैंक लोन लेता है तो उस पर स्टैम्प डयूटी नहीं लगती है। इसी तरह से हरियाणा मे कोआप्रेटिव बैंकस मे भी स्टैंप डयूटी नहीं लेते हैं। अगर कोई किसान कामर्शियल बैंकस से कर्जा लेना चाहता है तो क्या उसी तरह की सुविधा कामर्शियल बैंकस मे भी स्टैम्प डयूटी न लेने की यह सरकार देगी?

श्रीमती सावित्री जिन्दलः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाणिज्यिक बैंक से यदि कृषक किसी उद्देश्यो के लिए ऋण लेता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि बड़े कृषि उद्देश्यों के लिए 3 लाख रुपए तक और कृषि के छोटे उद्देश्यों के लिए 2 लाख रुपए तक कोई स्टैम्प डयूटी उनकी जमीन जायदाद गिरवी रखने के लिए नहीं ली जाती है।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Question Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Stortage Capacity of Drinking Water Tanks

***1265 Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that storage capacity of drinking water tanks in Bhiwani is only for 15 days and it is insuffieient in proportion to the supply of canal water, if so, the steps taken for increasing the

storage eapacity of drinking water tanks ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): हां श्रीमान् जी, जलघर पर भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिये 68.55 मिलियन लीटर क्षमता का एक और टैंक 480 लाख रुपये की अनुमानित राशि से निर्माणाधीन है और यह दिसम्बर 2010 तक तैयार हो जायेगा।

***1273. Smt. Geeta Bhukal :** Will the Walfare of Scheduled Castes & Backward Classes Minister be pleased to state whether the Govt. has preparcd any programme for the employment and Self-employment of the persons belonging to Seheduled Castes and Baekward Classes particularly for the less literate youths; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियो एवं पिछड़े वर्गो के व्यक्तियो विशेषकर कम पढ़े– लिखे युवको के लिए बहुत सी स्कीमें बनाई गई हें तथा परिपालित की जा रही हैं। इस सम्बन्ध मे

विभिन्न विभागो द्वारा तैयार की गई तथा लाग की जा रही विभिन्न स्कीमो का विवरण निम्न प्रकार से है –

1 अनुसूचित जातियों तथा पिछडे वर्ग कल्याण विभाग

(1) अनुसूचित जातियों एवं पिछडे वर्ग की लडकियों/निराश्रित महिलाओ/विधवाओ को सिलाई का प्रशिक्षण योजना।

अनुसूचित जातियो एवं पिछडे वर्ग की विधवाओ/निराश्रित महिलाओ/लडकियो को सिलाई का प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर चलाए जा रहे 64 सामुदायिक केन्द्रो के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियो को 100/– रुपये प्रतिमास छात्रवृति तथा 150/– रुपये प्रतिमास कच्चे माल के लिए दिये जाते हैं। एक वर्ष का कोर्स पूर्ण होने पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एक सिलाई मशीन मुक्त दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत 2008–09 में 1720 अनुसूचित जाति की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं/लड़कियो को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2009– 10 से इस स्कीम के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को भी कवर किया गया है। वर्ष 2009– 10 मे 2175 लाभपात्रो को प्रशिक्षण देने हेतु 72 .00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(2) रोजगार उन्नमुख संस्थाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करके रोजगार के संसाधन उत्पन्न करना।

यह नई योजना वर्ष 2008–09 से लागू की गई थी तथा 400.00 लाख रुपये की राशि ढ़ाचागत विकास हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग को आबन्टित की गई थी। वर्ष 2009– 10 के लिए

इस स्कीम के अन्तर्गत 500.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। यह स्कीम वर्ष 2009– 10 से तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से हरियाणा राज्यों में 6 स्थानों पर चलाई जाएगी तथा 150 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कम्प्यूटर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाईल तथा टी०वी० रिपेयरिंग, फैशन डिजाइनिंग, आटो तकनीशियन, कमर्शियल गारमेन्दस आदि ट्रेडस में अल्प अवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान छात्रो को 500/– रुपये मासिक छात्रवृति दी जाएगी।

(3) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता।

यह नई योजना वर्ष 2009– 10 से लाग की गई है तथा इसे तकनीकी शिक्षा तथा ओद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभागों के माध्यम से परिपालित किया जाएगा तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्राईवेट संस्थाओं के माध्यम से कम्प्यूटर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाईल तथा टी०वी० रिपेयरिंग, फैशन डिजाइनिंग, आटो तकनीशियन, कमर्शियल गारमेन्टस आदि ट्रेडस में अल्प अवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रो को सरकारी आई०टी०आईज० तथा प्राईवेट आई०टी०आईज० में 140/– रुपये मासिक वजीफा दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के छात्रो को प्राईवेट आई०टी०आईज० में 1000/– रुपये मासिक फीस कम्पन्सेशन के रूप मे तथा आई०टी०आईज० में 15/– रुपये प्रति घन्टा की दर

से फीस की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। वर्ष 2009– 10 के लिए 150.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

2. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एच०एस०एफ०डी०सी०)

(1) बैंकों के सहयोग से (बी०टी०एस०)

(1) इन स्कीमों के अन्तर्गत प्रोजैक्ट कोस्ट 1.00 लाख रुपये है। ऋणियों को बैंक ऋण. मार्जन मनी / सबिग्डी प्रदान किए जाते हैं। ऋणियों को 10,000/– रुपये तक सब्सिडी दी जाती है।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०एफ०डी०सी०) के सहयोग से इन स्कीमो के अन्तर्गत प्रोजैक्ट कोस्ट 30.00 लाख रुपये है। ऋणियों को एन०एस०एफ०डी०सी० ऋण + मार्जन मनी + सब्सिडी प्रदान किए जाते हें। ऋणियो को 10,000/– रुपये तक सब्सिडी दी जाती हे।

(3) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०एफ०डी०सी०) के सहयोग से इन स्कीमो के अन्तर्गत प्रोजैक्ट कोस्ट 10.00 लाख रुपये है। ऋणियो को उनके 5% हिस्से के अतिरिक्त एन०एस०के०एफ०डी०सी० ऋण + मार्जन मनी प्रदान किए जाते हैं।

नोटः –उक्त वर्णीत तीनों स्कीमों के अन्तर्गत निगम द्वारा इसकी स्थापना से 30–6–2009 तक 542.64 करोड रुपये का ऋण 3, 83,522 लाभार्थियो को प्रदान किया गया है तथा वर्ष 2009– 10 के लिए 16,000 परिवारों को ऋणासकिडी प्रदान करने के लिए 86.26 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

3. हरियाणा पिछडे वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों को स्व–रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु आसान शर्तों 5% ब्याज की दर पर 5.00 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। निगम द्वारा इसकी स्थापना से 30–6–2009 तक 6979.46 लाख रुये का ऋण 62, 916 लामार्थियो को प्रदान किया गया है तथा वर्ष 2009 – 10 के लिए 2,100 लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए 1050.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

4. चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय

चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 2009– 10 के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों के प्रत्यक्ष लाभ के लिए 14 स्कीमें 165.00 लाख रुपये के बजट से चला रहा है। इन स्कीमो का मोटे तौर पर उद्देश्य निम्न प्रकार से है: –

(1) प्रतियोगी परीक्षाओ एवं नौकरी में भर्ती– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिभागियों के लिए कृषि क्षेत्र में तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण।

(2) अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों को रोजगार उत्पादन हेतु कृषि तकनीक मे कौशल विकास।

(3) अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तको हेतु ग्रान्ट।

5. पशुपालन एवं डेयरी विभाग

विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु पशुधन इकाईयो की स्थापना के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008 –09 के दौरान 428.66 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी तथा वर्ष 2009– 10 के लिए 700 लाभार्थियो को कवर करने के लिए 100.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

6. मत्स्य विभाग

(1) विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम ''मत्स्य किसान विकास एजैंसी'' के तहत मत्स्य अनुसूचित जाति के परिवारो को 25% अनुदान विशेष सहायता के रूप मे प्रदान किया जाता हे, जबकि समान्य बर्ग के लिए अनुदान की सीमा 20% प्रतिशत है।

(2) विभाग द्वारा विशेष घटक योजना के अन्तर्गत 'वेलफेर ऑफ शिडूल्ड कास्ट फैमिलिज इन फिसरिज सैक्टर' स्कीम

परिपालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत बेरोजगार युवको को विभिन्न मदो मे 25% से 100% सब्सिडी प्रदान की जाती है।

7. ग्रामीण विकास विभाग

(1) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व–रोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०)

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 से जून, 2009 तक अनुसूचित जाति के 60,766 लाभार्थियों को 28,690.03 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है तथा वर्ष 2009– 10 के दौरान 12768 लाभार्थियों को कवर करने हेतु 505.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन०आर०ई०जी०एस०)

इस स्कीम के अन्तर्गत आरम्भ से लेकर जून, 2009 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं: – (रुपये लाखों में)

1. आरम्भ से लेकर कुल खर्च 21440.36

2 आरम्भ से लेकर जारी किए गए जॉब कार्डों की कुल संख्या 391911

3. अनुसूचित जातियों के लिए जारी किए गए जॉब कार्डो की कुल संख्या (ऊपर 2 में से) – 22137

4. सृजन किए गए कुल कार्य दिवसो की संख्या (लाखों में) – 130.27

5. सृजन किए गए अनुसूचित जातियों के कार्य दिवसों की संख्या (लाखो मे) पर 4 में से – 75.90

6. पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या – 6500

7 कार्य प्रगति पर 3333

8. सामुदायिक विकास विभाग

(1) ग्रामीण व्यवस्था में सुधार हेतु ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना के अन्तर्गत पंचायतों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के अन्तर्गत नियुक्त किए गए लोगों में अधिकतर अनुसूचित जाति के समुदाय से होते हैं। स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008 –09 के दौरान 3424. 12 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी तथा वर्ष 2009 – 10 के लिए 44.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया।

9. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

(1) इनटरपनोरशिप डिवलपमैंट प्रोग्राम

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगो को प्रशिक्षण देकर उनमें उद्यमियता की भावना पैदा करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 के दौरान 9.99 लाख रुपये की राशि 350 लाभार्थियों पर खर्च की गई तथा वर्ष 2009– 10 के दौरान 560 लाभार्थियो के लिए 16.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

(2) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

इस स्कीम के अन्तर्गत सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो की स्थापना करने के लिए रोजगार प्रदान करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 के दौरान अनुसूचित जाति के 25 लाभार्थियों को 110.68 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई तथा वर्ष 2009– 10 के लिए भारत सरकार द्वारा या 7 केसों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

10. राज्य शहरी विकास समिति

शहरी गरीबो के उत्थान हेतु भारत सरकार की योजना नामक ‘‘स्वर्ण जयन्ती शहरी विकास रोजगार योजना ‘‘ राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में चलाई जा रही हो जिसके अन्तर्गत अल्प बेरोजगार तथा बेरोजगारों युवको को रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु ऋण तथा सब्सिडी प्रदान की जाती है। लाभार्थियो के चयन के लिए कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियो को शहर/

कस्बे की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की संख्या के समानुपात में लाभ प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2008–09 के दौरान 120.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी तथा वर्ष 2009–10 के लिए 2219 लाभार्थियों हेतु 120.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया हे।

11 औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग

अनुसूचित जातियों को रोजगार/स्व–रोजगार प्रदान करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: ––

(1) अम्बाला कैंट तथा पुण्डरी में केवल अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु 2 आई०टी०आईज० स्थापित की गई हैं जिनमें 14 यूनिटस में 216 सीटो की व्यवस्था है।

(2) '' स्किल ट्रेनिंग टू एस०सी०एस०टी० स्टूडेंटस '' योजना के अन्तर्गत 17 आई०टी०आईज० मे अनुसूचित जाति के लिए अलग विंग स्थापित करने हेतु 60.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च करके 4240 सीटों की व्यवस्था करने की योजना है।

(3) श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अल्प अवधि कोर्सों हेतु एम०ई०एस० योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रो को 15/– रुपये प्रति घन्टा की दर से स्किल टेस्ट पास करने पर सरकारी आई०टी०आईज०/ प्राईवेट आई०टी०आईज

तथा अन्य जो संस्थान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वी०आई०पी०) के रूप मे रजिस्ट्रर्ड है, में वजीफा प्रदान किया जाता है।

(4) विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान गुड़गांव तथा फरीदाबाद आई०टी०आईज० मे रोजगार मेलो का आयोजन करके 2773 अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। चालू वर्ष के दौरान भी करनाल, हिसार तथा फरीदाबाद आई०टी०आईज० मे रोजगार मेले आयोजित किए जायेगे।

Construction of New Building of Government College, Badli

***1270 Sh. Naresh Sharma :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under eonsideration of the Government to construct a new building of Government College, Badli ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): हां श्रीमान् जी।

Opening of ITI for Women

***1247 Shri Naresh Yadav :** Will the Industrial Training & Vocational Edueation Minister be pleased to state :-

(a) whether there is any proposal under eonsideration of the Govt. to open an ITI for Women in Kanina; and

(b) if so, the time by which the work of the above said ITI is likely to be started ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी):

(क) हां, श्रीमान् जी,

(ख) यद्यपि, इस समय आई०टी०आई० खोलने की समय सीमा दी जानी सम्भव नहीं है।

Supply of Domestic Electricity

***1253 Dr. Sita Ram :** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Govt. to provide domestic Eleetrieity Power supply to the residents of Dhanis in District Sirsa; if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): श्रीमान् जी, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के द्वारा अनुबद्ध वर्तमान नियमों के अनुसार, घरेलू बिजली कनैक्शन उन परिसरो को प्रदान किया जाता हे जो बिजली वितरण निगम के मोजूदा नेटवर्क के ट्रर्मिनल खंभे से 30 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित हैं, यदि परिसर 3० मीटर की दूरी से बाहर स्थित है तो उपभोक्ता को बिजली कनैक्शन उसकी पूरी लागत वहन करने की शर्त के अनुसार प्रदान किया जाता है। पिछले साल किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, जिला सिरसा मे 665 बिना बिजली वाली ढाणियां हैं। यहां तक कि आज की तारीख मे, कोई भी व्यक्ति जिसका परिसर 30 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है, वह कनैक्शन के लिए आवेदन कर

सकता है तथा आवश्यक प्रभारो की अदायगी पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बिना किसी लागत के उपभोक्ता को कनैक्शन देने के लिए राज्य में बिना बिजली वाली ढ़ाणियों को कवर किया जा सकता है, यदि उस ढाणी मे 100 या इससे अधिक निवासियो की जनसंख्या है। वे ढ़ाणियां जो इस योजना के मानदण्ड को पूरा करती हैं, उन्हे बिजली कनैक्शन प्रदान करने के लिए इस योजना मे शामिल किया जाएगा।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Elders-Day-Care Centre

158. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj : Will the Soeial Justice and Empowerment Minister be pleased to state whether it is a faet that an Elders-Day Care Centre is to be constructed in Bhiwani; If so, the time by which its eonstruetion work will be completed together with the time by whieh the above said centre will start functioning ?

मुख्य मंत्री (श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा): हां श्रीमान्। यह मार्च 2010 तक पूर्ण होने की सम्भावना है तथा जैसे ही हुडा भवन सौंपेगा यह कार्य करना आरम्भ कर देगा।

T.V. Channel Bhiwani Halchal

159. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj : Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) whether it is a fact that a T.V. Channel named Bhiwani Halchal is functioning in Bhiwani contrary to the

rules; and

(b) if so, the names of the officers with whose connivance the said illegal channel is functioning togetherwith the action taken against the delinquent offieers and whether the channel has been stopped or it is still functioning ?

मुख्य मंत्री (श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) नहीं श्रीमान् जी

(ख) यह एक तथ्य है कि '' भिवानी हलचल '' नाम से भिवानी में एक टी०वी० चौनल नियमों के विरुद्ध चल रहा था, लेकिन उसे बंद व सील कर दिया गया है तथा केबल ऑपरेटर के विरूद्ध केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, 1995 (2002–03 तक संशोधित) के अधीन एक मुकदमा नं० 429, दिनांक 30–7–2009 धाराधीन 4 ए०आर०/डब्ल्यू 16(1) ए दर्ज किया गया हे। इस मामले मे कोई भी अधिकारी संलिप्त नहीं है।

Contamination of Water

160. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that the water of watcr-tank of Kitlana remained contaminated for 10 days due to the dead body of a dog therein; if so, the action taken against the delinquent officials in this regard ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): जी नहीं श्रीमान्। मरा हुआ कुता कुछ शरारती तत्वों द्वारा टैंक में फैंका

गया था। परन्तु स्टोरेज टैंक में पानी की मात्रा कम होने के कारण गांव कितलाना की पीने के पानी की आपूर्ति एक कम गहराई वाले टयूबवैल से की गई थी। जैसे ही मरे हुए कुत्ते का पता चला उसको बाहर निकाल दिया गया और टैंक को साफ कर दिया था। सरकार ने इस मामले को बहुत गम्भीरता से लिया है और विभाग को जिम्मेदारी निर्धारित करने और उसी अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए कहा है।

Construction of Multi Storeyed Building

161. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

(a) whether it is fact that a multi-storeyed building Raghu Hyundai has been eonstructed on the Rohtak road in Bhiwani contrary to the rules with the connivance of the offieers;

(b) whether the abovesaid building falls within the limit of Munieipal Council and whether its plan was passed before the construction of building and if the said building is out of the limit of the Municipal Couneil, whether its CLU or permission was obtained from the Town and Country Planning Department and

(c) the action taken against the offieers with whose connivance the said illegal construction has been made ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी):

(क) सरकार के ध्यान में आया है कि श्री ईश्वर गुप्ता पुत्र श्री जय नन्द और श्रीमती वसुन्धरा गुप्ता पत्नी श्री ईश्वर गुप्ता द्वारा नगरपरिषद, भिवानी तथा निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा की अनुमति के बिना, रोहतक रोड, भिवानी में रघु हुंडई बहुमंजिला नाम के भवन का निर्माण किया गया है। अधिकारियों की मिलीभगत के बारे में मामले की जांच करवाई जा रही है।

(ख) निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार, उपरोक्त भवन नियंत्रित क्षेत्र घोषित होने उपरांत नगर परिषद भिवानी की बढ़ी हुई सीमा के अन्तर्गत आता है। मालिकों ने भू–उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन किया था जोकि निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा के पत्र क्रमांक बी० 312–जे०ई० (बी) –2009/1800 दिनांक 13–03– 2009 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा अथवा नगर परिषद् भिवानी द्वारा कोई भवन प्लैन स्वीकृत नहीं किये गये थे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन की कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। (ग) जांच करवाई जा रही है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर इस वक्त बारिश बहुत कम हो रही है और पूरे प्रदेश के अन्दर सुखे की स्थिति है अध्यक्ष महोदय, मैंने और हमारी पार्टी के 4 अन्य सदस्यों ने हरियाणा में बिजली और पानी की कमी के बारे मे अपना एक कालिंग अंटेशन मोशन दिया था। आप बताएं कि उसका क्या फेट रहा?

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आपका यह कालिंग अटेशन मोशन 31 तारीख को ही आया था and it has bccn disallowed. The reason mentioned thereof has been supplied to you.

विभिन्न मामले उठाना

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक और महत्चपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हू कि प्रदेश के अंदर इस वक्त बारिश बहुत कम हो रही है और पूरे प्रदेश के अंदर सूखे की स्थिति है, बिजली ओर पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। पीने के पानी की भी बड़ी भारी दिक्कत है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हरियाणा प्रदेश को सुखाग्रस्त राज्य धोषित करें ताकि लोगो को राहत मिल सके। स्पीकर साहब, आज प्रदेश मे सूखे की बड़ी भयावह स्थिति है पीने के पानी की भी बड़ी दिक्कत है। आज प्रदेश में हर आदमी बेहाल है। किसान बहुत परेशान हैं। जब देश के अंदर दूसरे स्टेट्स के कई जिलों

को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है तो हरियाणा प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? हरियाणा में भी इस बार बारिश बहुत कम हुई है इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस मामले पर सदन में चर्चा करवायी जाए और हरियाणा के उन जिलों, को जहा बारिश न के बराबर हुई है, सूखाग्रस्त घोषित किया जाए।

श्री बलवन्त सिंहः स्पीकर साहब, आज सारा प्रदेश सूखे से ग्रस्त है इसलिए इस बारे मे सदन में चर्चा होनी चाहिए। यू०पी० और हिमाचल के कई जिलों को भी ड्रीट डिक्लेयर किया गया है। हरियाणा में कई जिले ऐसे हैं जहा पर बारिश बिलकुल भी नहीं हुई है इसलिए ऐसे जिलो को सूखाग्रस्त घोषित करके वहा के किसानो को राहत दी जाए।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, इसके बारे मे भी आप लिखकर दे सकते थे, कोई नोटिस दे सकते थे। आप इस बारे में अपना कोई काल अटेशन मोशन दे सकते थे लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया।

डॉ० सीता रामः स्पीकर साहब, हमने सोचा था कि शायद बारिश हो जाएगी लेकिन नहीं हुई इसलिए आज हमने यह मामला उठा दिया।

श्री अध्यक्षः दो में ही आपको यह लग गया कि बारिश हो जाएगी।

डॉ० सीता रामः स्पीकर साहब, हो सकता है कि बारिश हो जाए, शायद राहत मिल जाए। 31 तारीख को तो आप नहीं थे इसलिए हमने सोचा कि आप जब आएंगे तो अपने साथ बारिश भी लेकर आएंगे लेकिन जब बारिश नहीं आयी तो आज हमने यह मुद्दा उठा दिया। सर, आप इस मामले में चर्चा करवाएं क्योंकि यह बहुत सीरियस मामला है।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, अगर यह इतना सीरियस मामला था तो आपकी पार्टी के नेता को यहा पर आकर यह मामला उठाना चाहिए था। उनका बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेवाराना व्यवहार विधान सभा के सभी सैशनों में रहा है।

श्री बलवन्त सिंहः स्पीकर साहब, आप 31 तारीख को आए नहीं थे वे उस दिन आए थे। उनको भी कोई जरूरी काम हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सदन के नेता को इस बारे में आश्वासन देना चाहिए कि प्रदेश मे जो ड्राट एरियाज हैं वहा के किसानों के लिए वे क्या राहत देंगे।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, आपके नेता को यह सारी बाते यहा पर आकर उठानी चाहिए थी। (शोर एवं व्यवधान) डाक्टर साहब, वह फोर्मर सी०एम० हैं इसलिए वे यहा पर आते और अपनी बात कहते। सरकार को ठीक तरह से चलाने के लिए उनको अपनी बात कहनी चाहिए थी। अगर उनको सरकार की कमियां दिखाई

देती हैं तो उनको यहॉ पर आकर बताना चाहिए था। उनको बरसात की बात यहा पर आकर उठानी चाहिए थी। वह कहा गए 7 आप बताएं कि आपके लीडर कहौ हैं? क्या उनका यह गैर जिम्मेवाराना व्यवहार नहीं है, क्या यह लोगो के प्रति विश्वासघात नहीं है?

डॉ० सीता राम: स्पीकर साहब, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे लेकिन आप 31 तारीख को कहौ थे। हम तो सोच रहे थे कि हम आपसे पूछेंगे क्योकि आपके हल्के के अंदर बड़ा विवाद हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: डॉक्टर साहब, क्या आपको पता नही है कि मैं एक इंटरनेशनल काफ्रैंस अटैंड करने गया था और मेरी फ्लाईट लेट हो गयी थी इसलिए मैं 31 तारीख को नहीं आ सका था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अर्जन सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अर्जन सिंह: स्पीकर साहब, बलवन्त सिंह जी को मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए था क्योकि वे इनके हल्के मे 220 के०वी० के एक सब स्टेशन का उदघाटन करके आए हैं। उन्होंने इनके यहा पर एस०डी०एम० ओफिस भी खोल दिया है और इनके हल्के की तमाम सड़कें भी बनवा दी हैं। ये तो अहसान फरामोश आदमी हैं। इनको तो सी०एम०साहब का धन्यवाद करना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please take your seats. (Interruptions) Nothing is to be recorded.

डा० सीता रामः स्पीकर साहब, ...

श्री बलवन्त सिंहः स्पीकर साहब, ...

श्री फूल चन्द मुलानाः स्पीकर साहब, यह बात सही है कि हरियाणा में इस बार बहुत कम बारिश हुई हे लेकिन सरकार ने कोशिश की हे कि किसानों को पूरी बिजली उपलब्ध करवायी जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि हरियाणा के कुछ एरियाज में जो सूखे जैसी स्थिति उत्पत्र हो गयी है उस पर आप रूल 84 के तहत डिसकशन एलाऊ करने की कृपा करे।

श्री अध्यक्षः ठीक है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अर्जन सिंहः स्पीकर साहब, बलवन्त सिंह जी को तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि परसों ही मुख्यमंत्री जी 220 के०वी० के एक सब स्टेशन का उनके हल्के मे उदघाटन करके आए हैं। इन्होंने एक बार भी सी०एम०साहब का धन्यवाद नहीं किया है। स्पीकर साहब, इनको तो सी०एम०साहब ने बिना मांगे ही एस०डी०एम०ओफिस भी दिया है।

डॉ० सीता रामः स्पीकर साहब, आपने सूखे और बिजली–पानी पर डिसकशन करवाने की बात मान ली है इसके लिए आपका धन्यवाद, हम सरकार की बात सुनना चाहते हैं। आप यह डिसकशन कब और कितनी देर की करवाएंगे?

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, आज का जो बिजनैस है वह तो कंटीन्यू ही रहेगा। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का बिजनैस हाउस ने ऐप्रूव कर रखा है इसलिए वह बिजनैस खत्म होने के बाद ही इस बारे मे डिसकशन करवाएंगे। आप थोड़ी पेशंस रखें।

डॉ० सीता रामः ठीक है जी, हम आपकी बात मान लेते हैं।

अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have to inform the House that I havc received a message from Shri Lachhman Dass Arora, Industries Minister dated 31st July, 2009 expressing his inability to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha on 3rd August, 2009 onward as he has to go to pilgrimage of Baba Amarnath in Kashmir.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the proeeedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

That the proeeedings on the items of Business fixed for today be exempted at this days's sitting from the provisions of the Rule `Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day's shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Assembly at its rising this day's shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Question is -

That the Assembly at its rising this day's shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Minister will lay the papers on the Table of the House.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House-

1. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Ordinanee, 2009 (Haryana Ordinanee No.7 of 2009).

2. The Haryana Development Authority (Amendment) Ordinance, 2009 (Haryana Ordinance No. 8 of 2009).

3. The Soeial Justice and Empowerment Department Notifieation No. S.O. 54/C.A. 56/2007/S. 32/2009, dated the 19th June, 2009 regarding Haryana Maintenance of Parents and Senior Citizens Rules, 2009, as required under section 32 (3) of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.

4. The Annual Statement of Accounts of Housing Board, Haryana for the year 2007-2008, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Aet, 1971.

यमुना समझौते पर हरियाणा विधान सभा की समिति का दूसरा अंतरिम/ प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत

करने के लिए समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I present the Seeond Interim/Preliminary Report of the Committee of Haryana Vidhan Sabha on Yamuna Aceords to review the document signed by the then Chief Minister in 1994 for Renuka and Kishau Dams and to analyse the circumstances whieh led to the signing by Shri Bhajan Lal, the then Haryana Chief Minister of the 1994 MoU regarding sharing of Yamuna Waters and diserepancy between Cabinet decisions and the signed documents, constituted on 24th September, 2007.

I also move that the time for the presentation of final Report to the House be extended upto the next Session.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the time for the presentation of final Report to the House be extended upto the next Session.

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : The time for the presentation of final Report to the House is extended upto the next Session.

विधान कार्य

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिऐशन (नं० 3) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Finanee Minister will introduee the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, **I** beg

to introduee the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the HaryanaAppropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried

Schedule

Mr. Speaker: Question is

That Sehedule be the Sehedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is

That Clause I stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill,

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to move -

That the Bill be passed

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा पुलिस अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Police (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, **I** beg to introduce the Haryana Police (Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move —

That the Haryana Police (Amendment) Bill be taken into eonsideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Haryana Poliee (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Police (Amendment) Bill be taken into consideration at onee.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by elause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs

Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move -

That hat the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is -

'That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (ऐडीशनल फंक्शन्ज) अमैंडमैंट बिल, 2009

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Ministcr will introduce the Haryana Public Service Commission (Additional Funcuons) Amcndment Bill, 2009 and will also move the motion for its eonsideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Public Servicc Commission (Additional Funcuons) Amendment Bill, 2009.

Sir, I also beg to move -

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill be takcn into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Haryana Public Service Commission (Additional Funetions) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clausc 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Qucstion is—

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 5 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs

Minister will move that the

Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि प्रि–कन्सैपशन एण्ड प्रि–नेटल डायग्नोस्टिक टैक्नीकस (प्रोहिबिशन ऑफ सैक्स सिलैक्शन) हरियाणा वैलिडेशन बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce. the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Haryana Validation Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostie Teehniques (Prohibition of Sex Selection) Haryana Validation Bill, 2009.

Sir, I also beg to move —

That the Pre-coneeption and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Seleetion) Haryana Validation

Bill be taken into consideration at onee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Haryana Validation Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Pre-eonception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Haryana Validation Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will eonsider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enaeting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Mouon moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा फिस्कल रिक्योन्सिब्लिटी एण्ड बजट मैनेजमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Finanee Minister will introduce the Haryana Fiseal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its eonsideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, **I** beg to introduce the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Fiseal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill be taken into eonsideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill

Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1)of Clause-1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enaeting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finanee Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sari Birender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Bill be passed

The motion was carried.

दि हरियाणा म्यूनिसिपिल (अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Urban Loeal Bodies Minister will introduee the Haryana Munieipal (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its eonsideration.

Urban Development Minister (Sari A.C. Caaudaary) : Sir, I beg to introduee the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move —

That the Haryana Munieipal (Amendment) Bill be

taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved -

That thc Haryana Munieipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is -

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into eonsideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will eonsider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 7

Mr. Speaker : Question is -

That Clauses 2 to 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is -

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is -

That Enacting Formula he the Enacting Formula of

the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Urban Local Bodies Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Sari A.C. Chaudhary): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Urban Loeal Bodies Minister will introduce the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its

eonsideration.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary) : Sir l beg move that the Haryana Municipal Corporation (Seeond Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move -

That the Haryana Munieipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at onee.

Mr. Speaker : Motion moved -

That the Haryana Municipal Corporation (Seeond Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is -

That the Haryana Municipal Corporation (Seeond Amendment) Bill be taken into consideration at onec.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill elause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is --

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is -

That Clause 5 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is -

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enaeting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Urban Development Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Shri A.C. Caaudaary) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो सैकिंड अमैंडमैंट बिल लेकर आये हैं उसके उद्देश्य के मुताबिक जो गुडगांव का दो साल का बढ़ाने का जिक्र है वहीं हरियाणा में शहरों में स्थिति अच्छी नहीं है। उससे फरीदाबाद विशेष तौर पर प्रभावित हुआ है। इससे शहरों में स्लम एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा हे। वीकर सैक्शन, और अनऑथोराईज्ड कालोनीज बहुत ज्यादा डिवैल्प हुई हैं। मेरे ख्याल से फरीदाबाद में उसका असर सबसे ज्यादा हुआ है। तकरीबन 50 से भी ज्यादा अनऑथोराईज्ड कालोनीज हैं जो क्लम ही बन रहा है। तकरीबन 60 हजार झुग्गी झोपड़ियाँ हैं मेरे ख्याल से मंत्री जी इस बारे मे ज्यादा जानते होंगे, वह भी स्लम ही बन रहा है। 1991 से 1996 तक स्लम एरियाज के लिए पहले ग्रांट आती थी

और वे ग्रांट्स उसमे लगी भी हैं और जिससे वे स्लम ऐरियाज डिवैल्प भी हुए हैं। आज स्थिति चिन्तनीय है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी चिंतित है। उन्होंने कोशिश भी की कि इन कालोनीज को पास करके स्थिति को कुछ सुधारा जाये लेकिन उसमें कुछ व्यवधान आ गया और वह मामला कोर्ट में चला गया। आज खासकर उन एरियाज मे, स्थिति अच्छी नहीं है कुछ एरियाज मे डिवैल्पमैंट हुई है यह अलग बात है। दूसरी बात यह है कि जवाहर लाल नेहरू नवीनीकरण योजना जिसमे छोटे और मध्यम किस्म के शहरो का इनफ्रास्ट्रक्चर डिवैल्प करने के लिए जो ग्रोट्स दी जाती हे उसमें कुछ पैसा स्टेट का है तथा कुछ पैसा कारपोरेशन का है शायद आधा पैसा सैन्ट्रल गवर्नमैंट देती है। उसको मजबूत करने का भी इसमे उद्देश्य है कि हम आज इन एरियाज को डिवैल्प कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूँगा जो इस बिल मे क्लियर नहीं है कि गंदी बस्तियो में किन एरियाज को चिन्हित किया गया है ? झुग्गी–झोपडियो को चिन्हित किया गया है या गाँव की एक्सटैन्शन को चिन्हित किया गया हे या जो तकरीबन 52 कालोनी हैं उन सभी कालोनीज को भी इसमें डाला गया है जिनके लिए मुख्य मंत्री महोदय काफी चिंतित रहे हैं? उन्होंने व वर्ष पूर्व उनको पास करने के लिए ऐलान भी किया था लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ कारण था जिससे वह मामला अधर मे लटक गया और वह मामला कोर्ट मे पहुंच गया तथा अब कोर्ट में उस पर स्टे है। उसके लिए कोई वे–आऊट निकालने के लिए कोशिश जारी है! इसका पहले

मी दो बार सर्वे हुआ है. यह कैबिनेट में भी आया है। मैंने भी इस मामले को यही हाउस मे पहले भी उठाया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने भी शहरी विकास मंत्री जी के साथ बैठक ली हैं। उन एरियाज को भी इसमे शामिल किया जायेगा या निर्धनो को इसमें शामिल किया जायेगा या अनऑथोराईज्ड कालोनियो को इसमे शामिल किया जायेगा? दूसरी बात स्लम एरियाज मे क्या वे झुग्गी– झोंपड़ी ही आयेगी वैध या अवैध का तो इसमे कोई झगड़ा नहीं होगा? 1991 से 1996 तक इसमे सारी जमीन पर काफी झुग्गी–झोपड़ी बनी हुई थी। उस समय स्लम की ग्राट्स मे से इन पर पैसा लगता था। लेकिन आज के दिन इसलिए नहीं लग सकता कि ये वैध नहीं हैं। इसी वजह से कोई भी पैसा वहाँ पर खर्च नहीं किया जा सकता। इस फण्ड को लगाने में यह '' वैध' ' या ''अवैध'' का शब्द– तो बीच मै नहीं आयेगा। 25 परसैंट की बात एक अच्छा प्रयास है टोटल बजट का 25 परसैंट इस हैड मे डाला जायेगा और वह उन्हीं के०पर खर्च किया जायेगा। मुख्य मंत्री जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि फरीदाबाद मे अगर झाडसेतली से लेकर बार्डर तक देखेगे तो 50 परसैंट से ज्यादा आबादी स्लम और अनऑथोराईल्ड ऐरियाज की है जिनमे से कुछ कॉलोनीज पास हो गई और बाकि बहुत गैर पासशुदा कालोनीज आज भी पड़ी हुई हैं। क्या यह बजट उनके लिए सफिशियैंट होगा, क्या अवैध कॉलोनिया भी इसके अन्तर्गत आ सकेगो? सरकारी जमीन पर पहले से ही जो पुराने झुग्गी–झौंपडे बसे हुए हैं और जिनमे नालियां गली खरंजे

आदि बनाए गए हें क्या उनमें भी यह पैसा लगाया जाएगा? अगर इसको थोड़ा–सा क्लीयर किया जाए तो मैं समझता हूं कि ज्यादा ठीक होगा।

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर सर, मैंने हाउस में जो स्टेटमैंट अमैडगैट के लिए रखी है उसमें यह अमेंडमेंट तीन हिस्सो में है। इसमे तीन अमैंडमैंट्स सुजैस्ट की गई हैं। एक हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन गुड़गांव में चुनाव एक साल के अन्दर करवाने का प्रावधान था क्योकि पीछे कोड ऑफ कण्डक्ट लागू हुआ है, नई कारपोरेशन थी, ऐरिया ज्यादा फैला हुआ था, उसका सर्वे हम स्टिपुलेटिड टाईम के अन्दर नहीं कर सकते थे इसलिए एक साल की एक्स्टैंशन की अमैंडमैंट का प्रावधान किया गया। दूसरी बात मेरे ऑनरेबल साथी जिसका जिक्र कर रहे है उसमे हम्मने स्टेमैंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्ज मे बिलकुल क्लीयर लिखा हुआ है कि स्लम पॉकेट्स, झुग्गी– झोपड़ी, अनएप्रूवड ऐरिया जहां वातावरण बड़ा प्रदूषित हो चुका है लोगों की जरूरते ज्यादा हैं और जैसा ऑनरेबल मैंम्बर ने सुजैस्ट किया कि पिछली सरकार ने इस पर पाबन्दी लगा दी थी कि किसी झुग्गी मे कोई काम न किया जाऐ। मुख्य मत्री जी ने मीटिंग बुला कर इस बात पर चिन्ता व्यक्त की थी कि गरीब आदमी, जिसकी दशा बहुत खराब है और वे उन जगहो पर रह रहे हैं जहां पर आम आदमी शौच तक करना पसन्द नहीं करता, उनके एन्वायर्नमैंट को साफ करने, उनको पीने का पानी देने के लिए, सफाई, सड़के और

बाकी जो जन–सुविधाएं हें वे उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है, जो उपलब्ध करवाने के लिए हमने इयरमार्क कर दिया है। 25 परसैंट बजट ऐलोकेशन हम गरीबो की हालत सुधारने के लिए भी देंगे। उसमें बडा क्लीयर किया गया है। उसमे जो प्रोविजन है यह 20 परसैंट जो है वह टोटल रैवेन्यू इन्कम से ज्यादा न हो। 20 परसैंट रेवेन्यू एक्सपैंडीचर से ज्यादा न हो और 25 परसैंट कैपिटल एक्सपैंडिचर न हो। इसमे बहुत सीधा है कि वाटर सप्लाई, हाउसिंग, हेल्थ, सैनिटेशन सोशल सिक्योरिटी और बाकी अदर सर्विसिज। गरीब की लाट को सुधारने और पुरानी कमी के कारण उनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सके उसे दूर करके ये सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रावधान डॉग्ज का है उसका इन्होने कोई जिक्र नहीं किया है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो कहा है वह तो इसमें लिखा है जो स्पष्ट है 20 परसैंट और टोटल का 25 परसैंट हम इस मद मे लगाएगे उसकी मैं ही नहीं सभी प्रशंसा करेगे कि उसके लिए कोई तरीका निकाला गया है। मै यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इसमे यह क्लीयर नहीं है कि एक चीज आती है कल निचले लैवल पर इम्पलीमैंट करते हैं तो इसमें कहीं पर भी वैध–अवैध का जिक्र नहीं है। इसमें शब्द निर्धन और स्लम ऐरियाज हैं। जहा तक स्लम्ज का सम्बन्ध है, जो सरकारी जमीन पर स्लस्थ बने हुए हैं जहां हम डिवैल्पमैंट करेंगे भी इस मद मे या पिछले समय में की हुई है। बीच का समय ऐसा

रहा जिसमे इस पर पाबन्दी लगा दी गई थी। क्या उन ऐरियाज में हम पैसा लगा रहे हैं। मैंने कहा है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसके लिए 25 परसैंट बजट उनके उनके लिए सफिशियैट हो या न हो वे ऐरियाज झुग्गी–झोपड़ी के अलग–अलग पड़े हुए हैं जो कि सरकार को पैसा देने के लिए तैयार हें। जैसे आउटर इनर डिवैल्पमैंट है पहले एक सिस्टम था 50 परसैंट कन्जयूमर और 50 परसेंट सरकार खर्च करेगी। वे लोग 5० परसैंट देने के लिए तैयार हैं इनकी डिवैल्पमैंट के लिए हमारे पास पैसा भी आएगा तो क्या इसमें भी वह व्यवस्था करेगे? इसमें वैध और अवैध का जिक्र जरूर कर देना चाहिए क्योकि अनऐथोराईज्ड कॉलोनीज मे कतई निर्धन और बिलो पावरटी लाईन लोग ही नहीं हैं उससे०पर के लोग भी हैं, वह बात अगर साफ हो तो ज्यादा अच्छा होगा। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें सैंट्रल स्टेट की मदद का जिक्र है। सैंटर से नेहरू नवीकरण की जो योजना है उसमे अनएथोराईज्ड अवैध जो है जहां जिक्र है कॉलोनीज में इस पैसे को लगाने पर पाबन्दी है। सरकार की उसमे पाबन्दी है लेकिन आज भी हमे पैसा मिल रहा है। क्या मत्री जी उसको भी देख लेंगे? मेरी मंशा इसमें यह है कि उसमें पैसा लगे और इसकी डिवैल्पमैंट हो। **श्री ए०सी० चौधरी:** स्पीकर सर, ऑनरेबल मैम्बर ने इस ईश को दो जगह पर प्वायंट आऊट किया है। एक क्या अनएप्रूव्ड कालोनिज भी इसमे शामिल हैं। उसका सीधा जवाब यह है कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर जिन गरीब लोगों ने जमीन के अभाव के कारण या साधन न होने के

कारण अपने लिए पक्के मकान किराए पर नहीं ले सके या नहीं खरीद सके और वे बाहर जाकर दूर–दूर बस गए हैं। उन अनएथोराईज्ड कालोनीज को रैगुलराईज करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस हाऊस के अन्दर पिछ ले सदन की बैठक में खुली घोषणा की थी। स्पीकर सर, उसके लिए हमने दो एजैसिंया ऑलरेड्डी एन्गेज की हुई हैं, जो सर्वे पर लगी हुई हैं और 15 अगस्त तक हमें उनका सर्वे मिल जाएगा। स्पीकर साहब, उस लिहाज से कालोनिज को डिवैल्प करना और उनसे जो भी फीस मुकर्रर होगी उसको लेने के बाद उन्हें सारी सुविधा प्रोवाईड कर दी जाएगी। जहां तक स्तन्य की परिभाषा की बात है, इसमे मैं यह कहना चाहता हूं कि स्तन्य तो वही हैं जो लोग गन्दी जगहों पर नाले के किनारो पर बसे हुए हैं। जहां हम कोई चीज पहुंचाना भी चाह रहे थे लेकिन नहीं पहुंच रही थी। हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी का चिन्तन था कि उन लोगों को भी सुख सुविधा दें। इस विचार के चलते हुए 25 प्रतिशत रेवेन्यू उनके लिए पै देना अपने आप मे एक बहुत बड़ा जस्चर है। जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए। उसमे यह जरूरी नहीं है कि स्तन्य कहां पर हैं। स्पीकर सर, जहां भी इन्वायरमैंट खराब हो रहा है जहां भी रिक्वायरमैंट है जनसाधारण को जो चाहिए वह हम इसमें शामिल कर लेंगे और जो पुरानी रूकावट –का बार बार माननीय सदस्य जिक्र –कर रहे हैं कि पिछली सरकार ने बंद कर दिया तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने उसको खोल दिया है और अब वह पाबन्दी नहीं है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी इस बात से सहमत हूं और माननीय मंत्री जी के पुराने और अब के ऐलानों से भी सहमत हूं। अध्यक्ष महोदय, यह उसी का नतीजा है इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद मे रहने वाले सीपती लोग चाहे वे कहीं भी बसे हों, चाहे वे वहां के अच्छे इलाकों मे बसे हों, चाहे वे वहा के सैक्टरों में बसे हो और चाहे वे शहर के उन इलाकों में बसे हो जहां पर अच्छे नागरिक रहते हैं तो वहां पर भी आप इस पैसे को लगाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि वे लोग चाहे कहीं भी बसें हो, आप इस पैसे को उनके कल्याण के लिए खर्च करेगे।

श्री ए०सी० चौधरीः नहीं नहीं, मेरा कहना यह है कि जहां उनकी कालोनियां बसी हुई हैं, वहां पर प्लांड कालोनिज का अनएप्रूव्ड होना न मुमकिन है। हां, प्लांड कालोनिज में कोई इल लीगल कंस्ट्रक्शन तो हो सकती है तो वह रूल्ज के मुताबिक ही टैकल होगी। अब मैंने कह दिया कि रिकोग्नाईज्ड और नॉन रिकोग्नाईज्ड स्तन्य हो या एक्सटैंशन से बाहर अनएप्रूव्ड हों। जहां पर भी ऐसी सुविधाओ की जरूरत होगी, हम देंगे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे एरियाज उन कालोनिज में हैं जिसके बारे मे कारपोरेशन ने पहले ही रिकमैड करके भेजा है कि वे उनको पैसा देने को तैयार हैं। जहां पर सरकार का पैसा पहले भी लगा हुआ है और इस फंड को भी आप वहां पर लगाएंगे तो क्यो न उनसे 400, 500

और 600 रूपए प्रति गज जो उन्होंने प्रस्तावित करके भेजा है वह उनसे ले लें। अगर ऐसा होगा तो इस फंड में और पैसा आएगा जिससे वहां की ओर ज्यादा ड्वैल्पमैंट होगी। जो आप कह रहे हैं वह सैद्धान्तिक तौर पर अच्छा होगा लेकिन प्रैक्टिकली आधा शहर ऐसे ही पड़ा हुआ है। मंत्री महोदय जी, आज भी अनअथोराईज ड्वैल्पमैंट पुरानी देन है इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी अथोराईज्ड एरिया के बाहर अनअथौराईज डिवैल्पमैंट बहुत तेजी से हो रही हैं, क्या आप इनमें भी पैसा लगाएंगे? अगर नहीं लगाएंगे तो फिर इसके लिए आपको एक गया एक्ट भी लाना पडेगा इसलिए इस बारे में मेरा कहना यह है कि इसको आप और गहनता से देखे तो ज्यादा अच्छा होगा।

Mr. Speaker : Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दीनबन्धु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साईस एण्ड टैक्नोलॉजी मुरथल (अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Urban Development Minister will introduee the Deen Bandhu Chhotu Ram University of Seienee and Technology Murthal (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Urban Development Minister (Sari A.C.Caaudaary) : Sir, I beg to introduce the Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment)

Bill, 2009.

Sir, I also beg to move-

That Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Bill be taken into consideration at onee.

Mr. Speaker : Question is-

That Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clausc.

Clause 2 to 7

Mr. Speaker : Question is—

That Causes 2 to 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enaeting Formula be the Enaeting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Urban Development Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Sari A.C.Caaudaary) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री नरेश यादव (अटेली): स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके द्वारा हरियाणा के सभी पार्ट्स में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज खोली गयी हें। जहा एक तरफ दीन बन्धू छोटू राम यूनिवर्सिटी खोली गयी है

वहीं महिला विश्वविद्यालय भी खोला गया है, राजीव गांधी ऐजुकेशन सिटी भी खोली गयी है। इसके साथ साथ महेन्द्रगढ़ जिले के पाली– जाट मे भी सैंट्रल यूनिवर्सिटी विधिवत रूप से खोली गयी है। स्पीकर साहब, यूनिवर्सिटी खोलने के बारे मे पहले अपोजीशन पार्टी के लोग हरियाणा की जनता को सिर्फ नारा दिया करते थे और झूठ बोलते थे। पिछले चुनावों में जब जनता ने उनको सबक सिखा दिया तो उनके पास इसका कोई जबाव नहीं रहा। स्पीकर साहब, आज भी उनकी तरफ से मिथ्या प्रचार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाली–जाट में सैट्रंल यूनिवर्सिटी नही खोली जा रही है वे लोग भारत सरकार का कोई और झूठा कागज लेकर घूम रहे है और लोगों को इस बारे में गुमराह कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, हमारे जो मैम्बर साहेबान ने कहा है वह उनसे कसंर्ड है। यह बात ठीक है कि जो सैंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है वह महेन्द्रगढ़ जिले में ही खोली जा रही है बाकी बातें तो गुमराह करने वाली हैं।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा को–आपरेटिव सोसाईटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Agrieulture Minister will

introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Agrieulture Minister (Sardar H.S.Caataa) : Sir, I beg to introduce the Haryana Co-operativc Societies (Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into eonsideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Co-operative Soeieties (Amendment) Bill betaken into consideration at onee.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Cause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enaeting Formula be the Enaeting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Agrieulture Minister will move that the Bill be passed.

Agriculture Minister (Sardar H.S. Caataa) : Sir, I beg to move -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved --

That the Bill be passed.

श्री एस०एस०सुरजेवाला (कैथल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और इनकी सरकार को इस बात के लिए बहुत मुबारिकबाद देता हूं और हरियाणा के किसान, खेत मजदूर और खेतों से जुड़े लोगों की तरफ से भी सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि ये दूसरा काला कानून भी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने खत्म कर दिया हे जिसके बारे मे पिछले असैम्बली सैशन में मान लिया था कि इसको सरकार खत्म करने के लिए तैयार है। पहला काला कानून आज से तीन साल पहले पास कर दिया था जिसमे यह था कि यदि किसान लोन वापस देने में डिफॉल्ट कर जाए तो उसको चालीस दिन तक सिविल प्रिजन मे बंद कर सकते हैं और इस अवधि में जो उसका 40 दिन तक खाने का खर्च होगा उसको भी उस कर्जे मे लिख देगे। ये इतना भद्दा, इतना बेरहम, इतना जालिम कानून था जिसको कि इस सरकार ने स्टेच्यूट बुक मे से खत्म कर दिया है इसके लिए मैं उनका हरियाणा के किसानों की तरफ से और गरीब मजदूरो की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हू। अब कोई भी किसान या कोई भी गरीब आदमी जिसने कोऑपरेटिव बैंक से कर्ज ले रखा है उसको अब गिरफ्तार नहीं कर सकते। ज्यादा समय न लेकर मैं सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव ही रखना चाहूगा। एक और जो काला कानून था जिसके तहत कोऑपरेटिव ऐक्ट मे यह

प्रोविजन था कि अगर कोई किसान या गरीब आदमी कर्ज वापस न दे सके तो बैंक उसकी जमीन नीलाम कर सकते थे, मैं पहले उस ऐक्ट की चार लाइने कोट करता हू, इसमें लिखा है –

" ... where a power of sale without the intervention of the Court is expressly eonferrcd on a soeiety by decaration creating thc mortgage, thc socicty or any person authorized by such society in this behalf shall, in case of default of payments of the mortgage money or any part thereof, have power, in addition to any other remedy avaiable to the society. to bring the mortgaged property to sale without the intervention of the Court."

कोऑपरेटिव डिपार्टमैंट के अधिकारियो को बिना क्रोर्ट में जाय ये अख्तियार था कि जो आदमी कर्ज न दे सके उसकी जमीन को नीलाम कर सकते थे, बेच सकते थे। अध्यक्ष महोदय, जो जमीन किसान को इतनी क्षमता न दे सके कि वे कर्ज वापस कर सकें और उस जमीन को भी बेच दिया जाए तो आप क्या कहेगे। उस कानून के होते हम यह कहते थे कि इससे तो अच्छा है कि जमीन बेचने से पहले घर के सारे मैंबरों को सल्फास की गोली ही खिला दी जाए क्योंकि मरना तो दूसरी सूरत मे भी है। इस गुद्दे पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही होसले और हिम्मत से इस बात कीं ऐलान किया कि इस कानून को हम खत्म करना चाहते हैं। उसके आल्टरनेटिव मे मैंने यह कहा था कि किसान की जमीन लीज पर या चकौते पर दे दी जाए और उसका आधा पैसा किसान के परिवार को दे दिया जाए ताकि वह गुजारा कर सके और लीज

मनी का आधा रुपया बैक मे डिपोजिट करवा दिया जाए और जब कर्ज की रकम पूरी हो जाए तो किसान को उसकी जमीन वापस दे दी जाए। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता मे एक कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी मे मैं भी मैंबर था। यह भी मुबारिकबाद की बात है कि इतनी जल्दी कमेटी की रिपोर्ट आई है। 10– 12 दिन पहले रिपोर्ट आई है और आज ये बिल इस हाउस ने इट्रोडयूस कर दिया गया है यह भी अपने आपमे एक रिकार्ड हे। यह रिकार्ड सरकार की नेकनीयती और दृढ़ निश्चय को स्थापित करता है। मंत्री जी इस वक्त हरियाणा कोऑपरेटिव सोसायटीज अमैंडमैंट ऐक्ट, 2009 लेकर आए हैं इसमें सैक्शन 75 जो था वह ओरिजिनल कोऑपरेटिव ऐक्ट है जिसके तहत जमीन नीलाम करते थे उसकी सब सैक्शन 1 जो है उसमे ये ऐड करना चाहता हूं कि जिसके बारे मे ड्राफ्ट मे पै रखा है –

the following provisos shall be added, namely:—

"Provided that if the mortgage is of agricultural land for agriculture and agricultural purposes and both the society and the agriculturist consent that the mortgaged land may be leased out in case of three conseeutive defaults by the agriculturist then the agriculturist shall hand over the possession of the mortgaged land to the soeiety for leasing out the same."

इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके जो व 'ड हैं उनका आप देखे। अगर सोसायटी भी कसैट करे, सोसायटी

का मतलब है बैक, बैंक कंसैंट करे और जो डैटर है वह भी कसैंट करे तो यह क्लाज एप्लीकेबल होगी कि उसकी जमीन बेचने की बजाय लीज पर दे दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इसमे एक कमी हे अगर आरिजनली बैंक एग्री न करे तो फिर बेचारा किसान यानि डैटर क्या करेगा इसलिए यह कंसैट की बात नहीं है बल्कि यह इस कानून का पार्ट होना चाहिए कि इन दि फस्ट इन्सटांस अगर किसान आफर न करे फिर तो बैंक या सोसायटी की मर्जी है कि वे जो भी मर्जी करें। अगर किसान ओफर करता है तो उसके बाद बैंक को यह ओपशन नहीं होनी चाहिए कि वह एग्री करे या न करे। मैं यह समझता हूं कि इसमें यह एक फला है इसलिए इसको सरकार को दूर करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह बात भी कहना चाहता था कि इस बिल की क्लाज 2(।।) का जो तीसरा प्रोवाइजो है वह इस प्रकार –

"Provided further that if the reeovery eannot be effeeted even by leasing out the mortgaged land, the society may make an applieation to the Sale Officer for the sale of the mortgaged and for recovery of the outstanding amount."

सर, इसमे भी काफी इम्बिग्युटी मौजूद है।

"...if the recovery eannot be effected even by leasing out the mortgaged land,..."

यह तो बैंक की ओपशन के०पर है कि अगर किसान अपनी जमीन जो उसने बैंक के पास रहन रखी है उसको वह लीज

पर देने के लिए ओफर करता है तो वह रिकवरी इफैक्ट क्यों नहीं होगी? इसके लिए तो बैंक हें या दूसरे डिपार्टमैट हैं या गवर्नमैंट है उनको इसके लिए उपाय करना चाहिए। इसमें लैंथ का सवाल भी नहीं है बल्कि सवाल यह है कि रिकवरी कब इफैक्ट होगी ? अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमे भी क्लैरीफिकेशन की जरूरत है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह फैसला हुआ था और मुख्यमत्री महोदय जी ने यह घोषणा की थी कि लीज मनी का आधा रुपया किसान के परिवार को हर साल मिलेगा ताकि वह अपना गुजारा कर सके। जब बैंक पूरी जमीन लीज पर दे देगा तो किसान के परिवार ने भी तो अपना पेट पालना है इसलिए लीज मनी का आधा रुपया बैंक के खाते में उसके कर्जे के अगेंस्ट जमा हो जाएगा लेकिन इस बिल में इस बारे में कोई प्रोवीजन मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री जी की एश्योरैंस के अनुसार यह बहुत जरूरी है। सोसायटी के बारे मे बीरेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट के अनुरूप भी यह नहीं है इसलिए यह बात इसमें ऐड की जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान की जो जमीन है वह किसी सूरत में भी बिकनी नहीं चाहिए। बिल में अभी भी इस तरह का प्रोवीजन है कि अगर ईक न चाहे तो किसान की जमीन बिक सकती है। अध्यक्ष महोदय, जमीन को लोग कहते हैं कि जमीन धरती मां हे। धरती मां किसी कीमत पर भी नहीं बिक सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। किसी भी चीज का मूल्यांकन करने के लिए जो सबसे

जरूरी बात है वह यह है कि उस चीज का पता हो कि वह किस चीज से बनी है और क्या वह और भी बन सकती है। दूसरी बात उसकी उम्र का पता हो कि उसकी उस कितनी है तथा तीसरा उसका उपयोग सिंगल हो। उदाहरण के तौर पर मेरा जो जूता है वह मेरी कमीज या पायजमा नहीं हो सकता। मेरी कमीज जूता नहीं हो सकती। यह जो बिल्डिंग है इसकी उस 200 या 300 साल हो सकती है। यह सीमेंट, लोहे और ईटों रो बनी है। कार की उस 10 या 12 साल हो सकती है, यह लोहे से बनी है। इन सब का मूल्यांकन किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल करना चाहता हूं क्या कोई बता सकता है कि जमीन किस चीज की बनी है। क्या कोई दूसरी जमीन बना सकता है। क्या कोई जमीन की उम्र बता सकता है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक जमीन रहेगी। जमीन के मल्टीपल उपयोग हैं। जमीन का कोई एक? उपयोग नहीं है बल्कि जमीन बेशुमार काम आती है। अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी अनूठी चीज जिसकी कोई उस नहीं बता सकता, जो दूसरी नहीं बन सकती है, जिसके उपयोग मल्टीपल हैं, उसको कैसे बेच सकते हैं? मैं मुख्य मंत्री जी को फिर मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने हरियाणा मे जो यह बात असैप्ट की है कि जो जमीन सरकार द्वारा किसी काम के लिए ऐक्वायर की जायेगी उस जमीन का मुआवजा बाजार भाव पर दिया जायेगा और 33 साल तक 15 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सालाना किसान को दिए जायेंगे तथा हर

साल इसमें 500 रुपये की बढौतरी होगी। जो मैं कहना चाह रहा हूं उस डायरैक्शन मे यह पहला कदम है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल और करता हू कि वह कौन सी सरकार होगी जो 33 साल बाद किसान की जमीन का पैसा देना बंद कर देगी। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। यह 33 साल नहीं, वह 3300 साल होगा, 33000 साल होगा और हमेशा के लिए यह कानून बनेगा। किसानों को आज जो पैसा मिला है वह पैसा कब्जा देने के लिए मिला है ताकि उनकी जमीन का इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद हरियाणा सरकार ने कहा है कि 15 हजार रुपये 33– साल तक मिलेंगे तथा हर साल उनमें 500 रुपये की बढ़ौतरी भी होगी। मैं कहता हूं कि किसान की जमीन किसी सूरत मे नहीं बिकनी चाहिए और यही परपज इस अमैंडमैंट का है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक्सप्लेनेशन– 1 में परपज दे रखें है कि किस–किस चीज के लिए किसान कर्जा लेगा तो यह लागू होगा। इसमे स्पैसीफिक तौर पर ट्रेक्टर और इम्पलीमैंट्स का जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो टयूबवैल है वह पहले 10–20 हजार रुपये मे लगता था जबकि आज किसान को सबमर्सीबल टयूबवैल लगाना पड़ता है जिस पर लाखों रुपये का खर्चा लगता है ओर किसान के पास इतना पैसा नहीं होता, यह बात आप भली–भांति जानते हैं। हालांकि इसमे इम्पलीमैंट्स एंड मशीनरी वर्ड यूज किया है फिर भी मैं यह चाहूगा कि इसको कोई मिसइंटरप्रैट कर सकता

है और बेक कर्मचारी किसान को परेशान कर सकते है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि जब किसान कर्ज की किस्त वापिस करता है तो इस वक्त बैंक में यह प्रथा है कि जो ब्याज बनेगा उसका उस ब्याज के मुजरा उसकी किस्त जमा कर लेंगे और असल रकम हे वह खड़ी रहेगी तथा किसान को भारी भरकम व्याज हर किस्त पर देना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब किसान पहली किस्त दे तो वह असल में से डिडैक्ट कर दी जाये ताकि ग्रेजुवली टैंपर हो जाये और किसान को ज्यादा व्याज न देना पड़े। अध्यक्ष महोदय, यदि नाबार्ड इस बात को नहीं मानता तो मैं नहीं समझता कि सरकार के लिए नाबार्ड को मनाना मुश्किल बात है। सरकार लोगों की नुमाइंदगी करती है और बहुत शक्तिशाली चीज है जबकि नाबार्ड भारत सरकार का विभाग है। अध्यक्ष महोदय, गे एक बात यह जरूर कहना चाहूंगा जिसके बारे में आज एक सवाल भी लगा था कि किसान को कर्जा लेने के लिए यदि कोपरेटिएव बैंक को जमीन मोर्टगेज करनी पड़ती है तो उसके लिए स्टैम्प डयूटी नहीं देनी पडती जबकि नैशनालाईज्ड बैंक्स को सेम परपज के लिए किसान लोन लेने के लिए जमीन मोर्टगेज करता है तो उसे स्टैम्प डयूटी देनी पड़ती है। मंत्री महोदय, मेरी इस बात की तरफ ध्यान दे मै यह बिलकुल सही बात कह रहा हू। यह बहुत ही डिसक्रीमिनेटरी बात है। कोपरेटिव बैक्स से किसान द्वारा लोन लेते वक्त जमीन मोर्टगेज के लिए स्टैम्प डयूटी न लेने के लिए सरकार ने दो दलील दी हे। इन्होंने कहा है कि एक तो किसान पर कर्जा न चढ़े और दूसरा किसान की

क्षमता भी नहीं है इसलिए कोपरेटिव बैंक से कर्जा लेते वक्त जमीन मोर्टगेज करने पर स्टेम्प डयूटी माफ की गई है। अध. महोदय, नैशनलाईज्ड बैंक्स पर किसान को जमीन मोर्टगेज कराने के लिए स्टैम्प डयूटी .... पड़ती है। मैं समझता हूं कि जो मैं यह जिक्र कर रहा हूं यह इस अमेंडमेंट का डायरैक्टली पार्ट नहीं है पर इससे टोटली कनेकिड है और सरकार इस पर फैसला करे तथा नैशनलाईज्ड बैंक्स पर भी किसान। के लिए जमीन मोर्टगेज की स्टैम्प डयूटी खत्म करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में अमैंडमैंट लाने के लिए मैं सरकार और माननीय मुख्यमत्री महोदय को बार–बार धन्यवाद देता हूं। मैं यह समझता हू कि सरकार द्वारा को–आपरेटिव एक्ट में संशोधन करके जो रियायतें किसानों को दी गई हैं यह संशोधन नैशनेलाईज्ड बैंकों पर भी लागू होना चाहिए। नैशनेलाईज्ड बैंको को भी क्यो यह अधिकार हो कि वे किसी किसान से ऋण की रिकवरी न होने की सूरत में उसकी जमीन बेच दें, उन्हें भी किसानों से ऋण की रिकवरी के लिए इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना चाहिए। हरियाणा सरकार को नैशनेलाईज्ड़ बैंक्स को भी इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए मजबूर करना चाहिए, चाहे इसके लिए गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया से विशेष तौर पर दरख्वास्त ही क्यो न करनी पड़े या कुछ और भी कर ना पड़े, मैं समझता हूं कि सरकार को हर हाल मे यह प्रोसीजर नैशनेलाईज्ड बेक्स से भी अडॉप्ट करवाना चाहिए। मेरे दि चार से ऐसा करना कोई मुश्किल

काम नहीं है और मुझे उम्मीद हे कि ऐसा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर कारगर कदम उठायेंगे। यह आज के समय की मांग है कि जो रियायतें आज सरकार इस बिल में अमैंडमैंट करके को–आपरेटिव बैंक्स के माध्यम से किसानो को देने जा रही हे जब कोई किसान नैशनेलाईज्ड बैंक्स से अपने किसी परपज के लिए कर्जा ले तो यह निर्णय नैशनेलाईज्ड़ बैंक्स पर भी लाग हो। स्पीकर सर, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा के सत्र में मुख्यमत्री जी ने इस संदर्भ में घोषणा की थी कि किसान की जमीन नीलाम न हो इसके लिए हम कोई ठोस कदम उठायेगे। इसी बात को ध्यान मे रखते हुए मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मंत्री मण्डल स्तरीय सब– कमेटी का गठन किया गया था और मुझे इस सब–कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उस कमेटी ने चंद दिनो पहले ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। उसमें विशेष रूप से दो–तीन बातो का जिक्र किया गया है जिनके बारे में माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने भी चर्चा की है। वे स्वय भी इस कमेटी के सदस्य थे। सबसे पहले हमने यह महसूस किया कि को– आपरेटिव एक्ट के सैक्शन 75 मे संशोधन की जरूरत है। इसका मुख्य कारण यह था कि जब किसी किसान से ऋण की रिकवरी करने के लिए बैंक के सारे साधन एग्जास्ट हो जाते थे तो ऐसी परिस्थिति मे उस बैंक द्वारा सम्बधित

किसान की जमीन को नीलाम करने का नोटिस जारी कर दिया जाता था और उसके बाद एक स्टेज पर आकर उसकी जमीन नीलाम भी हो जाती थी। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मौजूदा काग्रेस सरकार के सादे चार साल के शासन काल के दौरान शायद कहीं कोई ऐसा कारण बना हो जहा पर किसी किसान की जमीन नीलाम करने की नौबत आई हो। इसके बावजूद भी हमारे मन मे यह बात थी कि इस एक्ट के कारण ऋण की अदायगी न करने की कत में जो किसान के०पर उसकी जमीन की नीलामी रूपी खतरे की तलवार लटकती रहती थी उसे हटाया जाये। उसमें हमने यह सुझाव दिया था और हमारा वह सुझाव इस अमैंडमैंट के अन्दर आया है कि अगर डिफाल्टर होने के कारण किसी किसान की जमीन नीलाम करने की नौबत आती है तो ऋण की अदायगी करने के मकसद हेतु सबसे पहले उसकी जमीन पर कास्त करने के बारे में उसे ही कहा जायेगा। जैसे किसी किसान की चार एकड़ जमीन नीलाम होनी है तो उस स्थिति मे हम उसको यह कहेंगे कि अपनी यह चार एकड़ जमीन आप अपने पास रखो, बैंक का इतना पैसा आपकी तरफ कर्ज के रूप मे देय हे उसके बाद उस जमीन का सम्बंधित जिले या स्थान विशेष के मुताबिक चकौते का जो रेट होगा उसके हिसाब से वह प्रति फसल में से आधा अपने पास रखेगा और आधे की बैंक को ऋण के भुगतान के रूप मे अदायगी करेगा। मान लीजिए किसी स्थान विशेष का नहरी पानी या टयूबवैल से सिंचित भूमि का चकौते का रेट 20 हजार रूपये प्रति एकड़ है तो वह 10 हजार रूपये प्रत्येक

फसल पर प्रति एकड़ के हिसाब से बैंक के पास जमा करायेगा और बाकी का वह उस जमीन से जितना भी कमायेगा उसको वह अपने पास रखेगा। वह 20 हजार के बजाये 50 हजार से लेकर एक लाख रूपये प्रति एकड तक भी कमा सकता है। इस बारे मे हमने एक तो यह ऑप्शन दी है। दूसरा अगर किसी सूरत में वह किसान अपनी जमीन को चकौतै पर या लीज पर न लेना चाहे तो फिर हम किसी दूसरे किसान को भी यह कह सकते हैं कि आप अगर इस जमीन को चकौते पर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऐसा करने पर उसको उसी हिसाब से आधा पैसा बैंक को देना होगा ओर आधा वह अपने पास रखेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इससे उस किसान के डिफाल्टर होने की नौबत नहीं आयेगी। वह डिफाल्टर तो तब होगा अगर वह चकौते की रकम बैंक में जमा नहीं करवाता अदरवाईज उसको डिफाल्ट करने की नौबत नहीं आयेगी। इस प्रकार से हमने किसानों को यह बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। इससे वह अपनी जमीन का खुद मालिक रहेगा, अगर वह चाहे तो उस पर स्वयं काश्त करेगा और जो भी उसकी लीज मनी है वह बैंक मे कर्जा उतारने की सूरत में उसका 50 प्रतिशत जमा करवाता रहेगा। इससे उसकी जमीन गी नीलाम नहीं होगी और वह बैंक के कर्जे से भी मुक्ति पा लेगा। इसके अलावा जहां जमीन बरानी है, जहां पर टयूबवैल' और नहरी पानी से सिंचाई की सुविधा नहीं है, उस जमीन के लिए हमने यह फैसला किया है कि सम्बंधित किसान चकौते की रकम का 30 प्रतिशत बैंक को देगा और बाकी का अपने पास रखेगा। जैसे अगर किसी किसान की

जमीन का 15 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से चकौता फिकर होता है तो उस सूरत मे 5 हजार रूपये वह बैंक को देगा ओर 10 हजार रूपये अपने पास रखेगा। इस प्रकार से किसानो द्वारा कर्जा अदा न करने की स्थिति में उसकी जमीन को नीलाम होने से बचाने के लिए हमने यह प्रावधान किया है। एक तो इसमे हमने यह किया है और दूसरी बात जो श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला साहब ने कही है।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्याइट ऑफ ऑर्डर हे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ये जो बात कह रहे हैं क्या उसमें जमीन का मालिक किसान रहेगा और उस बात का फैसला कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष. राय साहब, यह कानून इसीलिए बना रहे हें कि किसान जर्मान का मालिक बना रहे।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, दूसरे उसके अन्दर जो प्रावधान है वह यह है कि आज कल जमीन के फ्लोर रेट बढ़ गये हैं। हमारी सरकार आते ही हमने जमीन के बढ़े हुए फ्लोर रेट तय किये थे। एन०सी०आर० से बाहर की जो जमीन है उसमें 10,40,000/– प्रति एकड़ से कम की कोई जमीन नहीं है। जैसा श्री सुरजेवाला जी ने कहा कि सबमसिंबल टयूबवैल या और कृषि से संबंधित कोई मशीनरी किसान खरीदना चाहता है तो पहले ट्रैक्टर का लोन देते वक्त लगभग 5 एकड़ जमीन गिरवी रखनी

पड़ती थी लेकिन इस स्थिति मे उसको एक एकड़ से ज्यादा जमीन गिरवी नहीं रखनी पडेगी। एक एकड़ जमीन की कीमत में ही वह ट्रैक्टर खरीद सकता हे और एन०सी०आर० की अगर जमीन हो तो उसमें हो सकता है कि आधा एकड़ में ही काम चल जाये। एक और सबसे बड़ी बात हमने की जिस पर श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने भी चर्चा की है कि किसान जो लोन लेता है उसके०पर बैंकों द्वारा ब्याज लगाने का तरीका सही नहीं है। मान लीजिएए किसी ने 5 लाख रूपये ट्रैक्टर का लोन लिया तो उसकी 50–50 हजार की दस किस्ते बना दी जाती थी। जो पहली किस्त होती है उसमें ब्याज ही ज्यादा कटता है ओर रिड्यूसिंग इन्ट्रैस्ट की प्रथा नहीं है। कमर्शियल बैंको में भी ऐसी ही प्रथा है। हमने बैंक अधिकारियों से भी बात की तो उन्होने कहा कि यह सम्भव नहीं है। हम यह चाहते थे कि जब किसान ने पहली किस्त के 50 हजार रूपये दे दिये तो अगली किस्त में साढ़े चार लाख रूपये पर ही ब्याज लगे। इसी प्रकार से किसान अगर दूसरी किस्त भी 50 हजार रूपये जमा करवा देता है तो ब्याज 4 लाख रूपये पर लगेगा और इसी प्रकार से तीसरी किस्त व बाकी किस्तों पर ब्याज लगे। अंत में जब 10 की 10 किस्तें पूरी हो जायें तब जा कर उसके०पर ब्याज वसूला जाये। इस प्रकार से जो ब्याज की क्लैकशन होती है तो जो ब्याज वह दे रहा है उस पर तीन से सवा तीन परसैंट ब्याज का लाभ किसान को होता है। इसके लिए हमें नाबार्ड से भी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी बात करनी पड़ेगी। उनको अपनी बात समझानी पडेगी ओर हमने तो यही तक

सोचा है कि अगर नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी बात नहीं मानते हैं तो वह तीन परसैंट का अन्तर सरकार और बैंक मिलकर वहन करेगे।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, इस बारे मे मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि हर जिले में रि–कसाइलेशन बोर्ड कंस्टीच्यूट कर रखे हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा कि अगर किसी की जमीन ज्यादा मोर्टगेज कर रखी है और उसका लोन एक ही एकड़ में पूरा हो सकता है तो वह बाकी की जमीन छुड़वाने के लिए रिकसाइलेशन बोर्ड मे जा सकता हे। जो उसकी फालतू जमीन मोर्टगेज कर रखी है वह भी कम हो सकती है यह बात भी इस कमेटी मे रखी गई थी और हमने उसको रिकमैड करके भेजा है। दूसरा जो सबसे बड़ा रिलीफ दिया है विशेष तौर से हमारे जैसे एरिया मे जहॉ सिंगल क्रॉंप है वही पर लीज मनी कम की गई है उसका भी हम स्वागत करत हैं।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई): अध्यक्ष महोदय, यह पूरे देश में पहली स्टेट है जिसने इस प्रकार का रिवोल्युशनरी कदम उठाया है। पिछले सैशन में जब यह आईडिया फ्लोट किया तो, हमे बड़ा अजीब लगा कि कैसे एक प्रोपटी जो कर्जे के खिलाफ रहन रखी गई उसको नीलाम नहीं किया जायेगा लेकिन मैं सरकार, मुख्य मंत्री जी, श्री सुरजेवाला जी और श्री बीरेन्द्र सिंह जी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी उसको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस समस्या का इतना अच्छा हल निकाला

और एक लैंडमार्क डिसिजन सरकार ने इस मामले में दिया है कि किसान की जमीन रहन नहीं होगी। बाकी चीजों का जिक्र श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने किया है। जिन बातो के लिए इन्होने कमिट किया था उससे भी बढ़कर अपनी कमेटी में फैसला लिया है। इसके लिए टोटल कृषक समाज इसका बहुत–बहुत धन्यावाद करता है। पिछले सादे चार साल से मैं देखता हूं कि हमेशा एक से एक अनूठी स्कीम किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब आदमी के लिए, कृषक के लिए, गाव में रहने वाले के लिए, इस सरकार ने जारी की है। अभी जिक्र आया कि सारी अधिग्रहण जमीन की कम्पैनसेशन मिल गई और फिर साढ़े तेतीस साल तक उसको ठेका देना यह भी शायद अपने आप में एक मिसाल है। हो सकता है इन्टरनैशनल लैवल पर भी कहीं पर ऐसी स्कीम नहीं होगी। ऐसी स्कीम का अन्दाजा किसी को नहीं है I think it is nowhere in the world इसके लिए आदरणीय मुख्य मन्त्री जी, जिन्होने किसानो के हित में इतनी बडी बात की, बहुत ही सराहना के पात्र हें। माननीय मुख्य मन्त्री जी, इसके साथ ही साथ मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हू कि आप पूरे प्रयासरत हैं कि किसान बच जाए और उसके०पर कोई बोझ न पड़े। कहीं–कहीं मुझे यह मालूम नहीं कि यह सरकारीकरण के कारण है या यह क्या चीज है कि आजकल कॉआपरेटिव बैंको के अन्दर किसान से उसकी जमीन की एक किस से फर्द कें०पर 150 रुपये लीगल चार्जिज लगाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि शायद वह आपके नॉलेज मे ही ही नहीं और हो सकता है कि विभाग के नॉलेज में भी यह न हो।

इस तरह से लोकल बैंक किसान का शोषण करते हैं। वे 150 रुपये या 250 रुपये देकर किसी वकील को फौज कर लेते हैं। यह करोड़ो रुपये का स्कैंडल है और इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किसान को उसकी जमीन का ब्यौरा लेने के लिए कम से कम किसी वकील की जरूरत नहीं है। वह पटवारी से कागज ला सकता है ओर तहसीलदार उसको तस्दीक कर सकता है। इस बात को आपको देखना होगा क्योकि इस तरह से जिलों के अन्दर किसान का शोषण हो रहा है।

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): मान साहब, जो बात कह रहे हैं कमर्शियल बैंको मे ऐसा हो सकता है लेकिन कोआपरेटिव बैंकों में ऐसा नहीं है। अगर कहीं ऐसा है तो हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान: माननीय मुख्य मंत्री जी, कोआपरेटिव बैंक्स में भी ऐसा हो रहा है इसलिए मैं यह बात आपके नोटिस में ला रहा हूं। मैं आपके नॉलेज में ला रहा हूं कि एक डायरैक्टिव होना चाहिए कि कोई लीगल आदमी नहीं लगाएगा। अगर कोई बैंक का वकील उसको देखता है तो इसके लिए किसान से पैसे क्यों लिए जाएं स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि किसान का बहुत सा पैसा मुआफ हुआ है, मजदूरों का पैसा मुआफ हुआ है। दिल्ली सरकार ने भी सूद मे बड़ा भारी रिलीफ दिया है लेकिन उससे किसानो की एक विशेष सेगमैट है जो हमेशा से सही वक्त पर अपना कर्जा अदा करती थी

वे लोग कहीं न कहीं यह महसूस करते हैं कि हमें जो विशेष सराहना मिलनी चाहिए थी वह सरकार की ओर से नहीं मिली है। अब जो ऋण लिये जा रहे हैं, कोआपरेटिव बैंकों से या कमर्शियल बैंकों से जो ऋण लिये रजा रहे हें किसान की नीयत यह हो गई है कि आज की तारीख मे एक बार ऋण ले तो यदि ऋण वापिस नहीं करेगे तो सरकार अपने आप हमारे ऋण मुआफ करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई न कोई provision for better pay masters होना चाहिए जो ऋण ले कर समय पर वापिस देते हें दो या तीन परसैंट का सबस्टैंशियल रिलीफ उनके लिए होना चाहिए। स्पीकर सर मैं इन्ही शब्दो के साथ अपनी बात खत्म करने से पहले यह भी कहूंगा कि आजकल हाउसिंग लोन की बड़ी प्राथमिकता है। कोआपरेटिव बैंको के माध्यम से गांवों मे हाउसिंग के लिए आप कोई स्कीम बना सकते हैं ताकि हाउसिंग के लिए सोसाईटी के माध्यम से यह कर्जा छोटे सूद या कम सूद पर दिया जाए। स्पीकर सर, मैं एक और बात माननीय मुख्य मंत्री जी के नोटिस मे लाना चाहता हूं। आदरणीय स्पीकर साहब, आदरणीय मुख्य मंत्री जी, आप स्वयं, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी तथा सुरजेवाला जी, हम सभी कोआपरेटिव मूवमैंट से जुड़े हुए हैं। मेरा भी तीस–चालीस साल का कोआपरेटिव से जोड़ है हमने बहुत मेहनत करके गांव–गांव मे कोआपरेटिव सोसाईटीज पहुचाई। गाव–गांव तक सोसाईटीज के भवन बनवाए गये थे और गांव–गांव तक खाद की उपलब्धि करवाई थी लेकिन पैक बनाने के बाद वह सारा का सारा आठ दस गांवो की पैरिफेरी मे एक गांव हो गया और इसका

कोई फायदा लोगों को नहीं हुआ। इसमे एक ख्याल था कि बैंकों के ओवर डैट घट जाएंगे लेकिन जितने भी मुलाजिम थे वे सारे के सारे यूं के यूं ही हैं। एक–एक जगह पर चौदह–चौदह आदमियो का एक जमावड़ा है। एक पैक के अन्दर 14– 14 आदमी हैं जिनका कोई काम नहीं है। आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी वह इस्तेमाल नहीं होगी। मुख्य मन्त्री जी से मेरा आग्रह है कि इसके०पर बड़ा ध्यान दे कर उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। हाईकोर्ट ने भी इस पर बहुत सी टिप्पणियां की हैं। इसमें पैक को मिनी बैंक के अन्दर कन्वर्ट किया जाए। स्पीकर सर, इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का, सुरजेवाला जी का, बीरेन्द्र सिंह जी का और अपने कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब का बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होने किसानों कें लिए एक नायाब चीज इस ऐक्ट के तहत दी है।

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चड्ढा): स्पीकर सर, तेजेन्द्र पाल सिंह मान जी को मैं जब से देख रहा हूं इनकी काआप्राटेव मे बहुत रूचि है। इन्होने जो बातें कहीं हैं उन पर पूरा विचार किया जाएगा। दूसरी बात जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि अगर कोई फीस वकील लेता हे तो उस बारे में भी हम विचार करेंगे। स्पीकर सर, एक बात तो सिद्ध है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जेलो से बात शुरू की और कहा कि किसान जेल मे नहीं जाएगा, उन्होने किसानो के कर्जे माफ किए, किसानो का सूद माफ किया, बिजली के बिल माफ किए और अब कोआप्रेटिव में चीफ

मिनिस्टर साहब ऐसा प्रावधान ले आए हैं कि किसान अगर चार कनाल जमीन दे तो वह ट्रैक्टर कर्जे पर ले सकता है। अगर 2 कनाल जमीन दे तो वह टयूबवैल कर्जे पर ले सकता है। इससे बडी बात किसानों के लिए हिन्दुस्तान में कोई नहीं कर सकता है जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने की है। स्पीकर सर, इसके साथ मिनी बैंक्स की जो बात है इस बारे मे कई जगहों से शिकायते आई हैं इसमे कोई दो राय नहीं है। हम इसको भी देखेंगे।

श्री कर्ण सिह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बिल को लेकर आई है मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को इसके लिए मुबारिकबाद देता हूं कि इन्होने किसानों के हित मे इतने अच्छे कानून बनाए है। मेरा भी इसमें एक निवेदन है कि जहां इन्होने हरियाणा में इतने क्रान्तिकारी कदम उठाए हैं उनकी वजह से लाखों करोड़ो लोगों को फायदा पहुंचा है। इस बिल मे जो किसान अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने खेतो के लिए औजार, ट्रैक्टर और इंजन के लिए कर्ज लेता है उस बारे मे बैंक और डीलर उस किसान का शोषण करते हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब किसान कर्जा ले रहा हो तो यह जो डीलर हैं इनका उसमें कोई काम नहीं होना चाहिए। बैंक से सीधा पैसा किसान को मिलना चाहिए। किसान जिस काम के लिए पैसा लेता है अगर वह उस काम में ही उसको प्रयोग करेगा तो उससे किसान का ज्यादा फायदा होगा।

सरदार एच०एस० चट्ठा: अगर किसी ने बैंक से कर्जा लेना है तो मेरे ख्याल से हम डीलर को कुछ नहीं देते हैं। हम तो किसान को ही कर्जा देंगे बशर्ते कि वह अपनी जरूरत का सामान ही खरीदे। यह न हो कि किसान सामान न खरीदे और चौक ले जाए तथा उस डीलर का हिसाब किताब क्लीयर करे। हमारी तो कोशिश हे कि जमींदार अगर ट्रैक्टर के लिए कर्जा लेता है तो वह ट्रैक्टर ही ले, टयूबवैल के लिए कर्जा लेता है तो वह टयूबवैल ही लगाए। जब वह अपने सामान का बिल दे देता है तो ही हम उसको उसके अमाउन्ट का चौक देते हैं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला: स्पीकर सर, अब यह नहीं है लेकिन पांच साल पहले यह था कि डीलर और बेंक मैनेजर किसान का केस तैयार करते थे और एक लाख कम मे किसान अपना ट्रैक्टर उनके पास ही छोड़कर नगद पैसे लेकर चला जाता था।

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (अमैंडमैंट) बिल 2009

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its eonsideration.

Power Minister (Sari Randeep Singa Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2009.

Sir, **I** also beg to move—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into eonsideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into eonsideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into eonsideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clausc.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause I stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enaeting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill he passed.

Power Minister (Sari Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move--

That the. Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रैगुलेशन ऑफ अर्बन ऐरियाज (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Sari Randeep Singa Surejwala) : Sir, **I** beg to introduee the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill be taken into eonsideration at onee.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Seeond Amendment) Bill be taken into

eonsideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will eonsider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister(Sari Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

Thai the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि कोर्ट फीस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Minister of State for Revenue will introduce the Court Fees (Haryana Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं न्यायलय फीस (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2009 को प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हू कि न्यायलय फीस (हरियाणा संशोधित) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill be taken into eonsideration at onee.

Mr. Speaker : Question is—

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, thc House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Revenue will move that the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल): अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज (थर्ड अमैंडमैंट) बिल, 2009

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the Haryana Private Universities (Third Amendment) Bill, 2009 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Sari Mange Ram Gupta): Sir, I beg to introduce the Haryana Private Universities (Third Amendment) Bill, 2009.

Sir, I also beg to move -

That the Haryana Private Universities (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Haryana Private Universities (Third Amendment) Bill be taken into eonsideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Private Universities (Third Amendment) Bill be taken into eonsideration at onee.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill

clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is -

That Enacung Formula be the Enaeting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Edueation Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Sari Mange Ram Gupta) : Sir,

I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

वाई०एम०सी०ए० यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी फरीदाबाद, बिल, 2009,

Mr. Speaker: Now, the Teehnieal Edueation Minister will introduce YMCA University of Seience and Technology Faridabad Bill, 2009 and will also move the motion for its eonsideration.

Urban Development Minister (Sari A.C. Chaudaary): Sir, I beg to introduce YMCA University of Scienee and Technology Faridabad Bill, 2009.

Sir, I also beg to move —

That YMCA University of Seience and Technology Faridabad Bill be taken into eonsideration at onee.

Mr. Speaker: Motion moved —

That YMCA University of Science and Technology Faridabad Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That YMCA University of Seienee and Technology Faridabad Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी०चौधरी): स्पीकर सर, मैं इस बिल की कुछ क्लाजिज में अमैंडमैंटस प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या हाउस सहमत है कि अमैंडमैंटस प्रस्तुत कर दी जाएं।

आवाजें: ठीक है जी, कर दें।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Urban Development Minister will present the amendments.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhry): Sir, **I** beg to present-

1. In elause 2(b) after the signs and words, ". or admitted to the privileges of," shall be omitted

2. In elause 2(h) after the signs and words,", or admitted to the privileges of shall be omitted.

3. In clause 2(i) after the signs and words, or admitted to the privileges of," shall be omitted.

4. Clause 4 shall be omitted.

5. In clause 5(l) to be renumbered as 4(1)-

(i) the words "within territorial jurisdietion of " shall be omitted.

(ii) After the words, "assigned to it" the word "by" shall be inserted.

6. Clause 6 to be renumbered as Clause 5 and in Clause(j)[(to be renumbered as 5(j)], the words and sign,"colleges:" "and institutions" shall be omitted.

7. In clause 6(t)[(to be renumbered as 5(01—

(i) the words and sign,"any college, institution or" shall be omitted.

(ii) the words,"admitted to the privileges" shall bc omitted.

8. Clause 6(u)[(to be renumbered as 5 (u)] shall be omitted.

9. Clause 6(v)[(to be renumbered as 5 (v)] shall be omitted.

In view of above amendments the Clauses 7 to 36 shall be renumbered as causes 6 to 35 aceordingly.

Mr. Speaker: Now, the House will eonsider the Bill clause by elause.

Sub clause (2) of elause 1

Mr. Speaker : Question is -

That Sub clause (2) of clause **1** stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: I have received a notice of amendments to this elause from Urban Development Minister. He may please move the amendments.

Urban Development Minister (Sari A.C. Chaudhry): Sir, I beg to move-

1. That in clause 2(b) after the signs and words, ", or admitted to the privileges of," shall be omitted.

2. That in clause 2(h) after the signs and words,", or admitted to the privileges of ," shall be omitted.

3. That in elause 2(i) after the signs and words, ", or admitted to the privileges of," shall be omitted.

Mr. Speaker: Motion moved-

1. That in clause 2(b) after the signs and words, ", or admitted to thc privileges of," shall be omitted.

2. That in clause 2(h) after the signs and words.", or admitted to the privileges of ," shall be omitted.

3. That in clause 2(i) after the signs and words. ". or admitted to the privileges of," shall be omitted.

Mr. Speaker: Question is -

1. That in elause 2(b) after the signs and words, ", or admitted to the privileges of," shall be omitted.

2. That in clause 2(h) after the signs and words.", or admitted to the privileges of ," shall be omitted.

3. That in elause 2(i) after the signs and words, ", or admitted to the privileges of," shall be omitted.

The motion, as amended, was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: I have received a notiee of amendments to this clause from Urban Development Minister. He may please move the amendments.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir, I beg to move-

That Clause 4 shall be omitted.

Mr. Speaker: Motion moved—

That Clause 4 shall be omitted.

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 4 shall be omitted.

The motion, as amended, was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: I have received a notice of amendments to this clause from Urban Development Minister. He may please move the amendments.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir. I beg to move-

1. That the words "within territorial jurisdiction of " shall be omitted.

2. That after the words, "assigned to it" the word "by" shall he inserted.

Mr. Speaker: Motion moved-

1. That the words "within territorial jurisdiction of " shall be omitted.

2. That after the words, "assigned to it" the word "by" shall be inserted.

Mr. Speaker: Question is -

1. That the words "within territorial jurisdietion of " shall be omitted.

2. That after the words, "assigned to it" the word "by" shall be inserted. The motion, as amended, was carried

Existing Clause 5 renumbered as Clause 4

Clause 6

Mr. Speaker: I have reeeived a notice of

amendments to this cause from Urban Development Minister. He may please move the amendments.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhry): Sir, I beg to move-

1. That in Clause 6 (j) the words and sign,"colleges," "and institutions" shall be omitted.

2. That in elause 6(t) the words and sign,"any eollege, institution or" shall be omitted. The words,"admitted to the privileges" shall be omitted.

3. That Clause 6(u) shall be omitted.

4. That Clause 6(v) shall be omitted.

Mr. Speaker: Motion moved-

1. That in Clause 6 (j) the words and sign,"colleges," "and institutions" shall be omitted.

2. That in elause 6(t) the words and sign,"any eollege, institution or" shall be omitted. The words,"admitted to the privileges" shall be omitted.

3. That Clause 6(u) shall be omitted.

4. That Clause 6(v) shall be omitted.

Mr. Speaker: Question is —

1. That in Clause 6 (j) the words and sign."eolleges," "and institutions" shall be omitted.

2. That in elause 6(t) the words and sign,"any

eollege, institution or" shall be omitted. The words,"admitted to the privileges" shall be omitted.

3. That Clause 6(u) shall be omitted.

4. That Clause 6(v) shall be omitted. The motion, as amended, was carried. Existing Clause 6 renumbered as Clause 5 and Clauses 7 to 36 renumbered as Clauses 6 to 35.

Clauses 6 to 35

Mr. Speaker : Question is -

That Clauses 6 to 35, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sehedule

Mr. Speaker : Question is -

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause 1 of Clause I stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Urban Development Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill, as amended, be passed.

श्री कर्ण सिंह दलालः सर, मैं सरकार, को मुबारिकबाद देता हूं कि हमारे फरीदाबाद जिले और पलवल जिले के लिए पहला विश्वविद्यालय वाई०एम०सी०ए० यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टैक्नोलौजी के नाम पर खोला गया है इससे न केवल दोनो जिलों को और तमाम हरियाणा के बच्चो को व हरियाणा प्रदेश से सटे हुए प्रदेशों के बच्चो को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी सुझाव है किं ये जो फरीदाबाद म्। वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग बनी हुई है उसे आपने विश्वविद्यालय का

दर्जा दिया है, इस विश्वविद्यालय को मौजूदा स्थान पर जिस भी गांव की पंचायत जमीन देती हो, वह जमीन उनसे ले लेनी चाहिए। चाहे फरीदाबाद जिले में जमीन उपलब्ध करवाए या पलवल जिले मे जमीन उपलब्ध करवाएं लेकिन इसके लिए जमीन उपलब्ध करवाना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इसको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पर बनाने का काम सरकार ने किया हे। अगर सरकार चाहे तो दोनो जिलो में पंचायतें इनको जमीन देने के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से अनुरोध है कि यह जो वाई०एम०सी०ए०विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय बिल लेकर आए है इसमें अगर ये इस तरफ भी कदम बढाएगे तो इससे प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा होगा।

श्री ए०सी०चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस्मसे पहले कि आदरणीय साथी की बात का जवाब दूं मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वाई०एम० सी०ए०को एक इंटरनैशनल स्टेटस के स्टैण्डर्ड का कालेज –हरियाणा के अंदर देने का निर्णय किया है लेकिन इसके साथ ही हम इसकी ओर भी एक्सटैंशन करने जा रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी सरकार के पास आए हुए 26 एकड़ जमीन के प्रस्ताव को हमने पास कर दिया है। यह जो कालेज आज के दिन जिस लोकेशन पर मौजूद है, दुनिया के कोने कोने से आने वाले लोग जब वे आगरा की तरफ जाते हैं तो वाई०एम०सी०ए० की बेहतरीन

किस्म की और लेटस्ट टैक्नोलोजी की बिल्डिंग को देखकर इस बात का अन्दाजा लगा सकते है कि हमारी सरकार का चिंतन क्या है। उसकी एक्सटेंशन के लिए ऑलरेडी हमने दूसरा प्रोजैक्ट क्लीयर कर दिया है और इसको बहुत जल्दी ही हम एक्सपैंड भी कर देंगे।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

राज्य सभा के नव–निर्वाचित सदस्य को बधाई

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस सदन के एक आदरणीय और वरिष्ठ सदस्य श्री शादी लाल बतरा जी निर्विरोध राज्य सभा के सांसद के तौर पर आज चुने गए है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) मैं सदन के नेता की तरफ से, अपनी तरफ से और सभी साथियो की ओर से बतरा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जिस प्रकार से उनका रचनात्मक सहयोग और योगदान सदन के सदस्य के रूप मे रहा, –चाहे वे विपक्ष में थे और चाहे वे सत्ता पक्ष मे थे, वह सराहनीय रहा उन्होने मार्कीटिग बौर्ड के चेयरमैन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बखूबी निभाई। विभित्र कमेटियो के चेयरमैंन के रूप मे उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इस सदन मे जो विभित्र चर्चाएं हुई उनमे इन्होने

आगे बढ़कर भाग लिया। स्पीकर्स पैनल पर मी इन्होने बड़ी काबलियत से सर्व किया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि हमारे पूरे देश और प्रदेश को बतरा साहब की राज्यसभा के सांसद के तोर पर बेहतरीन सेवाएं मिलेगी और ये हरियाणा के पक्ष को मजबूती व काबिल तरीके से पेश करेंगे। देश ऐसे सांसद की सेवाओं का पूरा लाभ उठाएगा। मैं एक बार फिर उनको मुबारकबाद देता हू।

श्री शादी लाल बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, अध्यक्षा, AICC आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और समस्त सदस्यगण का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके मुझे इस काबिल समझा और मुझे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र देश के सबसे०चे स्थान पर भेजा। मै आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आशाएं और अपेक्षाएं उन्होंने मुझ से रखी हें मैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। मुझे इस सदन मे दो बार आने का मौका मिला। पहली बार मैं वर्ष 2000 मे इस सदन में आया उस समय कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। उस समय कांग्रेस पार्टी अपोजीशन मे बैठती थी। लेकिन उस वक्त जो ओर पोलीटिशन या नेता थे सत्ता मे थे वे अपने आप को प्रजातंत्र से०पर एक राजा के रूप मे मानते थे और कहा करते थे कि मैं जब तक जिऊंगा तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा। उनका प्रजातंत्र और प्रजा मे कोई विश्वास नहीं था। प्रजा ने जब उनकी

नीति, नीयत और कार्य प्रणाली को देखा तो उनको ठोकर मारकर घर बिठा दिया। लोगो ने यहां तक कर दिया कि वे अगली बार विपक्ष के लीडर भी नहीं बन सके। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बार वर्ष 2005 में विधान समा का सदस्य बना। उस वक्त जनता ने भरपूर समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद देकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता पक्ष में बिठाया और उसके मुखिया हमारे आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बने। उसके बाद प्रजातंत्र मे उनका कितना विश्वास है, प्रजातंत्र के माध्यम से उन्होने हरियाणा का कितना विकास किया, कितनी इन्नोवेटिव स्कीम्ज दीं और किस तरह से किसान को, कर्मचारी को, व्यापारी को और आम जनता को एक ऐसा साधन दिया जिससे वे गर्व से कहने लगे हैं कि हम हरियाणावासी हें। प्रजातंत्र में जब भी कोई बात चलती है तो जिस सरकार का, जिस मुखिया का विश्वास जनता में होता है और वह जनता की आशाओं और उपेक्षाओ पर पूरा उतरते है तो मैं समझता हूं कि वे ही नेता आगे चल सकते हैं। जो मौजूदा नेता हैं उन्होने हरियाणा के जितने वर्ग हैं, जितने समुदाय हैं, जन–जन की भावनाओं को समझा और जन–जन की भावनाओ और आशाओ पर खरा उतरने के लिए कार्य किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने मे कोई संकोच नहीं कि 1966 मे हरियाणा बना था। तब से लेकर हमारी समुदाय के साथ एक भेदभाव सा हो रहा था कि राज्य सभा मे कोई मी कंडीडेट हमारी समुदाय से काग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं गया था। यह पहली बार हुआ है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे समुदाय को पहचाना। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी समझ नहीं पा रहे मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं और काग्रेस के ही नेताओं की अब बात कर रहा हूं। लेकिन ये समझ नहीं रहे है। मै जाति धर्म की बात बिलकुल नहीं कर रहा हूं। प्रजातंत्र मे सभी समुदाय और सभी जन बराबर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भावनाओ की बात थी अब इनकी समझ मे आ गई कि मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं। में उस नेता का जिनकी दूरदर्शी सोच है जो सबको बराबर समझते हैं उसके लिए उनका धन्यवाद कर रहा हू। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि जो लोग है, जो समुदाय हैं, जो वर्ग हैं उन सब की निष्ठा कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन जब सम्मानता देखते हैं तो उस निष्ठा मे और सींमेट लग जाता है ओर मजबूती हो जाती है। उस मजबूती के लिए मैं आदरणीय मुख्यमत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होने जनता की भावनाओ को समझ और देखकर मुझ मे विश्वास व्यक्त किया है। स्पीकर सर, साथ ही साथ मैं सभी सदस्यों का, इस सदन का और आप का भी धन्यवाद करता हूं जिनकी रहनुमाई मे मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत आगे तक चला हूं। अध्यक्ष महोदय, अत मे मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर जो विश्वास व्यका किया है उसको पूरा करने का मैं भरपूर प्रयास करूगा। धन्यवाद।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं / सदस्यों का धन्यवाद

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Chief Minister will make an announcement.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले जो कोआपरेटिव सोसायटीज का अमैडमैंट बिल आया उस पर काफी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। उस पर चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने, मान साहब ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने भी चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद हमारे विपक्ष के साथी भी किसानों के बारे मे बरसात कम होने के कारण चिंता कर रहे थे। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार इस वर्ष को '' किसान वर्ष '' मना रही है। अध्यक्ष महोदय, साढ़े चार साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी उस समय किसानों की क्या स्थिति थी, किसानों को क्या सुविधाएं थीं और किसानो को उस समय सरकार की तरफ से क्या सहयोग दिया जाता था, इस बात की मैं अब चर्चा नहीं करना चाहता। एक तथ्य है कि किसानो को जो क्रोप लोन लेना पड़ता था, हरियाणा सरकार कोपरेटिव बैंक्स के थ्रू 5 हजार करोड़ रुपये किसानों को देती है जिसको शोर्ट टर्म लोन भी कहते हैं। यह लोन हमारी सरकार आने से पहले 11 प्रतिशत ब्याज पर किसानों को दिया जाता था जिसको हमने कम करके 7 प्रतिशत कर दिया था। अब हमने फैसला किया है कि खरीफ और रबी की फसलो के लिए जो यह 5 हजार करोड़ रुपये कोपरेटिव बैंक्स के थ्रू किसानों को क्रोप लोन दिया जाता हे यह 7 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा हिन्दुस्तान मे पहली बार हुआ 'है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) इससे 8 लाख 50 हजार किसानों को लाभ होगा। किसानो के हित की बाते

कहना आसान बात है लेकिन किसानो का हित केरने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस और कारगर कदम उठाना बहुत मुश्किल बात है। अध्यक्ष महोदय, इरासे 41 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार राज्य सरकार के खजाने पर पड़ेगा। जो अमैडमैट बिल हम लेकर आये हैं अनेक माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की है कि इससे पहले जो काला कानून था जिसमें किसानो की जमीन की नीलामी का प्रावधान था जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि इस सरकार की मंशा सबको मालूम है, हमारी नीयत बिलकुल साफ है और हम किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। अगर किसी भी माननीय सदस्य का इस बारे मे कोई सुझाव है वह हमे बताये उसके मुताबिक अगर जरूरत महसूस हुई तो हम दोबारा से इस बिल मे अमैंडमैंट कर सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि हमने मौजूदा अमेंडमेंट के बाद जो इस बिल मे प्रावधान रखे हैं उससे ऐसी नौबत नही आयेगी। इससे पहले यहां पर केप्टन अजय सिंह यादव और वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि इसका कितना लाभ होगा। अगर एक किसान एक ट्रैक्टर लेता है या टयूबवैल लगवाता है तो एक एकड़ जमीन बैंक के पास गिरवी रखने की जरूरत होती है। कृषि मंत्री जी ने बताया कि कहीं पर इस कार्य हेतु सिर्फ 2 कनाल जमीन गिरवी रखने की ही जरूरत पड़ती है। आज मैं यह घोषणा करना चाहता हू, कि जमीन की फिक्स फ्लोर रेट के मुताबिक जो कीमत है उसके मुताबिक हम किसान की जमीन गिरवी रखेंगे क्योकि बहुत से किसानों ने बहुत पहले से ट्रैक्टर इत्यादि का लोन ले रखा है ख्तो उनकी 5 से छ

एकड तक वैन्यू के हिसाब से जमीन बेंक के पास गिरवी रखी हुई है। हमने यह निर्णय लिया है कि री–कसीलियेशन बोर्ड मे 31 अगस्त, 2009 तक जो भी किसान दरख्वास्त देगा उस पर दो महीने के अन्दर–अन्दर हम यह फैसला कर देंगे कि जितना उसका लोन है उसकी उतनी जमीन रखी जाये और उसकी बाकी की जमीन रिलीज कर दी जाये ताकि उसको भी सरकार के इस निर्णय का फायदा मिल सके। इसके अलावा जो को–आपरेटिव बैंकस हैं उनसे नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लोगो को, गरीब आदमियो को, छोटे दुकानदारो को, ग्रामीण दस्तकारों को 25 हजार रूपये तथा भूमिहीन मजदूरों को 35 हजार रूपये का ऋण आज 11 प्रतिशत से 13 प्रतिशत 13 ब्याज दर पर दिया जाता है। हमने यह फैसला लिया हे कि इन कर्जदारों को सहायता देने के लिए ब्याज दर में 3 प्रतिशत की रियायत दी जायेगी। इस प्रकार से यह ब्याज दर घटकर 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक हो जायेगी। इस स्कीम से 75 हजार लोगों को लाभ होगा। इस प्रकार से जो को–आपरेटिव बेंक का लोग टर्म लोन है जैसे ट्रैक्टर के लिए लैण्ड डिवैल्पमैंट बैंक लोन देता है, इस समय सहकारी बैंक किसानों को लम्बी अवधि के लोन सादे 11 प्रतिशत ब्याज –दर पर देते हैं। हस बारे मे सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि कृषि एवं गैर कृषि कर्जे पर ब्याज की दर पर 3 प्रतिशत की दर से सब्सिडी दी जायेगी बशर्ते कि वे समय पर ऋण की किस्त की अदायगी करते हों। जैसा कि मान साहब ने कहा कि जो गुड पे मास्टर्ज हैं उनको कोई रियायत नहीं दी गई है इस प्रकार से सरकार द्वारा उन गुड

पे–मास्टर्ज को 3 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस प्रावधान के बाद अब यह कर्ज साढ़े 8 प्रतिशत की ब्याज दर से दिया जायेगा। इससे एक लाख 50 हजार किसानो को लाभ होगा और 37 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार सर कार के खजाने पर पड़ेगा। इसी प्रकार से जिन लोगो ने देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लडीं वे स्वतंत्रता सेनानी एक–एक करके हमे छोड़कर जा रहे हैं और उनमे से अनेक ऐसे हैं जिनका उनके परिवारों ने विशेष ध्यान नहीं रखा। मुझे कई बुजुर्ग मिलते है उनको अपने पोते– पोतियो की बड़ी चिंता रहती है। उनकी इस चिंता को ध्यान में रखते हुए हमने यह फैसला किया है कि स्वतंत्रता सेनानियो की पोतियों के विवाह के अवसर पर सरकार 51 हजार रुपये कन्यादान के रूप मे देगी। स्वतंत्रता सेनानियो के पोते और पोतियो को 12वीं कक्षा तक पढ़ाई के लिए उसी प्रकार से मासिक वजीफा दिया जायेगा जिस प्रकार से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियो के विद्यार्थियों को दिया जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदो का नाम सम्बधित गांव के स्कूलो मे बोर्ड पर लिखा जायेगा ताकि उस गांव की आगे आने वाली पीढ़ियां उनके बारे मे जानकारी प्राप्त कर सके। हरियाणा सरकार एक नीति बनायेगी जिसके तहत राज्य के अव्यावसायिक महाविद्यालयो मे पढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के पोतों तथा पोतियो को छात्रवृत्ति और फीस की रियायतो का समुचित लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जब हम गांवों मे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कही – कहीं पर पटवारखाने बल्ब हुए हैं अगर किसी ने अपने घर मे पटवारखाना बनाया हुआ है तो उसका

समुचित रख–रखाव नही होता। इससे बडी दिक्कत होती है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि हरेक पटवारखाने को प्रतिमाह यक रुपया दिया जायेगा। इसमे 200 रुपया बिजली पानी के लिए और 200 रुपया साफ–सफाई के लिए ताकि जो भी अपने काम के लिए जाये तो उसको साफ–सुथरा माहौल मिले। हमारी सरकार की हर वर्ग के लिए कुछ ने कुछ करने की नीति रही है। हमने बुजुर्गो की पैन्शन बढ़ाई है और अब हमारी सरकार ने फैसला किया है कि ग्रामीण क्षेत्र मे हमारे सम्मानित वरिष्ठ नागरिको को मिलने–जुलने, साझी गतिविधियाँ एवं प्रोग्राम करने के लिए अच्छा स्थान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गाँव मे वरिष्ठ नागरिक सम्मान क्लब खोले जायेगे। उनका गठन किया जायेगा। प्रत्येक क्लब के लिए 15 हजार रुपये की ग्रांट मूढे, पखे तथा दरियाँ आदि खरीदने के लिए सरकार द्वारा दी जायेगी। डोगे और साफे तो हम पहले ही दे चुके हैं और अब मूढे, पंखे व दरियों के लिए यह ग्रांट दी जा रही है ताकि वे अपना टाईम पास कर सके। इस क्लब के लिए पंचायत ओह देना सुनिश्चित करेगी और इस क्लब के रख–रखाव की जिम्मेवारी पंचायत को ही होगी। कोई भी पंचायत इस ग्रांट के लिए आवेदन दे सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जैसे डोलीदार हैं, बोनीदार हैं, बूटीदार है, उनकी बार–बार माग आती है। हरियाणा के बहुत से गाँवों मे, गाँव की शामलात जमीन मे से या फिर भूमि स्वामियो ने अपने रकबे में से कुछ रकबे को गांव के ही लोगो को कास्त के लिए दिया था। उस जमीन पर कोई 400 साल से कोई 500 साल

से खेती कर रहा है। उदाहरण के लिए डोलीदार है, बाडीदार है, बूटीमार हैं, साझीदार हैं, मुकररदार हैं, चिस्तीदार हैं, मसिकापऊ इत्यादि। ऐसी भूमि के बदले गे ये लोग गाँव को कुछ खास किस्म की सेवाए प्रदान करते रहे हैं। यह प्रथा लगभग भूमि बंदोबस्त के समय रो चली आ रही है। तब से लेकर उन परिवारो के लोग जिन्हें यह जमीन दी गई थी कास्त करते चले आ रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत ये लोग न तो इन जमीनों को बेच सकते है और न ही गिरवी रख सकते हैं। मे रे ध्यान मे यह बात लाई गई थी। ये लोग समय–समय पर मुझसे मिलते भी रहे हैं। उनकी माग है कि इस तरह की भूमियों पर उनको मालिकाना हक दे दिया जाये। मैंने संबधित विभाग को इस बारे मे आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने के आदेश दे दिये है ताकि इन परिवारों को इन जमी–ग्रे पर मालिकाना हक प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा सके। अध्यक्ष महोदय, कल भी मैं सिरसा मे गया था और कई जगह जाता हूँ तो कई लोग मुझसे बी०पी०एल० के बारे मे पूछते है। भारत सरकार के मापदंडो के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो मे गरीब परिवारों की संख्या 6 लाख 70 हजार होनी चाहिए थी लेकिन हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रो मे बी०पी०एल० परिवारो की संख्या 8, 58,390 के करीब है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक बी०पी०एल० परिवारो को राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनो से. विभित्र स्कीमो मे सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। अब भी सरकार का यह प्रयत्न है कि किसी भी गरीब परिवार का नाम बी०पी०एल० सूची से छूट न जाये। इसलिए सरकार द्वारा

सभी उपायुक्तो की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। मुझे खबर मिली हे कि कुछ इलीजीबल प्रतिवेदक छूट गये हैं और कुछ ऐसे शामिल हो गये हैं जो नही होने चाहिएं थे। उपायुक्त की कमेटी जिले मे प्राप्त हो रहे सभी प्रतिवेदनो पर बी०पी०एल० सूची मे शामिल करने बारे विचार करेगी तथा अपनी सिफारिश ग्रामीण विकास विभाग को भेजे गी। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वह बी०पी०एल० परिवारो की रावी मे शामिल होने के लिए योग्य पात्र है और उसका नाम बी०पी०एल० सूची मे शामिल नही किया गया है अथवा किसी व्यक्ति को शिकायत है कि इन सूचियो मे अयोग्य व्यक्तियो के नाम शामिल किये गये है तो वह सबंधित उपायुक्त को प्रतिवेदन कर सकता हे। किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से छोड़ा नहीं जायेगा और अपात्र व्यक्ति का नाम बी०पी०एल० सूची मे शामिल नहीं किया जायेगा। (विघन) इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि विधवाओं की पैन्शन पहले हमने 650 रुपये की थी उसको बढ़ा कर अब हमने 750 रुपये करने का फैसला किया है। शमशेर सिंह सुरजेवाला अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मे यह कहना चाहता हू कि हरियाणा सरकार ने इस वर्ष को किसान वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला किया था। मै समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने पिछले कई सालो से शुरू से ही किसान, दलित, वर्कर, सरकारी कर्मचारी और व्यापारी, सभी के लिए बहुत ही लाभकारी योजनाएं बनाई हैं। इस वर्तमान सैशन मे अभी–अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत अभूतपूर्व कसैंशज का ऐलान किया है। शॉट टर्म मे बैको

से या कोआपरेटिव बैंको से किसान जो कर्जा लेता है उसके ब्याज को इन्होने 7 परसैंट से घटा कर 4 परसेट कर दिया है। दलितो के लिए उसी ब्याज को इन्होने तीन प्रतिशत कर दिया है। जो मीडियम टर्म लोन हैं उसके ब्याज को साढ़े ग्यारह परसैट से घटा कर सादे आठ परसैंट करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से विभिन्न तबको के लिए माननीय मुख्यमत्री जी ने अभी अभी एक दर्जन के करीब घोषणाएं की हैं। मैं समझता हूं कि असैम्बली का जो यह वर्तमान सैशन है चाहे यह दो दिन का हो आप इसे एक तरह से किसानो और दलितो के लिए सुविधाओ का सैशन कह सकते हैं क्योंकि इस सैशन मे सबसे ज्यादा क्रान्तिकारी और लाभदायी अगर कोई घोषणाए हुई हैं या कानून आए हैं तो वे वर्तमान सैशन मे ही आए हैं। यह सैशन बेशक छोटा है लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क और क्रान्तिकारी सैशन है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत–बहुत मुबारिकवाद देता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का हरियाणा के किसान और दलित वर्करो की तरफ से हम उनका अभिनन्दन करवाना चाहेगे। जो भी समय ये देंगे पूरे हरियाणा के जो गरीब तबके और किसान हैं वे सभी इनका अभिनन्दन करेगे और इनका धन्यवाद करेंगे। शुक्रिया।

श्री धर्मबीर गाबा (गुडगांव): स्पीकर साहब, इससे पहले कि आज यह सैशन बर्खास्त हो मैं अपने फर्ज से कोताही करूंगा अगर आपका धन्यवाद न करूं, और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब

का धन्यवाद न करूं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि इण्डिया के अन्दर दो इंस्टीच्यूशन्ज होते हैं दो पार्लियामैंट हाउसिज ओर एक असैम्बली सैशन। ये सही मायनो मे डैमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर सरकार कमजोर हो जाए तो अपोजीशन हावी हो जाती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसे हावी नहीं होने दिया और डैमोक्रेसी ठीक ढंग से चली। स्पीकर साहब, मैं इसके लिए आपका मशकूर हूं कि आपने सैशन मे जितना टाईम ओपोजीशन को और पावरपार्टी को दिया है वह आज तक शायद किसी ने नहीं दिया। मैंने इस बात को देखा है क्योंकि मैं चार बार इस असैम्बली मे बैठा हूं। मैं सत्तापक्ष में भी बैठा हूं और ओपोजीशन में भी बैठा हूं। न तो यहां चीफ मिनिस्टर साहब ने पैंसिल घूमाई और न ही आपने उसे देखा। हमने तो वह वक्त भी देखा है जब हमें बोलने नहीं दिया जाता था। हम लौग एक–एक महीना सैशन मे बैठ कर चले जाते थे लेकिन हमें बोलने की इजाजत नहीं होती थी। बहरहाल आपने जो कुछ भी किया वह सराहनीय है लेकिन मैं समझता हू कि ओपोजीशन ने वह पार्ट प्ले नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। with due apologies with the opposition मैं यह कहना चाहता हू कि उन्होंने सिवाय वाक आउट करने के और कोई काम नहीं किया। उसके बावजूद आपने बेहतरीन तरीके ओर बड़े तहम्मुल से यही ढंग से उनके साथ सलूक करने की कोशिश की। स्पीकर साहब, मुझे इस बात की खुशी है कि इस सैशन मे जो कुछ हुआ है यह हरियाणा की हिस्ट्री के अन्दर एक सुनहरी माप है। लोग बहुत कुछ कहते है कि सी०एम० साहब ने किसानों

के लिए, गरीबो के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियो और हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने शहरो के लिए भी बहुत कुछ किया और देहातों के लिए भी बहुत कुछ किया। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने राबके लिए बहुत कुछ किया लेकिन मैं गुड़गांव की तरफ से खासतौर पर उनका धन्यवाद करना चाहता हूं 1 इन्होंने जो कुछ गुडगांव को दिया है शायद आज तक किसी ने नहीं दिया है। आज गुड़गांव की कारपोरेशन बनी है। गुड़गांव की कारपोरेशन के बारे में मैं दावे से कह सकता हूं कि यह इण्डिया की सैकेंड लौर्जस्ट वेल्दीयैस्ट (रिचस्ट) कारपोरेशन है। इस कारपोरेशन को जिस मकसद से सी०एम० साहब ने बनाया है वह यह है कि जो इलाका हम अर्बनाईज करना चाहते हैं उससे पहले हम उसकी डिवैल्पमैंट कर लें। वहां पर पहले ही सीवर दे दें, पानी दे दें ताकि लोगो को वहां पर आने के बाद कोई दिक्कत न हो। मेरे हिसाब से हरियाणा में गुड़गांव सबसे पहला शहर है जहां सी०एम० साहब के प्रयासो से मैट्रो आई है। मैं एक और खुशी की बात सदन मे बताना चाहूंगा कि गुड़गांव के अन्दर इन्दर मैट्रो शुरू करने जा रहे हैं जो शायद आप्न तक कहीं पर भी शुरू नहीं हुई है और 11 तारीख को सी०एम० साहब उसकी बुनियाद रखने जा रहे हैं। मैं इसके लिए भी इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। यह इस सरकार के टैन्योर में हरियाणा की हिस्ट्री के अन्दर एक सुनहरी बात है। इसके साथ ही मैं दोनों पक्षो का मी धन्यवाद करता हूं। अगर मैं यह नहीं करता तो मैं अपने फर्ज से कोताही करता।

17.00 बजे

श्री अर्जन सिंह (छछरौली): स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बैच मे आए हुए साढ़े चार साल हो गए हैं। इस बेच का शायद यह आखिरी सैशन होगा। मैं आज सदन मे सच्चाई कहना चाहता हूं जो शायद मेरे अलावा कोई कह नहीं सकता है। यह कड़वी सच्चाई है। स्पीकर सर, इस सरकार की और मुख्यमंत्री जी की नीयत और नीति में कोई फर्क नहीं हे। इनके लिए हर हल्का एक बराबर है और इन्होने हर हल्के मे ईमानदारी से काम किया है। में तो हुड्डा साहब का, मंत्रीगण का और सभी एम०एल०एज० का दिल से आभार प्रकट करता हूं। जब हरियाणा मे हुड्डा साहब की सरकार आई तो हरियाणा मे बहुत ही बिगडे हालात थे। इन्होने बहुत ही सूझबूझ से उसको ठीक किया है। (विघ्न) आप मेरी बात तो सुनो। (विघ्न)

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा): स्पीकर साहब, अपोजिशन में आप रहे हैं, हुड्डा साहब रहे हैं, उस वक्त अपोजिशन का क्या हाल था वह आपको पता हे और यह पुरानी बात है। आज भी सदन में अपोजीशन बैठा है। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी ने अर्जन सिंह के काम किए हैं। जब भी ये मुख्यमंत्री जी के पास गये हें उन्होने कभी भी इनको न नही की है। अब भी मुख्यमंत्री जी ने जो अनाऊंसमैंटस की हैं, ये बहुत ही सिगेनीफिकैंट अनाऊंसमैंटस हैं।

श्री अर्जन सिंहः स्पीकर सर, मेरे अकेले के ही काम नहीं हुए हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जो भी चला गया उसका काम हुआ है और ये जो सारा दिन यहां पर विरोध करते रहते है इनको मी कभी जवाब नहीं दिया है। लेकिन अब ये न जाना चाहे तो अलग बात है। (विघ्न) मेरे गीत गाने की जो बात है, इस बारे मे मै यह कहना चाहता हू कि श्री बलवन्त सिंह जी को तो सी०एम० साहब का आभार व्यक्त करना चाहिए कि इनके गिना मांगे और बिना बोले ही सढौरा मे इनके बहुत काम किए है। (विघ्न) इनकी पार्टी की जो पिछली सरकार थी उस वक्त हमारे यहा पर कोइ काम नहीं हुआ था। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि मेरे पड़ोसी को छोड़कर इस सदी में दोबारा से सभी आएं। मुख्यमंत्री जी ने तो अपनी कमिया सुनना पसंद की हैं चाहे वह कमिया विरोधी पक्ष ने ही क्यों न बताई हो। इन्होंने उन कमियों मे सुधार करने की बात करी है। इस सरकार ने जितनी साफ नीयत से सेवा की है मैं तो यह कहना चाहता हूं कि परमात्मा इनकी लम्बी उम्र करे, हम आएं चाहे न आएं लेकिन मुख्यमंत्री ओर यह सरकार कंटीन्यू रहनी चाहिए। (विघ्न) एक बात आप सभी सुन ले कि इतनी सच्चाई तो रूलिंग पार्टी वाले भी नहीं कहते होगे जितनी मै इनकी पीठ के पीछे करता हूं। (विघ्न) यह बात तो मैं अपनी पार्टी की स्टेज पर भी कह दूं चाहे इस बात को मुझे कुछ मी खामियाजा भुगतना पडे। (विघ्न) स्पीकर सर, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री नरेश शर्मा: स्पीकर साहब, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को किसान वर्ष के रूप मे रखा है लेकिन बड े दु ः ख की बात है कि इससे पहले जो सरकार थी। (शोर एव व्यवधान) स्पीकर साहब, सी०एम० साहब जब घोषणा कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि अब तौ हम मर गए कहीं के नहीं रहे। (शोर एवं व्यवधान) मैं अपने दरियादिल मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होने मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, हरिजन यानी सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनायी है।

श्री अध्यक्ष: ये सारी बाते आपको किसने बतायी हैं ?

श्री नरेश शर्मा: स्पीकर साहब, जब मैं उधर बैठा था तो ये बतला रहे थे और इनकी यह बात मैंने सुन ली। (शोर एवं व्यवधान)

विशेषाधिकार समिति के विशेष प्रतिवेदन पर चर्चा का पुनरारम्भण

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion on the Special Report of the Committee of Privileges will be resumed. Shri K.L. Sharma, MLA, was on his legs. As he is not present in the House at this timc, if any other member wants to speak on this Report, he may do so.

(No member rose to speak)

Mr. Speaker : Question is —

That this House having considered the Speeial

Report of thc Committee of Privileges agrees with the recommendations contained thcrein.

The motion was carried

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव

राज्य के कुछ क्षेत्रों में सूखा स्थिति

Mr. Speaker : Now, the discussion on under Rule 84 regarding drought situation in some areas of the State will take place.

श्री फूल चंद मुलाना (मुलाना): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि हरियाणा राज्य के कुछ सूखाग्रस्त एरियाज के बारे में डिस्कशन की जाए। अध्यक्ष महोदय, इस बार इंद्र देवता थोड़े से नाराज हो गए। समय पर .बारिश नहीं हुई, हालांकि कई जगह पर बहुत अच्छी बारिश भी हुई है। विपक्ष ने सूखे का मुद्दा उठाया है। यह ठीक है कि बारिश न होने की वजह से कई जगह बिजाई मे देरी हो गई और कई जगह ज्यादा बारिश नहीं हुई और जीरी की फसल को सूखे का सामना करना पड़ा लेकिन बारिश होने से क्षतिपूर्ति हो गई। अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने एक तो नहरी पानी की सिंचाई तथा उस पानी के उपयोग हेतु 109 किलोमीटर लम्बी भाखड़ा मेन लाइन का 392 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवा दिया लेकिन दु:ख की बात है कि अपने ही प्रान्त के लोग जो किसान हितैषी बनते हैं वे पंजाब के नेताओ

के साथ मिलकर चोरी छुपे का खेल खेल रहे है। उनके बारे में तो यही कहना चाहूंगा कि खूब पर्दा हे कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट मे रिट करवा रहे हैं ताकि हांसी बुटाना नहर मे पानी न आए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता रामः क्या इस सदन के सारे सदस्य मानते हैं कि सूखा नहीं है, क्या आप सभी मानते हें?

श्री बलवन्त सिह सढ़ौराः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शेर सुनाकर हमे खुश नही कर सकते, प्रदेश की जनता को खुश नहीं कर सकते।

श्री फूल चंद मुलानाः अध्यक्ष महोदय, ये लोग यह बताए कि ये हांसी बुटाना लिंक नहर के पक्ष मे है या विपक्ष में हैं। (शोर एव व्यवधान)

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह जानना चाहता हूं कि ये हांसी बुटाना लिंक नहर के पक्ष मे हैं या विपक्ष मे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यादव जी, आप बैठ जाइए। आपने सूखे पर अपनी बात कही है डिस्कशन चल रही है और गवर्नमैंट उस पर जवाब देगी।

श्री फूल चंद मुलानाः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दादूपुर नलवी नहर का निर्माण करवा दिया ओर उसमे पानी भी छोड़ दिया। जो कार्य पिछले 25–30 साल से पेडिंग था उसको पूरा कर दिखाया। हरियाणा की जनता को पानी मिले इसलिए मुख्यमत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने उसका उद्घाटन करके उसमें पानी भी छोड़ दिया। अंबाला सिंचाई योजना के नाम से एक और नहर मंजूर कर दी। जवाहर लाल नेहरू फीडर की 2200 क्यूसिक की क्षमता को बढ़ाकर 2500 क्यूसिक किया है। नाबार्ड कार्यों के लिए सिंचाई के लिए मेवात नहर प्रणाली का निर्माण और जलमार्गो की मरम्मत और उनकी सफाई करवाई जिसके बारे मे लिखा ही नहीं था। इसके अलावा मानसून ऋतु मे पश्चिमी यमुना नहर मे पानी का सुधार करवाया। कोशल्या बांध की बात मुद्दत से करते रहे है। अब कई सौ करोड़ रुपये की लागत से कौशल्या बाध तैयार हो रहा है। बाढ नियत्रण पर भी बातचीत चल रही है। सबसे बड़ी बात जो मुख्यमत्री जी ने की है वह यह है कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 1750 करोड़ रुपये की बिजली अभी हाल ही मे खरीदकर 3 घंटे लगातार बिजली दी जा रही है और इससे सूखे का प्रभाव पड़ने नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ है कि खेतों में जाकर देखें कि पानी भरा पड़ा है और किसान यह कहने लगे हैं कि इतनी ज्यादा बिजली देगे तो नीचे का पानी ही खत्म हो जाएगा। गावो मे लाइनो का 14 घंटे सैग्रेगेशन कर दिया जिससे गांवो के लिए अलग और ट्यूबवैल के लिए अलग बिजली दी जा रही है। अध्यक्ष

महोदय, मुख्यमत्री जी ने प्रयास करके कितने अच्छे प्रबंध किए हैं। ये भाई 'चर्चा किया करते थे कि 22 घंटे बिजली देगे, 24 घंटे बिजली देंगे। फलां तारीख को देंगे। बिजली के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यह निर्णय लिया कि जब तक हमारी सरकार के पास अपनी बिजली नहीं होगी तब तक हरियाणा के अंदर बिजली की व्यवस्था नहीं सुधर सकती। बाहर से तो कई करोड़ रुपये की बिजली हम खरीद रहे हैं। यमुनानगर मे 600 मेगावाट का बिजली का प्लांट बनकर तैयार हो गया है और बिजली दे रहा है। खेदड में 1200 मेगावाट का पावर प्लांट इस साल आ जाएगा और झाडली में 2 पावर प्लांट अगले साल आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा पावर प्लांट जिला फतेहाबाद के कुमारिया गाव मे शक मेगावाट का आएगा। जो न्यूक्लीयर समझौता प्रधानमंत्री जी ने किया है उसके लिए मे उनको बधाई देता हूं। यह किसकी सोच है, यह मौजूदा सरकार की सोच है। यह इस मौजूदा मुख्यमंत्री महोदय की सोच है। पहले की सरकार तो किसानो को नारा दिया करती थी कि ऐ किसानों, बिजली के बिल मत भरो। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो न मीटर रहेगे ओर न ही मीटर रीडर रहेगे। बिजली आएगी और बिल नहीं आएंगे। लेकिन जब मांग की गई कि ये टेप सुन लो जिसमे आपने कहा था कि बिजली के बिल मत भरो तो उन्होंने लोगो के०पर घोड़े चलवा दिए जिसकी वजह से 9 किसान मारे गए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने वे बिजली के बिल माफ किए ओर किसानों की दशा को सुधारा। अध्यक्ष महोदय. आपने सारी दुनिया में कही ' सुना है

कि जमीन की इतनी ज्यादा कीमत दे दी गयी हो और उस पर 15 हजार रुपये प्रति साल पट्टा भी दे दिया गया हो। यह तो ऐसा हो गया कि जैसे मैंने डॉक्टर साहब से एक भैंस खरीदी, पैसा भी दे दिया ओर फिर यह भी तय हो गया कि उस भैंस के एक थन का दूध भी साथ मे देना पडेगा। इस प्रकार से हमारे मुख्यमत्री महोदय ने किसानों की दशा और दिशा बदली है। किसान की जमीन की कीमतें अच्छी दी गई हैं, किसान की पैदावार की कीमत भी अच्छी दी गई है। किसानो के हित मे बहुत काम किए गए हैं। जहां तक जीरी की बात है तो इनके समय मे एक नारा लगा करता था कि चौटाला तेरे राज मे जीरी गई ब्याज में और पराली गई लिहाज में लेकिन हमारे हुड्डा साहब ने नारा लगवा दिया कि हुड्डा तेरे राज में जीरी चढ़ गई जहाज में। उन्होने जीरी का एक्सपोर्ट भी खुलवा दिया। भूपेन्द्र सिह हुडा के राज मे 3500 रुपये क्विंटल जीरी का रेट किसान को मिला है। किसान के लिए आज जो घोषणाएं की गई हैं वे काबिले तारीफ हैं। अध्यक्ष महोदय, 3 परसैंट ब्याज पर लोन कहीं मिलता है? उनके द्वारा किसान को 3 परसैंट ब्याज पर लोन देने की जो घोषणा की गई है यह बहुत ही सराहनीय बात है। मुख्यमंत्री महोदय जी समाज के हर वर्ग के लिए चिन्तित है। (शोर एवं व्यवधान) पीने के पानी के लिए इंदिरा गाधी पेयजल योजना के तहत शिडयुल्ड कास्टस के लोगो को मुफ्त टंकियां दी जा रही हैं। (शोर एव व्यवधान) श्री बलवन्त सिंहः अध्यक्ष महोदय. यहां सदन को बार– बार गुमराह किया जा रहा छै किसान को 3 परसैट ब्याज पर लोन दिया गया है जबकि सच्चाई यह हे कि 3

परसैट ब्याज की छूट दी गई है। लोन पर 11 परसैंट ब्याज को 3 परसैंट कम किया गया है। (शोर एव व्यवधान)

श्री फूलचंद मुलाना: अध्यक्ष महोदय, 3 परसैंट कम किया। I stand rectify. (शोर एव व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हें कि हमारी सरकार ने दलितों के लिए क्या किया। दलितों के लिए जितना काम इस सरकार ने किया उतना काम कोई नहीं कर सकता। (शोर एवं व्यवधान) दलितों का मसीहा डा० भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। उनका नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो तब संघर्ष करो। अध्यक्ष महोदय, हमारे गरीबो के बच्चे शिक्षा बीच मे छोड़कर चले जाते थे। इस मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को सोचा और समझा कि गरीब के बच्चे धन के अभाव मे शिक्षा को बीच में छोड़कर न चले जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुद्दा तो सूखे का था लेकिन विपक्ष के भाई दलितों पर आ गये। मै इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दलित परिवार के लड़के के लिए 100 रूपये और लडकी के लिए 150 रुपये हर महीने सरकारी स्कूल्ज मे पहली क्लास से दिए जाते है और आगे यह पैसा तुक रुपये तक जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) इसमें बी०पी०एल० कार्ड होल्डर्ज के बच्चे भी सम्मिलित हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामफल चिडाना: अध्यक्ष महोदय, आज के दिन पढ़े लिखे हरिजन बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्हे नौकरी क्यों नहीं

मिल रही? (शोर एवं व्यवधान) आज बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अर्जन सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी कृपया सदन मे बतायें कि जब इनकी पार्टी की सरकार थी उस समय इन्होंने दलितों के लिए क्या किया था? (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब की सरकार ने तो दलितो को मुफ्त प्लाट दे दिए, पानी की टंकी दे दी और भी बहुत सी सुविधाएं दी हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनकी सरकार ने तो गरीबों को मजदूरी भी नहीं दी थी। (शोर एव व्यवधान)

श्री रामफल चिडानाः अध्यक्ष महोदय, ये बैकलॉग के बारे मे भी तो बताये। (शोर एव व्यवधान) मैंने पिछले सैशन में भी इस बारे में जिक्र किया था लेकिन मुख्यमत्री जी ने कुछ नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चिड़ाना साहब, प्लीज आप बैठे। (शोर एव व्यवधान)

श्री अर्जन सिंहः अध्यक्ष महोदय, चिड़ाना जी से बैकलोग की परिभाषा तो पूछ लो। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, it is a diseussion on the drought, water and power only. इस समय सदन में बैकलॉग का जिक्र नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री फूल चंद मुलानाः अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बाबा भीम राव अम्बेडकर की नीतियों पर चलते हुए शिक्षा के क्षेत्र में गरीब हरिजनो के बच्चों को और बी०पी०एल० कार्ड होल्डर्ज के बच्चो को, बैकवर्ड क्लास के बच्चो को पहली कक्षा से वजीफा देने का काम किया है ताकि पैसे के अभाव मे वे बीच में . अपनी पढ़ाई न छोडे। इसके अतिरिक्त हरिजन परिवारो को और बी०पी०एल० कार्ड होल्डर्ज को पीने के पानी की सुविधा देने के लिए हर घर में 200 लीटर की एक एक टंकी और टूटी लगाने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामफल चिडानाः अध्यक्ष महोदय, पानी तो नही आ रहा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अर्जन सिंहः अध्यक्ष महोदय, इनके समय में भी हरिजनो के साथ बहुत ज्यादती हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अर्जन सिंह जी, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री फूल चंद मुलानाः अध्यक्ष महोदय, अगर आप पिछले इतिहास में जाकर देखे तो उस समय एक गाव में एक ही कुआ होता था और उस समय गरीब हरिजन को और बाल्मीकि को पानी नहीं मिलता था। इस समुदाय के लोग जपना घड़ा कुएं पर छोड़कर आ जाते थे यदि किसी ने पानी डाल दिया तो ठीक है और नहीं डाला तो भी ठीक है। पहले एक गांव मे एक ही

टयूबवैल होता था लेकिन हमारी सरकार ने हर गाव में कई–कई टयूबवैल लगवा दिए हैं। आज एक हरिजन के घर मे भी पीने का पानी उपलब्ध है। हमारी सरकार ने हर गरीब और हरिजन के घर मे एक–एक पानी की टंकी और टूटी लगवाई है। यह बात ठीक है कि पानी का लैवल नीचे जा रहा है लेकिन फिर भी सरकार ने पीने के पानी की समूचित व्यवस्था की हे।

श्रीमती रेखा राणाः अध्यक्ष महोदय आप मेरी बात सुने।

श्री अध्यक्षः बहन जी, आपके हल्के मे हरिजन बस्तियो मे पानी की टंकी लगी हैं या नही लगी हैं।

श्रीमती रेखा राणाः अध्यक्ष महोदय, सरकार यह बताये कि पीने के पानी के लिए ये कितनी देर बिजली देते हैं। आज के दिन प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पानी न होने की वजह से गांवो मे पशु भी प्यासे मर रहे हैं। ....

श्री अध्यक्षः बहन जी, यह डिस्कशन ड्रॉट से संबधित है इसलिए आप इससे हटकर जो भी बात कर रही हैं वह रिकार्ड नहीं की जा रही। प्लीज आप बैठें। ड्रीट के अलावा जो कहा गया है वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री फूल चंद मुलानाः अध्यक्ष महोदय, इसमे कोई दो राय नहीं हे कि सिंचाई के लिए 8 – 3 घंटे और पीने के पानी के लिए 13– 13 घंटे बिजली दी जा रही है जो कि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि विपक्ष

के माननीय साथिया द्वारा प्रदेश मे सूखे का मुद्दा उठाया गया है। किसान, हरिजन– और पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा चिन्तित है और उन्होंने जिस तरीके व गति से उनकी समस्याओ का समाधान किया है उतना आज तक किसी मुख्यमंत्री और सरकार ने नहीं किया।

Mr. Speaker : Mullana Ji, please conclude because Hon'ble Powcr Minister will also give his reply.

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, प्रदेश मे किसान, गरीब, मजदूर, पिछड़े वर्ग या अन्य किसी के०पर जब भी किसी प्रकार के संकट की घड़ी आती है तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सबसे पहले वहां पर सबसे आगे खड़े मिलते हैं। उन्होंने प्रदेश मे राज की दशा और दिशा दोनो को बदला हे। उन्होने प्रदेश के प्रत्येक वर्ग का वास्तविक रूप मे कल्याण कि या है। चौकीदार से लेकर बड़े गैर सरकारी पदो पर तैनात लोगो के लिए भत्तो की घोषणा की है। सभी के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। जहा तक विभिन्न वर्गो को दी जा वाली पैंशन का सम्बन्ध है इस बोर मे आप देखे तो इस सरकार से पहले वाली अनेक सरकारे अपने पूरे कार्यकाल मे 50 से 100 रुपये बडी मुश्किल से बढ़ाया करती थी लेकिन हमारे मुख्यमत्री महोदय ने विधवाओ और बुजुर्गो सहित विभिन्न वर्गो की पैशन की राशि मे थोडे से समय मे ही 100,200,300 से लेकर

500 रुपये तक का इजाफा किया है। इसके अलावा अनेक ऐसे वर्गो की पैशन शुरू की है जो पैंशन के बारे मे कभी सोच भी नहीं सकते थे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की वर्तमान सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों का सर्वागीण विकास किया है इसी कारण आज हरियाणा की जनता मे मुख्यमत्री भूपेन्द्र सिंह हुडा और कांग्रेस की चर्चा है क्योकि हमारे मुख्यमंत्री और सरकार को बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग की चिन्ता है। जहां तक विपक्ष के साथियो की बात है ये बेचारे तो प्रदेश की जनता द्वारा इस हद तक नकार दिये गये है कि इन्हे अपना ओर अपनी पाटी का अस्तित्व बचाने के लिए जूझना पड़ रहा है। हमारी सरकार की आगे की दिशा यही है कि प्रदेश को सर्वागीण और चहुमुखी विकास किया जाये।

श्री बलवन्त सिंह (सढोरा) (अनुसूचित जाति) स्पीकर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने सूखे पर डिस्कशन के दौरान मुझे बोलने के लिए समय दिया। स्पीकर साहब, जिस तरह से सदन के नेता इस बात के लिए वाहवाही लूट रहे हैं कि हम दलित और किसान हितेषी है और हमने उनके लिए यह घोषणा कर दी है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश के हर जिले मे सूखा है। परमात्मा नाराज है। बारिश नहीं पड़ रही है। खासकर अम्बाला, यमुनानगर. कुरुक्षेत्र और करनाल जहां पर धान की रोपाई सबसे ज्यादा होती है वहा के किसान आज त्राहि–त्राहि कर रहे है। मै आपके माध्यम से सदन के नेता से माग करता हू कि जिस तरह से

यू०पी० और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलो को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है उसी तरह से हरियाणा के०न जिलो को भी सूखाग्रस्त घोषित किया जाए जहां पर धान की रोपाई होती है और जहा बारिश नहीं हुई हे। आज इन जिलो मे किसान बर्बाद हो रहा है। यहां पर किसान की बहुत बुरी हालत है। अगर सरकार किसान हितेषी और हर नागरिक हितैषी बनना चाहती हे तो इन किसानो के लिए सरकार को चिंतन करना चाहिए और सरकार को उन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करके किसानो को लाभ देना चाहिए। दक्षिणी हरियाणा के बारे में तो मुझे नहीं पता लेकिन हमारे जिलो मे जहा धान की सबसे ज्यादा रोपाई होती है वहा बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। बिजली मंत्री जी ने कहा कि 8 घंटे बिजली आ रही है लेकिन मंत्री जी सच बात यह है कि बिजली बिजली नहीं आ रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि जब परसो मुख्यमंत्री जी सढौरा मे गए थे तो उस समय भी बिजली की हालत बहुत खराब थी। दो घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती है। स्पीकर साहब, न कहा पर बिजली है और न वहीं पर पानी है। मत्री जी, नरवाना और कैथल तो आपके पास हैं लेकिन कलायत मे बिजली को लेकर 6 घंटे जाम लगा रहा। बिजली और पानी की समस्या आज हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को, हर किसान मजदूर को चिंता में डाल रही है। हग तो सोचते थे कि स्पीकर साहब विदेश गए हैं शायद वहाँ से बारिश लेकर आएंगे लेकिन बात नहीं बनी। स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से सदन के नेता से एक विनती करना चाहता हू।

श्री अध्यक्षः बलवन्त सिंह जी, मै विदेश इसलिए गया था क्योंकि मुझे वहा पर एक इटरनेशनल सेमीनार अटैड करना था कि how to strengthen the parliamentary democracy.

श्री बलवन्त सिंहः सर, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यह चाहूंगा कि वे सदन को और इस हरियाणा प्रदेश की जनता को आश्वस्त करे कि सुख के लिए सर्वे करायेगे और जहां सूखा है वहा किसान, मजदूर को राहत देगे। मै आपके माध्यम से सदन के नेता से यही अनुरोध करना चाहता था। धन्यवाद।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, डॉ सीता राम जी सहित विपक्ष के माननीय सदस्यो ने प्रदेश में बिजली व पानी की समस्या को लेकर ओर कम बारिश होने की वजह से पैदा हुई स्थिति की बाबत चर्चा का एक गम्भीर विषय उठाया है। मुझे उम्मीद थी कि विपक्ष के साथियों ने जिस गम्भीरता और सक्रियता से इस मुद्दे को उठाया था उसी गम्भीरता से ये साथी इस बारे मे वास्तविक स्थिति सरकार के ध्यान मे लाते लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड रहा है कि विपक्ष के माननीय साथियो ने प्रदेश के अढ़ाई करोड लोगो के हित से जुडे इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उपहास व मजाक का विषय बना दिया जैसा कि सदन मे आधे घंटे से यह मामला चल रहा है जिसे आप और हम सभी देख रहे हैं। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश की समस्त

जनता हाउस की कार्यवाही को देख रही है। यह हंसी–मजाक और वाद–विवाद का विषय नही है। (शोर एव व्यवधान)

श्री रामफल चिडानाः स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चिडाना साहब, आपने एक मुद्दा उठाया है and Hon'ble Minister is giving the reply on that issue. Please listen the reply, which is given from the Government side.

श्री फूल चन्द मुलानाः स्पीकर सर, विपक्ष के माननीय साथी अपने आपको किसानो और गरीबो का हितैषी मानने की गलतफहमी का शिकार होकर बिना वजह का शोर मचा रहे हैं। इन्हें अपने कार्यकाल की तरफ भी झांककर देखना चाहिए कि इन्होने अपने कार्यकाल मे किस प्रकार से हरिजनो के 200 परिवारों को गांव हरसौला (कैथल) से निकाल दिया था, जिनके पुनर्वास की व्यवस्था मौजूदा सरकार द्वारा की गई। इसी प्रकार से दुलीना (झज्जर) मे हरिजनों को मार दिया और दोषियो पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, हमारी सरकार आने पर ही दुलीना कांड के दोषियों पर कार्यवाही हुई। ऐसे ही इन्होने कडेला (जींद) मे किसानों पर गोलियां चलवा दीं। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर खडे होकर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष मै इण्डियन नेशनल लोकदल के समो माननीय सदस्या से रिक्वेस्ट करूगा कि वे कृपया अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाये। मुलाना जी, अब आप भी कृपया बैठ जाईये।

(शोर एवं व्यवधान) Now, Hon'ble Power Minister will give his reply on this issue. (Voices and Interruptions.)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, न तो दलित उत्पीडन का मुद्दा इस समय सदन में है और न ही उस पर चर्चा हो रही है। डॉ० सीता राम जी सहित विपक्ष के माननीय सदस्यो ने जो मुद्दा उठाया है मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस सदन के माध्यम रो सरकार के लेवल पर जो कमी है उसके बारे में बताया जाये। मै आपको आश्वासन देता हू कि अगर हमारी कमी हमे बताई जायेगी तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। हम अपनी कन्दी को मानेंगे भी और उसको दुरुस्त भी करेंगे परन्तु यह मजाक या वाद–विवाद का मुद्दा नहीं है। विपक्ष के अधिकपर साथी मुझसे उम्र और तजुर्बे मे वरिष्ठ हैं मुझे उनसे ऐसे आचरण की उम्मीद कदापि न थी। हरियाणा प्रदेश के करीब ढाई करोड़ लोग सदन की कार्यवाही को देख रहे हैं, पड़ोस के प्रान्त के लोग भी हमारी तरफ देखते हैं। इस बात को ध्यान मे रखकर हमें इस विषय पर होने वाली डिबेट को उसी गम्भीरता से देखते हुए सार्थक तरीके से लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक तो यह मुद्दा उठाया गया हे कि प्रान्त में बिजली की कमी हे और सरकार ने बिजली खरीदने का समय रहते निर्णय नहीं लिया। अध्यक्ष जी, यह भी कहा गया है कि बिजली की पूरी खरीद एडवांस में नहीं की गई जिससे दिक्कत पैदा हुई। मैं आपकी अनुमति से सदन को यह बताना चाहूंगा कि जून–जुलाई– अगस्त–सितम्बर वर्ष के ये चार महीने धान की रोपाई के दृष्टिगत सबसे महत्वपूर्ण हें। जहां

धान की रोपाई सबसे ज्यादा होती हे उनमें विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, जीन्द आदि के इलाके शामिल हैं। इनके अलावा रोहतक व हिसार के कुछ हिस्सों मे भी धान की रोपाई होती है। ये प्रदेश के वे इलाके हैं जहां पर धान की रोपाई सबसे ज्यादा होती हे। इसके अलावा बाकी हरियाणा में भी थोड़े–थोड़े क्षेत्रों में धान की रोपाई होती है। इस सारी बात को देखते हुए फरवरी, 2009 में ही हमने निविदाएं, टैंडर इश्यू किये थे। हरियाणा के गठन के बाद पहली बार हमने हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निविदाओ के माध्यम से 4638 मैगावाट बिजली 30 सितम्बर, 2009 तक 1977 करोड़ 15 लाख रुपये की लागत से खरीदी है। अध्यक्ष महोदय, इसमें जून, 2009 में 490 मैगावाट, जुलाई, 2009 में 1452 मैगावाट, अगस्त, 2009 में 1312 मैगावाट, सितम्बर, 2009 में 1374 मैगावाट बिजली हमने खरीदी है। कुल मिलाकर 4638 मैगावाट अतिरिक्त बिजली 1977 करोड़ 15 लाख रुपये की लागत से खरीदी है। हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के किसानो से, खेतीहर मजदूरों से एक वायदा किया था कि 1 जुलाई से हम 8 घण्टे किसानो को ट्यूबवैल के लिए बिजली देगे और 6764 से अधिक गाँवो मे घरों के लिए 14 से 16 घण्टे बिजली देंगे। मैं आज आपकी अनुमति से सदन में खड़ा हो कर कह सकता हूँ कि हरियाणा सरकार ने वे वायदे पूरे किये हैं और हम उस बात पर खरे उतरे हैं। हमने फीडर सैग्रीमैंट किये हैं। तकरीबन 85 परसैंट से ज्यादा गाँवो मे खेतों का फीडर और

घरो का फीडर हम अलग कर चुके हैं। 15 परसैंट गाँव दक्षिण हरियाणा मे बचे है उनको हम अगले 2 महीने मे सैग्रीमेंट कर देंगे। जो फीडर सैग्रीमेंट हो चुके हैं वही पर 14 से 16 घण्टे घरो में बिजली की सप्लाई और 8 घण्टे ट्यूबवैल्ज की सप्लाई बारिश कम होने के बावजूद भी हमने दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मानसून ओर प्रीमानसून की बारिश इस बार पिछले साल से कम हुई है। अब तक 141. 6 मिलीमीटर बारिश हुई है और एवरेज 253.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले साल 355.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अगर मैं प्रतिशत में बताऊं तो पिछले साल के मुकाबले में या नार्मल रेन फाल के मुकाबले मे 44 .2 प्रतिशत बारिश हरियाणा में कम हुई है। इराके बावजूद हमने हरियाणा में जो धान की कुल रोपाई है उसके लिए एक–एक खूड में धान की रोपाई सुनिश्चित की है। इस बारे में एग्रीकल्चर विभाग के आकड़े भी बताते हैं अध्यक्ष महोदय, इस समय तक 28.24 लाख हैक्टेयर एरिया में हम रोपाई कर पाये हें। 31 जुलाई, 2009 तक यानी आज से 3 दिन पहले तक 25.4 1 लाख हैक्टेयर भूमि के अन्दर हम फसलें बीज पाये हैं। बारिश कम हुई है और अगर बिजली भी न होती तो यह कैसे सम्भव हो सकता था। अगले 15 –20 दिन में तकरीबन 3 लाख हैक्टेयर के रोपाई के टारगेट से हम शॉर्ट हैं, हमे उम्मीद है कि अभी धान के साथ–साथ विभिन्न फसलों की रोपाई चालू है, वह भी हम पूरा कर लेंगे। बारिश कम होने के बावजूद हमने सूखे जैसी स्थिति पैदा नहीं होने दी और यह भी

सुनिश्चित किया कि किसान को पूरी बिजली मिले। अध्यक्ष महोदय इसके साथ–साथ मुझे सदन को यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि यू०पी०ए० की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गाँधी और प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह जी ने भी हरियाणा की स्थिति को देखा। साथ साथ पंजाब में हमारे जो भाई हैं चाहे विपक्ष की सरकार है, उनको भी देखा और 100 मैगावाट अतिरिक्त बिजली जो केन्द्रीय पूल की थी जो हमारे हिस्से की नहीं थी, हमे दे दी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय बिजली मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और यू०पी०ए० चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गाँधी जी को पत्र लिखे। प्रधानमत्री जी ने इटरवीन करके 100 मैगावाट बिजली केन्द्रीय पूल से हमें दिलवाई है। इसी तरह से पड़ौस के राज्य पंजाब को भी वह बिजली दी गई है। अध्यक्ष महोदय, एक और बात मै आपके तथा आपकी अनुमति से सदन के ध्यान मे लाना चाहूंगा कि अगर हम सारे आकड़े देखे तो सारी स्थिति क्लीयर ही जाएगी। मेरे पास वर्ष 2000 से लेकर आज तक की बिजली की सप्लाई के सारे आकड़े मौजूद हैं। ये आकड़े अपनी कहानी खुद व्यान करते हैं कि कौन कितनी बिजली सप्लाई किया करता था। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो चार्ट है उसमें देखें तो जून, 2000 के अन्दर साल 2000–01 में पूरे वर्ष के अन्दर ऐवरेज सप्लाई 475 लाख यूनिट पर डे थी जबकि वर्ष 2002–03 में यह सप्लाई 519 लाख यूनिट पर डे हो गई। वर्ष 2003–04 मे इनकी सरकार ने 556 लाख यूनिट प्रतिदिन औसतन बिजली दी। वर्ष 2004–05 में 578 लाख यूनिट पर डे औसतन बिजली दी। स्पीकर

सर, ये इनकी सरकार के वक्त के आकड़े हैं। मौजूदा सरकार के आते ही वर्ष 2005–06 में पहले इसल ही बिजली की सप्लाई मे जम्प आया और 576 लाख यूनिट पर डे से 622 लाख यूनिट प्रतिदिन औसतन बिजली दी। वर्ष 2006–07 मे हमने 665 लाख यूनिट पर डे औसतन बिजली दी। वर्ष 2007–08 मे हमने 723 लाख यूनिट प्रतिदिन औसतन बिजली दी। वर्ष 2008–09 मे हमने जो बिजली दी वह 735 लाख यूनिट प्रतिदिन औसतन थी और यह जो जून का महीना गया है तब तक हमने औसतन बिजली 906 लाख यूनिट प्रतिदिन दी है और यह बिजली बढ़ कर 1000 और 1100 लाख यूनिट प्रतिदिन इस माह के अन्दर और जाने वाली है। स्पीकर सर, इन लोगो ने ज्य सरकार छोड़ी तो ये 578 लाख यूनिट प्रति दिन औसतन बिजली देते थे जबकि हमने यह बढ़ा कर दुगुनी से ज्यादा कर दी है। यानी 1000 और 1100 लाख यूनिट बिजली अगर कोई लेकर आया है तो वह कांग्रेस की वर्तमान सरकार, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार से कर आई है। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि हमने इस चालू साल में पिछले साल के मुकाबले मे खेती– बाडी को अप्रैल में 13.30 प्रतिशत ज्यादा बिजली दी। पिछले साल के मुकाबले मई मे 25.91 प्रतिशत बिजली अधिक दी। पिछले सात के मुकाबले जून मे 44 प्रतिशत अधिक बिजली दी ओर जुलाई मे 52 प्रतिशत अधिक बिजली दी और इस महीने मे 40 परसैंट के करीब और बिजली देने वाले हैं। स्पीकर सर, आकड़े भी अपनी कहानी खुद कहते हैं। अध्यक्ष महोदय,

इसके साथ–साथ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि यहां पर यह गी कहा गया कि बिजली के उत्पादन पर सम्पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैने पहले भी आपकी अनुमति रवे सदन को बताया है कि देश भर में हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जो चालू साल में पिछले साल से लेकर वर्ष 2013 तक हर साल बिजली का एक नया कारखाना बिजली उत्पादन शुरू करेगा। 94 हजार करोड –पते अधिक का निवेश बिजली के उत्पादन मे और 14 हजार करोड रुपये से अधिक का निवेश बिजली की वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने मे होगा। माननीय सदस्य ने अपने इलाके की चर्चा की और कहा कि वहा पर आठ घण्टे पूरी बिजली नहीं मिलती। स्पीकर सर मैं कहता हूं कि कोई–कोई इलाका ऐसा है जहां अभी भी कुछ गांव ऐसे मिलेगे वहां पर हम बिजली की सप्लाई आठ घण्टे न दे पा रहे हो। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे पास पूरी बिजली उपलब्ध नहीं है बल्कि बिजली होते हुए भी कई बार वितरण प्रणाली प्रोपर नही हे इसलिए पूरे आठ घण्टे बिजली नहीं दे पाएंगे। आसापुर में जिसमे चौटाला साहब का गांव भी पड़ता है एक नया बिजली घर लगाने की चर्चा डॉ० सीता राम जी करते हैं। दुर्भाग्य से वहां पर यह बिजली घर नही लग पाया लेकिन अकेले सिरसा के अन्दर अगर आप देखेंगे तो परसो मैंने जवाब मे आकड़ो की पूरी लिस्ट भी दी थी। बड़ा व्यापक कार्यक्रम सिरसा के लिए है। 400 के०वी० सब–स्टेशन से ले कर 33 के०वी० सब–स्टेशन तक 60 या 70 बिजली के नये सब–स्टेशन्ज अकेले सिरसा जिले के लिए बना रहे

हैं। पूरे हरियाणा की यह झा न है तो यह 14000 करोड़ रुपये की जो राशि हम खर्चेंगे इसके बाद वितरण प्रणाली और सुदृढ़ होगी। अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट मे वर्ष 2008–09 मे 600 मेगावाट का उत्पादन शुरू कर दिया है आज उसकी बिजली हरियाणा के किसान, मजदूर, आम ग्रामीण, शहरी और व्यापारी को मिलती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि दिसम्बर 2009 तक राजीव गांधी थर्मल पॉवर प्लांट खेदड की 600 मैगावाट की पहली इकाई और अप्रैल 2010 तक 600 मैगावाट की दूसरी इकाई बिजली का उत्पादन चालू कर देगी। मैं सदन मे बताना चाहूंगा कि ईश्वर की कृपा से हमारे इजीनियर्ज के सहयोग से हम 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के जन्म दिन पर हमारे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिजली उत्पादन से सम्बन्धित पहले जो माईल स्टोन है उसको हम क्रास कर जाएंगे। स्पीकर सर, दिसम्बर, 2009 मे 500 मैगावाट की पहली ईकाई से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय. इसी प्रकार से 1500 मैगावाट का इन्दिरा गाधी सुपर थर्मल पॉवर प्लांट जो झाडली झज्जर मे हम लगा रहे हैं, उसका भी 2010– 11 गे बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसमें रमे 750 मैगावाट बिजली दिल्ली को मिलेगी और 750 मैगावाट बिजली हरियाणा को मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा महात्मा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्लाट जिसको हम झाडली (2) भी कहते हे, झज्जर मे लगेगा और यह प्लाट 1370 मेगावाट का है इस प्लांट की पहली यूनिट से जनरेशन दिसम्बर, 2011 में और दूसरी यूनिट की जनरेशन मई, 2012 मे शुरू हो जाएगी।

स्पीकर सर, इसमे से 1200 मैगावाट बिजली सिर्फ हरियाणा को ही मिलने वाली है। अध्यक्ष महोदय 2113 मैगावाट बिजली जो हमने कैश वन बिडिंग के माध्यम से खरीदी है, वह भी हमें मिलेगी जिसमे अडानी ग्रूप की 1424 मैगावाट, पी०टी० सी० तुप की 300 मैगावाट बिजली अक्तूबर, 2011 से लेकर अगस्त, 2012 के बीच मे हमे मिलेगी। इराके अलावा भी अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने हमे कहा था और मुझे सदन मे यह बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार से हमे इस बारे मे इन–प्रिंसीपल एप्रुवल मिल गई है। जो यमुना नगर मे दीन बड़ छोटूराम थर्मल पॉवर प्लांट 500 मैगावाट का है, वहा पर जमीन उपलब्ध है पानी उपलब्ध है, रेलवे का ट्रैक उपलब्ध है और कोल की बैंकिंग भी उपलब्ध है, हम उसी जमीन मे प्रयास कर रहे है कि उसकी कैपैस्टी डबल करके डेढ़ वर्ष के अन्दर 600 मेगावाट का पॉवर प्लांट वहन पर और लगा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी मुख्यमंत्री जी ने हमे निर्देश दिए थे और हम इस बात के लिए गम्भीरता से लगे हुए हैं कि झाडली (1) का इन्दिरा गाधी सुपर थर्मल पॉवर प्लांट 1500 मेगावाट का है वहां पर भी हमारे पास जमीन है और उसी जमीन मे हम और प्लांट लगा सकते हैं क्योकि कहा पर भी हमारे पास पानी काल माईन बिजली की वितरण प्रणाली और रेलवे का ट्रैक उपलब्ध है। हम अगले डैढ़ से दो साल मे इस बारे मे कोशिश करेगें अगर भारत सरकार हमारी माग स्पीकर करे गी तो एडिशनल कोल कोटा लेकर वहा पर भी 750 मैगावाट से बढ़ाकर 1500 मैगावाट डबल बिजली का उत्पादन करने की कोशिश करेगे।

अध्यक्ष महोदय, जैसा चौधरी फूल चन्द मुलाना जी ने भी बताया है, हरियाणा देश के उन तीन प्रान्तो मे से एक है जिनमे कुम्हारिया मे 2600 मैगावाट का न्यूक्लियर पॉवर प्लांट लगने जा रहा है। उसके लिए –तो एडीशनल लैड चाहिए थी जो कि हमने एक्वायर कर ली है, वहा पर कुछ और पानी की जरूरत थी वह भी हमने प्रबन्ध कर दिया है। उसका हमने न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन से सर्वे करवा लिया है और एटॉमिक एनर्जी कमीशन से भी उसकी एप्रूवल ले ली है। अब यह फाईल भारत सरकार के पास चली गई है। सर्वप्रथम देश मे सिर्फ 3 प्रान्तो मे यह न्यूक्लियर पॉवर प्लाट लगेगें और हरियाणा उनमे से एक है। जब यह प्लांट लगकर तैयार हो जायेगा तो इससे भी हमे बिजली मिलेगी। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन मे यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमत्री जी को दो पत्र लिखे थे और उनसे मिलकर भी आए हैं। फरीदाबाद का जो हमारा थर्मल पॉवर प्लांट है हम उसको बद करके उसकी जगह वहीं पर उससे दोगुणा कैपैस्टी का गैस बे स्थ पॉवर प्लाट दिल्ली की तर्ज पर खोलने जा रहे है। इसके साथ ही दिल्ली मे जो इन्द्रप्रस्थ पॉवर लिमिटिड हे वह अपना प्लाट बवाना मै ले जा रहे हें, अध्यक्ष महोदय, वहां भी हम 150 से 300 मैगावाट के बीच अपना हिस्सा डाल रहे हैं। दो साल के बाद जब वह प्लाट बिजली देगा ते। वहां से भी हमें बिजली मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, 38 साल के इतिहास मे इस प्रान्त मे 1587 मैगावाट बिजली पैदा हुई थी। अध्यक्ष महोदय, हम जो कर रहे हैं उस बारे मे मैंने सदन मे चर्चा की है।

जो हमारे मन में है, जो मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, जिसकी हम अनुमति ले आए हैं, जिसका हमने अनुबन्ध किया है, हमने कोल बेस्ट लिंकेज नहीं ली बल्कि हमने कोल बेस्ट माईन का हरियाणा के लोगो को मालिक बनवाया है। बाकायदा भारत सरकार से अलाट करवाकर आए हैं और अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की जो दूर–दृष्टि थी, जौ उनका व्यक्तित्व था. जो उनकी सोच थी जो कांग्रेस के साथियो की सोच थी, जो हमारी पार्टी की सोच थी कि हरियाणा को एक स्वावलम्बी प्रदेश बनाना है, आत्म निर्भर बनाना है तो यह उसी का ही परिणाम है। स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने यह कहा कि हरियाणा के अंदर पानी की बहुत कमी है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि माननीय इरीगेशन मिनिस्टर साहब यहां मौजूद हैं उन्होने मुझे राक ब्रीफ स्टेटमैंट दी है जिससे स्पष्ट है कि भाखड़ा सिस्टम मे जो मेन लाईन है उससे पिछले साल के मुकाबले उन्होने ज्यादा पानी दिया है। स्पीकर सर, मै आपकी अनुमति से इसका केवल एक पैरा पढकर सुनाना चाहूंगा। as stated above, in spite of these constraints, the supplies in Bhakhra Main Line have been kept at normal level. In fact, from 1st January, 2009 to 30th July, 2009. 20.32 lacs cusecs water per day have been supplied from Bhakhra as compared to 15.57 lacs cusecs water per day during the corresponding period in 2008, पिछले साल के मुकाबले 10 लाख क्यूसिक फालतू पानी भाखडा सिस्टम से हमारी सरकार ने दिया है। even in the months of June and July, the total supply has been 5.85 lacs cusecs water per day as

compared to 4.88 laes cusecs per day in 2008. Speaker Sir, from 1st January, 2009 to 3lst July, 2009, the water supply has been all time high due to better eo-ordination with BBMB. अध्यक्ष महोदय, यमुना कमाण्ड एरिया में यमुना मे पानी का क्लो कम रहा है। इसमे दिक्कत रही है, हम यह मानते हैं परन्तु हराने उसकी भरपाई किसान को पूरी बिजली देकर की है। स्पीकर साहब, मैं आपकी अनुमति सै अपनी बात को समाप्त करते हुए केवल यही कहूंगा कि अगर कोई सरकार, किसान, व्यापारी, गरीब मजदूर ओर आम शहरी के हको के लेकर सजग है तो वह एक अच्छी सरकार कही जाएगी। हमने भी सभी कदम उठाए हैं। अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी की जो हमारी बिजली की रिक्वायरमैंट होगी उसको आज ही हम खरीद रहे हैं। स्पीकर साहब, पंजाब में बी०जे०पी० की सांझा सरकार है और हिमाचल में उसकी अपनी सरकार है लेकिन वे अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। गुजरात में भी बी०जे०पी० की सरकार है लेकिन वहां की सरकार भी हिमाचल से बिजली नहीं खरीद पायी है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी उस पार्टी की सरकार है लेकिन वह भी हिमाचल से बिजली नहीं खरीद पायी है लेकिन हम इस बारे में सजग हैं ओर आगे भी सजग रहेंगे। हमने 6 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट तक हिमाचल से बिजली खरीदी है। सर, मुख्यमत्री जी ने जैसा कहा कि हमने 13– 13, 14– 14 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली खरीदकर हरियाणा के किसानो को दी है इसलिए विपक्ष के साथियो का यह कहना कि हरियाणा में सूखे जैसी स्थिति है

और वहां पर पूरा पानी और बिजली नहीं है, सरासर गलत है। हरियाणा सरकार ने सबके लिए कारगर कदम उठाए हैं और हम अपने काबिल साथियो को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि फिर भी अगर कहीं पर कमी है तो हमे इनका रचनात्मक सहयोग और समर्थन चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि आप लोकदल के कार्यकर्ताओं को कलायत में भेज दे और कह दें कि पुलिस की जिप्सी जला दीजिए, पेड़ काट दीजिए। लेकिन इससे हरियाणा चलने वाला नहीं है हरियाणा चलेगा एक दूसरे के साथ मिलकर चलने से। अगर इनके नेता कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लोगो की लाशो के०पर से वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव होगा सबके सहयोग से इसलिए मैं केवल यह कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि हमे अपने इन काबिल साथियों का समर्थन और सहयोग भी चाहिए। हरियाणा की सरकार भी सजग है और हम सुनिश्चित करेंगे कि अगर कहीं पर दिक्कत है तो वह न आए और पूरा पानी और बिजली हरियाणा के लोगो को उपलब्ध हो। धन्यवाद स्पीकर साहब।

श्रीमती सुमिता सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं सभी बहनों की ओर से अपने आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का बहुत–बहुत आमार व्यक्त करती हूं कि उन्होने हमारी बेसहारा विधवा बहनो के लिए विधवा पैंशन 650 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये करने की अनाउसमैंट की है। इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी सरकार ने उनके बारे मे नहीं सोचा इसके

साथ–साथ अब हमारी इन विधवा बहनो को उनके दो छोटे बच्चो को 200–200 रुपये भी मिलेगे। इरा तरह से अब हमारी विधवा बहनों को 1150 रुपये मिलेंगे। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं।

अध्यक्ष महोदय/मुख्य मंत्री द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker: Hon'ble Members, as we all know, perhaps this is the last Session of the present Assembly and before the House is adjourned sine-die, I would like to thank all of you for extending me your fullest co-operation for smooth and effieient eonducting of the proceedings of the House. I tried my level best to give more and more time to all the Members irrespcetive of the party affiliations and also encouraged the new Members to raise the matters of public importancc in the House effectively. I have no words to express my gratitude to the Hon'ble Chief Minister who was kind enough to extend his graeious help in all my legislative and administrative functioning. The Hon'ble Ministers were also co-operative all the time. **I** complement the media persons who were engged in connection with the proceedings of the House as well as covering the developmental activities of the State in these years. I am also thankful to all the Government Officers who were always co-operative to me. I furthcr thank the officials of Haryana Vidhan Sabha who worked day and night during the Session Days. I extend my heartily thanks again to all of you.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा, हम भी आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने

अध्यक्ष पद पर रहते हुए, इस पद की और सदन की गरिमा बढ़ाई है। आपने सभी सदस्यो को बहुत कोऑपरेट किया। जो माहौल इस सदन मे रहा है उसके लिए पूरे सदन के सभी सदस्यगण आपका आभार व्यक्त करते हें और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि यहा पर जो नयी गरिमाए आपने बनाई हैं, यह सदन उनको कटीन्यू करेगा। आपने विपक्ष को भी पूरा समय अपनी बात रखने के लिए दिया। सबको आपने बोलने का पूरा–पूरा मौका दिया। सत्तापक्ष और विपक्ष सबको आपने बोलने में बराबर हिस्सेदारी दी और बहुत सुचारू रूप से सदन को चलाया। आपकी असैम्बली के सभी कर्मचारियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, इन सभी का भी पूरा सहयोग हमें मिल। है। आपका पूरा वर्चस्व रहा है और एक किस्म से आपने सभी के हित की बात की है उसके लिए भी आपका आभार व्यका करता हूं। धन्यवाद।

17.50 hrs.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House stands adjourned sine-die.

(The Sabha then *adjourned sine die.)